राजभाषा विशेषांक

यूनियन सृजन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही हिंदी गृह पत्रिका

वर्ष 10, अंक - 3, मुंबई, जुलाई-सितंबर, 2025

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक
Union Bank of India
Good people to bank with

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

यूनियन सृजन

प्रकाशन तिथि- 14.11.2025

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही हिंदी गृह पत्रिका

वर्ष 10, अंक - 3, मुंबई, जुलाई-सितंबर, 2025

राजभाषा विशेषांक

मुख्य संरक्षक

आशीष पाण्डेय
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

संरक्षक

नितेश रंजन
कार्यपालक निदेशक

एस. रामसुब्रमणियन
कार्यपालक निदेशक

संजय रुद्र
कार्यपालक निदेशक

मुख्य संपादक

सुरेश चन्द्र तेली
मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं)

संपादकीय सलाहकार

विकास कुमार
महाप्रबंधक (मा.सं. एवं रा.भा.)

जी. एन. दास
महाप्रबंधक

कार्यकारी संपादक

विवेकानंद
सहायक महाप्रबंधक (रा.भा.)

संपादक

गायत्री रवि किरण
मुख्य प्रबंधक (रा.भा.)

संपादकीय सहयोग

मोहित सिंह ठाकुर
सहायक प्रबंधक (रा.भा.)

जागृति उपाध्याय
सहायक प्रबंधक (रा.भा.)

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

प्रिय देशवासियो !

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

भारत मूलतः भाषा–प्रधान देश है। हमारी भाषाएँ सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान–विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम रही हैं। हिमालय की ऊँचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गाँव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहने और एकजुट होकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है।

मिलकर चलो, मिलकर सोचो और मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई और सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है।

भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पूर्वोत्तर में बीहू का गान, तमिलनाडु में ओवियालू की आवाज, पंजाब में लोहड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, आदिम समाज में ढोल–मांदर की थाप पर करमा की गूँज, माताओं की लोरियाँ, किसानों का बारहमासा, कजरी गीत, भिखारी ठाकुर की 'बिदेशिया', इन सबने हमारी संस्कृति को जीवन्त और लोककल्याणकारी बनाया है।

मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय भाषाएँ एक दूसरे की सहचर बनकर, एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ रही हैं। संत तिरुवल्लुवर को जितनी भावुकता से दक्षिण में गाया जाता है, उतनी ही रुचि से उत्तर में भी पढ़ा जाता है। कृष्णदेवराय जितने लोकप्रिय दक्षिण में हुए, उतने ही उत्तर में भी। सुब्रमण्यम भारती की राष्ट्रप्रेम से ओत–प्रोत रचनाएँ हर क्षेत्र के युवाओं में राष्ट्रप्रेम को प्रबल बनाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास को हर एक देशवासी पूजता है, संत कबीर के दोहे तमिल, कन्नड़ और मलयालम अनुवादों में पाए जाते रहे हैं। सूरदास की पदावली दक्षिण भारत के मंदिरों और संगीत परंपरा में आज भी प्रचलित है। श्रीमंत शंकरदेव, महापुरुष माधवदेव को हर एक वैष्णव जानता है। और, भूपेन हजारिका को हरियाणा का युवा भी गुनगुनाता है।

गुलामी के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएँ प्रतिरोध की आवाज बनीं और आज़ादी के आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने में भूमिका निभाई। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जनपदों की भाषाओं में, गाँव–देहात की भाषा में लोगों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा। हिंदी के साथ ही सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाटककारों ने लोकभाषाओं, लोककथाओं, लोकगीतों और लोकनाटकों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया। वन्दे मातरम् और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से ही उपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान के प्रतीक बने।

जब देश आजाद हुआ, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषाओं की क्षमता और महत्ता को देखते हुए

इस पर विस्तार से विचार–विमर्श किया और 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह दायित्व सौंपा गया कि हिंदी का प्रचार–प्रसार हो और वह भारत की सामासिक संस्कृति का प्रभावी माध्यम बने।

पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघ का मंच हो, जी–20 का सम्मेलन या SCO में संबोधन, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है।

मोदी जी ने आजादी के अमृत काल में गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने के जो पंच प्रण लिए थे, उसमें भाषाओं की बड़ी भूमिका है। हमें अपनी संवाद और आपसी संपर्क भाषा के रूप में भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए, न कि किसी विदेशी भाषा को। तभी हम गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त हो पाएँगे।

राजभाषा हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण कर हिंदी को जनभाषा और जनचेतना की भाषा बनाने का अद्‌भुत कार्य किया है। 2014 के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। संसदीय राजभाषा समिति ने वर्ष 1976 में अपनी स्थापना से लेकर 2014 तक माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रतिवेदन के 9 खंड प्रस्तुत किए थे, वहीं 2019 से अब तक 3 खंड प्रस्तुत किए जा चुके हैं। 13–14 नवम्बर 2021 को वाराणसी से प्रारंभ हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों की परम्परा भी लगातार आगे बढ़ रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी राजभाषा विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन पर आधारित 'कंठस्थ 2.0' में आज 5 करोड़ से अधिक वाक्यों का ग्लोबल डाटाबेस उपलब्ध है। 'लीला राजभाषा' और 'लीला प्रवाह' जैसे शिक्षण पैकेजों के माध्यम से 14 भारतीय भाषाओं में हिंदी सीखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2022 में शुरू हुआ 'हिंदी शब्द सिंधु' अब तक लगभग 7 लाख शब्दों से समृद्ध हो चुका है।

2024 में हिंदी दिवस पर 'भारतीय भाषा अनुभाग' की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बनें। डिजिटल इंडिया, ई–गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं।

मित्रों, भाषा सावन की उस बूँद की तरह है, जो मन के दुःख और अवसाद को धोकर नई ऊर्जा और जीवन शक्ति देती है। बच्चों की कल्पना से गढ़ी गई अनोखी कहानियों से लेकर दादी–नानी की लोरियों और किस्सों तक, भारतीय भाषाओं ने हमेशा समाज को जिजीविषा और आत्मबल का मंत्र दिया है।

मिथिला के कवि विद्यापति जी ने ठीक ही कहा है:
"देसिल बयना सब जन मिट्ठा।"
अर्थात् अपनी भाषा सबसे मधुर होती है।

आइए, इस हिंदी दिवस पर हम हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने और उन्हें साथ लेकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लें।

आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

वंदे मातरम्।

नई दिल्ली
14 सितंबर, 2025

(अमित शाह)

अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
सचिव
ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी प्रतिष्ठित हिंदी गृह पत्रिका "यूनियन सृजन" के सितंबर, 2025 अंक को **राजभाषा विशेषांक** के रूप में प्रकाशित कर रहा है।

यह हमारा संवैधानिक और नैतिक दायित्व है कि हम अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में राजभाषा हिंदी का अधिकतम प्रयोग कर राष्ट्रहित में इसके गौरव और स्वीकार्यता को निरंतर बढ़ाएं। पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर विकास और प्रचार-प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ कार्यालयों में मूल रूप से हिंदी में कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने में भी अहम भूमिका निभाता है।

बैंकिंग व्यवसाय मूलतः आम जन से जुड़ा होता है, इसलिए ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक सेवाएं और उत्पाद उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध कराना संस्थान एवं ग्राहक दोनों के लिए आवश्यक है। मैं आशा करती हूँ कि "यूनियन सृजन" के इस अंक में ग्राहकों हेतु राजभाषा हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध आईटी-सक्षम मोबाइल ऐप, मोबाइल बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग आदि से संबंधित उपयोगी जानकारी का समुचित समावेश किया जाएगा।

मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को वर्ष 2024-2025 में गृह पत्रिकाओं की श्रेणी में कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई देती हूँ। यह उपलब्धि न केवल बैंक की राजभाषा हिंदी के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है, अपितु हिंदी भाषा के संवर्धन, विकास और प्रसार में उसके सतत योगदान का प्रतीक भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि "यूनियन सृजन" पत्रिका द्वारा प्रकाशित यह राजभाषा विशेषांक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

(अंशुली आर्या)

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in

परिदृश्य

प्रिय यूनियनाइट्स,

1. `यूनियन सृजन' के `राजभाषा विशेषांक' के माध्यम से आप सभी के साथ जुड़ते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं मानता हूँ कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं बैंक की सेवाओं के प्रचार-प्रसार हेतु अत्यंत प्रभावशाली माध्यम हैं । यह हमारे लिए अपार हर्ष और गर्व का विषय है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2024-25 के अंतर्गत 'यूनियन सृजन' को प्रथम पुरस्कार तथा उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु बैंक को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह सम्मान हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता, भाषा के प्रति हमारे जुड़ाव और निरंतर प्रयासों का परिणाम है।

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक के केंद्रीय कार्यालय सहित सभी अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन को लेकर उल्लेखनीय गतिविधियाँ लगातार संचालित होती रही हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ, प्रतियोगिताएँ और अनेक नवाचारों के माध्यम से हमने राजभाषा के प्रयोग को व्यावहारिक और प्रभावी बनाया है। इन प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हमारे बैंक के 11 नराकास संयोजक कार्यालयों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही, पीआरसीआई संस्था से 'यूनियन सृजन' को रजत पुरस्कार और 'यूनियन धारा' को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये पुरस्कार और सम्मान हमारे बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन की उत्कृष्टता और बैंक के प्रकाशनों की गुणवत्ता की समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं।

3. हमारी भाषा यात्रा केवल पुरस्कारों तक सीमित नहीं है। यह उस सोच का प्रतिबिंब है कि हम सभी अपने-अपने कार्यों के साथ-साथ "राजभाषा अधिकारी" भी हैं। मैंने कई अवसरों पर कहा है कि हिंदी हमारे कार्य के केंद्र में प्रमुख स्थान पर हृदय की भाँति है और भारतीय भाषाएँ इस तंत्र की धमनियाँ हैं—जब ये साथ चलती हैं तो संवाद सशक्त होता है, टीम की ऊर्जा बढ़ती है और हमारे कार्य-प्रवाह का तंत्र अधिक जीवंत बनता है। हमारे अनुभवों ने यह सिद्ध किया है कि जब हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएँ साथ आती हैं, तो उनका प्रभाव असाधारण होता है।

4. हमारे बैंक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रकाशित संदर्भ-साहित्य, पत्रिकाएँ और ई-प्रकाशनों के माध्यम से बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं के संबंध में व्यापक जानकारी उपलब्ध है। साथ ही, बैंक के विभिन्न प्रकाशन कॉर्पोरेट वेबसाइट तथा यूनियन विद्या पोर्टल में उपलब्ध हैं । यात्रा के दौरान, घर से या अवकाश में—किसी भी समय इनका अध्ययन संभव है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि निरंतर पठन-पाठन और ज्ञानार्जन प्रक्रिया से जुड़े रहें ।

5. मैं अपने अनुभव पर आधारित सलाह देना चाहता हूँ कि छोटे-छोटे वाक्यों से शुरुआत कर सहज और सरल हिंदी में बैंक के दैनिक कामकाज के हर पहलू में हिंदी का प्रयोग करना संभव है। इन प्रयासों से कार्यालयों में पारदर्शिता, स्पष्टता और सरल संचार की संस्कृति का विकास होता है ।

6. राजभाषा कार्यान्वयन के साथ-साथ बैंक ने सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरणीय क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है—चाहे वह हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना हो, डिजिटल बैंकिंग को सरल बनाना हो या वित्तीय समावेशन का विस्तार करना हो। हम जो भी कार्य करते हैं, भाषा उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि भाषा ही वह माध्यम है जो ग्राहक और बैंक के बीच संवाद, भरोसा और सुविधा का पुल बनाती है।

7. आइए हम हिंदी और भारतीय भाषाओं को अपनाकर हमारी कार्य-संस्कृति की समृद्धि सुनिश्चित करें और सामूहिक भावना के साथ उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और सुचारु प्रशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर मजबूत करते रहें।

शुभकामनाओं सहित,

(आशीष पाण्डेय)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

अवलोकन

प्रिय यूनियनाइट्स,

`यूनियन सृजन' के `राजभाषा विशेषांक' के माध्यम से आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि यह विशेषांक राजभाषा के विभिन्न आयामों, नवीन पहल और प्रेरक लेखों के माध्यम से आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा और बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा।

वर्ष 2024-25 के दौरान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से कीर्ति पुरस्कारों में `यूनियन सृजन' को 'प्रथम' और बैंक को 'तृतीय' पुरस्कार प्रदान किए जाने हेतु स्टाफ सदस्यों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में यूनियनाइट्स द्वारा उत्साहपूर्वक भाग लेना हमारे बैंक की सांस्कृतिक शक्ति को दर्शाता है। पुरस्कार विजेताओं सहित सभी प्रतिभागियों का प्रयास अभिनंदनीय है। राजभाषा निरीक्षणों में बैंक के कार्यान्वयन की सराहना की जाती रही है, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सदैव अग्रणी भूमिका निभाता आया है।

हिंदी देश की एक प्रमुख संपर्क भाषा है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह भाषा विभिन्न संस्कृतियों, प्रदेशों और समुदायों को जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनी है। चाहे सरकारी संस्थान हों या निजी क्षेत्र—हिंदी आज व्यापार और ग्राहक-संवाद की एक सशक्त भाषा के रूप में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रही है। बैंकिंग क्षेत्र में भाषा-सुगमता का महत्व और भी बढ़ जाता है। बैंक समाज के प्रत्येक वर्ग की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे में बैंकिंग प्रक्रियाओं, ग्राहक संवाद, परिचालन और प्रशिक्षण—सभी स्तरों पर हिंदी तथा भारतीय भाषाओं का प्रभावी समावेश अत्यंत आवश्यक है।

तकनीक ने भाषाई सीमाओं को अप्रासंगिक बना दिया है। संवाद के लिए भाषिणी ऐप, अनुवाद के लिए कंठस्थ एवं भाषिणी ऐप जैसे नवाचार भाषा-शक्ति का विस्तार कर रहे हैं। मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर बहुभाषी तकनीक की उपलब्धता ने यह सुनिश्चित किया है कि अब बैंकिंग का प्रत्येक कार्य भारतीय भाषाओं में भी सहजता से संभव है। आगे बढ़ते हुए यह आवश्यक होगा कि हमारा डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम—जैसे मोबाइल बैंकिंग, चैटबॉट्स, इंटरनेट बैंकिंग, मैसेजिंग सिस्टम—सभी में भाषा-सुगमता की प्राथमिकता से ग्राहक अनुभव अधिक सुगम और समावेशी बने।

पहले से अधिक प्रतिस्पर्धी हो रहे बैंकिंग वातावरण में वही संस्था आगे बढ़ती है जो ग्राहकों से उनकी भाषा में संवाद करने की क्षमता रखती है। शाखाओं में नोटिस बोर्ड, फॉर्म्स, डिस्प्ले सिस्टम, ग्राहक-सेवा डेस्क, प्रशिक्षण सामग्री—इन सभी में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग विधिक अपेक्षा के साथ ग्राहकों की सुविधा और विश्वास को बढ़ाने का माध्यम भी है। यह आवश्यक है कि हम अनुपालन के साथ-साथ अपनी इच्छा से भाषा-सीखने की संस्कृति भी विकसित करें। कई शिक्षण प्लेटफार्मों और ई-लर्निंग मॉड्यूल्स में राजभाषा सामग्री का विस्तार इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अतः मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि भाषा-सुगमता और प्रौद्योगिकी का समन्वय करते हुए स्वयं को भाषाई कौशलों से और अधिक सक्षम बनाएं तथा अपने साथी स्टाफ सदस्यों को भी इस दिशा में निरंतर प्रेरित करें। भारत की भाषाई विविधता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और इसे हमारी संगठनात्मक कार्य-संस्कृति में सम्मानजनक स्थान देना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। राजभाषा के क्षेत्र में हमारी सामूहिक भागीदारी और प्रतिबद्धता बैंक को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान और विशिष्टता प्रदान करेगी।

आइए, हम संकल्प लें कि भाषा-सुगमता, ग्राहक-सेवा, कार्य-संस्कृति और टीम भावना के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन करते हुए यूनियन बैंक को और अधिक सक्षम, विश्वसनीय तथा प्रतिष्ठित संस्था बनाने में निरंतर योगदान करते रहें।

शुभकामनाओं सहित,

(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

अवलोकन

प्रिय यूनियनाइट्स,

`यूनियन सृजन' के `राजभाषा विशेषांक' के माध्यम से आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। राजभाषा विषय पर केंद्रित लेख, विचार और अनुभव इस अंक को विशेष बनाते हैं। लेखन की यह संस्कृति हमारे संगठन में राजभाषा कार्यान्वयन और ज्ञान संवर्धन को सुदृढ़ करती है। मैं लेखकों और सम्पादकीय टीम की सराहना करता हूँ, जिन्होंने इस संस्करण को समृद्ध रूप दिया है। मुझे आशा है कि यह राजभाषा विशेषांक आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। भाषा की सहजता और सामग्री की विविधता से यह अंक बैंकिंग कार्यों, ग्राहक सेवा और ज्ञान-वृद्धि के लिए सहयोगी भूमिका निभाएगा। सरल, स्पष्ट और प्रभावी भाषा का उपयोग हमारे दैनिक कार्यों को और अधिक सुलभ बनाएगा।

बैंकिंग क्षेत्र निरंतर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस परिवर्तनशील वातावरण में भाषा-सुगमता ग्राहक सेवा को प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनी है। चाहे खुदरा ऋण योजनाएँ हों, डिजिटल बैंकिंग समाधान हों या वित्तीय जागरूकता—इन सभी की जानकारी जब ग्राहकों को सरल भाषा में उपलब्ध होती है, सेवा की गुणवत्ता और ग्राहक संबंध दोनों में वृद्धि होती है। शाखाओं में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध दस्तावेज और दिशानिर्देश ग्राहकों की सुविधा को और अधिक सुचारु बनाते हैं।

पिछले वर्षों में बैंक ने अनेक क्षेत्रों में संतुलित प्रगति दर्ज की है। विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र में बैंक की भूमिका अत्यंत प्रभावी रही है। उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पाद, डिजिटल ऋण प्रवाह, समयबद्ध समाधान और सरल प्रक्रियाओं ने इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में इन सेवाओं के प्रचार-प्रसार से उद्यमियों को मार्गदर्शन का सुलभ माध्यम मिला है, जिससे उनकी यात्रा सरल और कारोबार अधिक स्थिर हुआ है।

कॉरपोरेट कारोबार में बड़े उद्योग हों या मिड कॉरपोरेट संस्थाएँ, दोनों से बैंक का ऋण पोर्टफोलियो मज़बूत होता है। इस क्षेत्र में सेवाओं, रेटिंग आधारित उत्पादों, नकदी-प्रबंधन समाधान और विशेषीकृत वित्तीय सहायता हेतु स्पष्ट संप्रेषण की आवश्यकता है। जोखिम प्रबंधन के दिशा-निर्देश, दस्तावेज और प्रक्रियाएँ सरल भाषा में उपलब्ध होने से शाखाओं और ग्राहकों दोनों के लिए निर्णय-प्रक्रिया सुगम हुई है।

एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग। वैश्विक कारोबार, एनआरआई सेवाएँ, विदेशी विनिमय और व्यापार वित्तपोषण से संबंधित जानकारी को सहज भाषा में उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इस पारदर्शिता ने वैश्विक स्तर पर बैंक की पहचान को सुदृढ़ किया है और ग्राहकों को समयानुकूल समाधान प्राप्त करने में सहायता दी है। हमारा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और ग्राहक अनुकूल सेवा दृष्टिकोण दोनों मिलकर उत्कृष्ट अनुभव प्रदान कर रहे हैं। बैंक सदैव कारोबारी विकास और स्टाफ की कौशलवृद्धि पर केंद्रित रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में डिजिटल निर्देश, ग्राहक सेवा सत्र और उत्पाद-विशेष प्रशिक्षण—इन सभी ने कर्मचारियों की समझ और दक्षता को नए आयाम दिए हैं।

आने वाले वर्षों में प्रतिस्पर्धा और अवसर दोनों ही बढ़ेंगे। ग्राहक सेवा, उत्पाद नवाचार, डिजिटल विस्तार और प्रक्रिया सरलीकरण—इन सभी क्षेत्रों में राजभाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्पष्ट भाषा ग्राहक के विश्वास को बढ़ाती है और बैंक की कार्यदक्षता को सुदृढ़ करती है। आइए, हम सब मिलकर संकल्प लें कि भाषा-सुगमता, बैंकिंग उत्कृष्टता और ग्राहक सेवा को एक साथ आगे बढ़ाएँगे। सरल और प्रभावी संवाद से हम बैंक की पहचान को और अधिक सशक्त बनाएँगे। आपकी प्रतिबद्धता और समर्पण यूनियन बैंक को भविष्य में और अधिक प्रतिष्ठित, प्रगतिशील और ग्राहकोन्मुख संस्था बनाएगा।

शुभकामनाओं सहित,

एस राम

(एस. रामसुब्रमणियन)
कार्यपालक निदेशक

अवलोकन

प्रिय यूनियनाइट्स,

`यूनियन सृजन' के 'राजभाषा विशेषांक' के माध्यम से आप सभी के साथ मेरे विचार साझा करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। हमारे बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पत्रिका तथा कार्यान्वयन दोनों श्रेणियों में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यह उपलब्धियाँ हमारी टीम की प्रतिबद्धता, भाषा-संवेदनशील कार्यसंस्कृति और संगठन के प्रत्येक सदस्य के योगदान को सुदृढ़ आधार प्रदान करती हैं। राजभाषा टीम और सभी यूनियनाइट्स ने निरंतर समर्पण के साथ भाषा-सुगमता को बैंक की कार्य-प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है।

बैंकिंग क्षेत्र का स्वरूप नित परिवर्तनशील है। इस परिवर्तन के साथ संवाद की सहजता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। भाषा जब सरल और ग्राहकों की समझ के अनुकूल होती है तब सेवा की गुणवत्ता में विश्वास और आत्मीयता का प्रभाव स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। इसी विचार के अनुरूप बैंक ने दैनिक कार्यों, पत्राचार, ग्राहक-सेवा और डिजिटल मंचों पर भाषा को अधिक सुगम बनाने की दिशा में निरंतर कदम बढ़ाए हैं। हमें अपने कार्य में सरल शब्दों और स्पष्ट अभिव्यक्ति का प्रयोग निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए।

भारत की भाषाई विविधता हमारे बैंक की ताकत है। विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों से आने वाले ग्राहकों से संवाद स्थापित करने में क्षेत्रीय भाषाएँ एक सशक्त सेतु का कार्य करती हैं। सरकार द्वारा स्थापित भारतीय भाषा अनुभाग की संकल्पना इसी दृष्टि को और गहराई प्रदान करती है। यही कारण है कि बैंक ने प्रचार-प्रसार सामग्री, ग्राहक-सूचनाएँ, शाखा-सेवा और डिजिटल उत्पादों में क्षेत्रीय भाषाओं के विकल्पों का समावेश सुनिश्चित किया है। यह एकीकृत प्रयास ग्राहकों तक सुविधाओं की सहज पहुँच सुनिश्चित करता है और बैंकिंग अनुभव को और अधिक प्रभावशाली बनाता है।

हम सेवा-प्रधान संस्था हैं और उत्कृष्ट सेवा हमारी प्राथमिकता है। ग्राहक की भाषा में संवाद स्थापित करने से सेवा अधिक प्रभावी बनती है। शाखाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराए गए बहुभाषिक विकल्प ग्राहकों को स्पष्टता प्रदान करते हैं। इन पहलों का उद्देश्य प्रत्येक ग्राहक तक सही जानकारी और सहज अनुभव पहुँचाना है। सेवा का यह स्तर हमारी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और विश्वसनीयता को मजबूती देता है।

तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ भाषा-सुगमता और भी महत्वपूर्ण हो गई है। आज अनेक डिजिटल उपकरण विभिन्न भाषाओं में संवाद को सरल बनाते हैं। ये तकनीक बैंकिंग प्रक्रियाओं को ग्राहकों के लिए और अधिक सुलभ बनाती हैं। हमारा लक्ष्य है कि तकनीक और भाषा, दोनों एक-दूसरे के सहयोगी बनकर ग्राहकों के अनुभव को समृद्ध करें। कर्मचारियों को भी इन तकनीकी विकल्पों का उपयोग सीखते हुए अपनी संवाद क्षमता को और सुदृढ़ करना चाहिए।

आने वाले समय में बैंकिंग क्षेत्र में नए अवसर और दायित्व दोनों सामने आएँगे। उत्पादों का विस्तार, डिजिटल सेवाओं की वृद्धि और कारोबार के नए मार्ग—इन सभी में भाषा-आधारित स्पष्ट संवाद एक सशक्त आधार प्रदान करता है। टीम के प्रत्येक सदस्य का योगदान इन पहलों को गति देता है। आपके कार्य के प्रति समर्पण और ग्राहकों के प्रति संवेदनशीलता ने हमारे बैंक की पहचान को हमेशा सुदृढ़ रखा है। संगठन की आगे की दिशा भी इसी सकारात्मक ऊर्जा पर आधारित है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यूनियनाइट्स अपनी प्रतिबद्धता, निष्ठा और उत्कृष्टता के साथ राजभाषा कार्यान्वयन को नई ऊँचाइयों पर लेकर जाएंगे। `यूनियन सृजन' – `राजभाषा विशेषांक' की सम्पूर्ण टीम और सभी लेखकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। आशा है कि यह विशेषांक आप सभी के लिए उपयोगी, प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा, तथा आगे भी बैंक की भाषा-संस्कृति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

शुभकामनाओं सहित,

संजय रुद्र

(संजय रुद्र)
कार्यपालक निदेशक

संपादकीय

प्रिय पाठकगण,

'यूनियन सृजन' के `राजभाषा विशेषांक' के साथ हम एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारे पाठकों को हम सगर्व सूचित करते हैं कि 'यूनियन सृजन' को वर्ष 2024-25 हेतु राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार के रूप में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। बैंक के उच्च प्रबंधन के प्रोत्साहन, संपादकीय सलाहकारों के अमूल्य मार्गदर्शन, लेखकों के सहयोग तथा पाठकों के पूर्ण जुड़ाव से यह उपलब्धि संभव हो पाई है। हम आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते है और आशा करते हैं कि इस सृजनात्मक यात्रा में हमें आप सभी का आत्मीय सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

इस अंक में सम्मिलित विषय राजभाषा के सुदृढ़ कार्यान्वयन, संस्थागत प्रयासों, भाषा–तकनीक के समन्वय तथा मानवीय संवेदनाओं को एक सूत्र में पिरोते हैं। राजभाषा के सशक्त कार्यान्वयन की दृष्टि से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, संसदीय राजभाषा समिति, राजभाषाई निरीक्षण, राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली, राजभाषा के 12 प्र तथा राजभाषा हिंदी मानकीकरण जैसे विषय यह स्पष्ट करते हैं कि हिंदी का प्रयोग योजनाबद्ध, निगरानीयुक्त और सतत प्रक्रिया है। राजभाषा विभाग के 50 वर्ष तथा 5वें अखिल भारत सम्मेलन में यूनियन बैंक की सहभागिता संगठन की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और नेतृत्वकारी भूमिका को रेखांकित करती है। केंद्रीय कार्यालय, मुंबई का हिंदी दिवस समारोह – 2025 इसी परंपरा का उत्सवपूर्ण प्रतिबिंब है। वित्त एवं लेखा विभाग की शब्दावली तथा संस्था हेतु अनुवाद का महत्व जैसे लेख प्रशासनिक और व्यावसायिक कार्यों में भाषा की व्यावहारिक उपयोगिता को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं।

भाषा के व्यापक स्वरूप को रेखांकित करते हुए देवनागरी लिपि, हिंदी का अंतरराष्ट्रीय रूप, भाषा संरक्षण का महत्व तथा हिंदी में मौलिक कार्य का महत्व जैसे विषय यह स्मरण कराते हैं कि भाषा केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि संस्कृति, पहचान और बौद्धिक स्वतंत्रता का आधार है। बैंकिंग में भाषा का महत्व और ग्राहक सेवा में भाषा का महत्व जैसे लेख यह दर्शाते हैं कि सरल, मानक और संवेदनशील भाषा ही विश्वास और सेवा-गुणवत्ता का मूल है। मशीनी अनुवाद के साधन प्रौद्योगिकी और भाषा के सहयोग से कार्यक्षमता बढ़ाने की संभावनाओं को सामने रखते हैं।

इस अंक का साहित्यिक पक्ष भी उतना ही सशक्त है। कविता 'माँ' मानवीय संवेदनाओं की कोमल अभिव्यक्ति है, वहीं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित लेख हिंदी साहित्य की वैचारिक परंपरा से परिचित कराता है। 'गुनाहों का देवता' जैसे रचनात्मक संदर्भ साहित्यिक चेतना को गहराई देते हैं। 'मेरी उज्जैन यात्रा' पाठकों को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभूति से जोड़ती है। स्वास्थ्य संबंधी सुझावों में स्क्रीन टाइम से जुड़ी समस्याओं पर केंद्रित लेख आधुनिक जीवन-शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं।

'यूनियन सृजन' का यह विशेषांक भाषा, बैंकिंग, तकनीक, साहित्य और जीवन-मूल्यों का सारगर्भित संकलन है। यह पत्रिका केवल सूचना का संकलन नहीं, बल्कि संगठन की बौद्धिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक चेतना का प्रतिबिंब है। हम सभी लेखकों, कवियों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिनके समर्पण से यह अंक साकार हो सका। हमें विश्वास है कि यह अंक पाठकों को विचार, प्रेरणा और सकारात्मक दृष्टि प्रदान करेगा।

हम संपादकीय मंडल, सलाहकारों एवं मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञ हैं, जिनके मार्गदर्शन से यह अंक अपने समग्र रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हो पाया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह अंक आपको पसंद आएगा और आपको प्रेरित भी करेगा।

आपके सुझाव और सहभागिता 'यूनियन सृजन' को निरंतर समृद्ध करते रहेंगे—इसी आशा के साथ,

भवदीया,

गायत्री रवि किरण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक
Union Bank of India
Good people to bank with

यूनियन सृजन

प्रकाशन तिथि- 14.11.2025
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही हिंदी गृह पत्रिका
वर्ष 10, अंक - 3, मुंबई, जुलाई-सितंबर, 2025

राजभाषा विशेषांक

अनुक्रमणिका

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	अजय खरे	1
संसदीय राजभाषा समिति	विवेकानंद	3
कविता - माँ	अम्बरीष कुमार सिंह	5
राजभाषा विभाग के 50 वर्ष	नमिता प्रसाद	6
5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया		9
राजभाषाई निरीक्षण	मिनाक्षी	11
वित्त एवं लेखा विभाग की शब्दावली	प्रणीता आर्या	13
राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली	विकास कुमार अग्रवाल	16
राजभाषा के 12 प्र	जयश्री राजेंद्र खापरे	17
राजभाषा हिंदी मानकीकरण	रवि चौधरी	19
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई का हिंदी दिवस समारोह - 2025		21
देवनागरी लिपि	अरुण बाजपेई	23
हिंदी का अंतरराष्ट्रीय रूप	डॉ. कल्याणलक्ष्मी चित्ता	25
बैंकिंग में भाषा का महत्व	खुशमीता रानी	27
मशीनी अनुवाद के साधन	रमेश कुमार	29
भारत की भाषाई संपदा	अविनाश आनंद	31
भाषा संरक्षण का महत्व	तुषार निकम	33
हिंदी में मौलिक कार्य का महत्व	देवव्रत सेन गुप्ता	35
संस्था हेतु अनुवाद का महत्व	नाविन्य गजानन गुजर	36
ग्राहक सेवा में भाषा का महत्व	शिल्पा शर्मा सरकार	37
स्वास्थ्य संबंधी सुझाव – स्क्रीन टाइम से जुड़ी समस्याएं	निखिल एच जी	38
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी	अवनीश कुमार सिमल्टी	39
गुनाहों का देवता	बिघ्नेश कुमार	41
मेरी उज्जैन यात्रा	एन वी एन आर अन्नपूर्णा	43
समाचार		45
आपकी नज़र में		51

आवरण पृष्ठ

दिनांक 14 & 15 सितंबर, 2025 को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी दिवस- 2025 एवं 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में हिंदी गृह पत्रिका 'यूनियन सृजन' को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। श्री अमित शाह, गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार के कर-कमलों से श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक ने पुरस्कार प्राप्त किया। इसी कार्यक्रम में वर्ष 2024-25 के दौरान उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। श्री अर्जुन राम मेघवाल, केन्द्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री तथा श्री दिनेश शर्मा, सांसद, राज्यसभा के कर-कमलों से श्री सुरेश चंद्र तेली, मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.) ने पुरस्कार प्राप्त किया।

राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग, मानव संसाधन विभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा आंतरिक परिचालन हेतु प्रकाशित।
ई-मेल: union.srijan@unionbankofindia.bank.in | gayathri.ravikiran@unionbankofindia.bank.in दूरभाष: 022-41829288 | मोबाइल: 9849615496
गायत्री रविकिरण द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित। प्रिंट्रेड इश्यूज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ईएल-179, टीटीसी इंड. एरिया, इलेक्ट्रॉनिक ज़ोन, महापे, थाने - 400 710, महाराष्ट्र में मुद्रित और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 239, यूनियन बैंक भवन, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 से प्रकाशित।

यूनियन सृजन में प्रकाशित विचार लेखक के अपने हैं। प्रबंधन का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

नराकास वस्तुतः राजभाषा नीति की धड़कन है। यह एक साझा चौपाल है जहाँ किसी नगर में स्थित सभी केंद्रीय संस्थान एकत्र होकर यह विचार करते हैं कि हिंदी का प्रयोग राजकीय कार्यों में किस प्रकार बढ़ाया जाए, कौन-सी कठिनाइयाँ सामने हैं, कौन-से प्रयोग सफल हुए हैं और भविष्य में किस प्रकार की योजनाएँ बननी चाहिए। यह समिति केंद्र और स्थानीय स्तर के बीच एक सेतु है, जो ऊपर से मिले नियमों को ज़मीन पर उतारती है और ज़मीन से उठी चुनौतियों को ऊपर तक पहुँचाती है। इस प्रकार यह केवल प्रशासनिक ढाँचा नहीं, बल्कि भाषा-संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का जीवंत प्रतीक है।

भारत के शासकीय परिषेश में भाषा का प्रश्न केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान है। भारतीय गणराज्य ने संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान कर जब नए युग का उद्घोष किया, तब उसका उद्देश्य केवल सरकारी दफ्तरों के काग़ज़ों पर शब्द बदलना नहीं था, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच की खाई को मिटाकर सहज संवाद स्थापित करना था। यह संवाद तभी संभव था जब हिंदी का प्रयोग व्यवहार में आए, कार्य-संस्कृति का हिस्सा बने और कार्यालयों के कोनों से लेकर जनता की सेवा तक अपना स्थान बनाए। किंतु यह मार्ग सरल न था। भारत के विभिन्न नगरों में केंद्र सरकार के असंख्य कार्यालय, बैंक, सार्वजनिक उपक्रम और स्वायत्त संस्थान फैले हुए थे। प्रत्येक संस्था की अपनी परंपरा, अपनी चुनौतियाँ और अपनी गति थी। इन्हें एक सूत्र में पिरोने का कार्य नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने किया, जिसे हम संक्षेप में "नराकास" कहते हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों ने हिंदी के प्रयोग का जो मार्ग प्रशस्त किया, उसकी व्यावहारिक परिणति नराकास के रूप में सामने आई। अधिनियम ने तो यह स्पष्ट कर दिया था कि संघ के कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा, किंतु प्रत्येक नगर में इस नीति को लागू करने की जिम्मेदारी किसी एक कार्यालय पर नहीं छोड़ी जा सकती थी। अतः गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने यह व्यवस्था की कि जहाँ-जहाँ केंद्र सरकार के दस या उससे अधिक कार्यालय हों, वहाँ एक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की जाए। यह व्यवस्था वर्ष 1976 में राजभाषा नियमों के साथ शुरू हुई थी। इस समिति की अध्यक्षता नगर के किसी प्रमुख संस्थान का प्रमुख अधिकारी करता है और इसके सदस्य उस नगर में स्थित सभी केंद्रीय कार्यालय, बैंक और सार्वजनिक उपक्रम होते हैं।

नराकास का कार्य केवल बैठकों तक सीमित नहीं। यह समिति नगर के कार्यालयों को एक-दूसरे से जोड़ती है, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है, हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करती है, कार्यालयों में निरीक्षण कर अनुपालन की स्थिति का आकलन करती है और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को पुरस्कृत भी करती है। इस प्रकार यह प्रेरणा और उत्तरदायित्व दोनों का केंद्र है। समिति की बैठकें प्रायः वर्ष में दो बार आयोजित होती हैं, जिनमें पिछले निर्णयों की समीक्षा, प्रगति की चर्चा और आने वाले समय के लिए कार्ययोजना बनाई जाती है। इन बैठकों में केवल औपचारिक बातें ही नहीं होतीं, बल्कि वास्तविक समस्याओं पर खुला संवाद होता है।

नराकास की सबसे बड़ी शक्ति उसका सामूहिक स्वरूप है। कोई भी संस्था अकेले भाषा-प्रयोग को नहीं बढ़ा सकती। जब विभिन्न कार्यालय मिलकर एक साझा योजना बनाते हैं, तब न केवल अनुभवों का आदान-प्रदान होता है, बल्कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी जन्म लेती है। एक नगर के कार्यालयों के बीच यह प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन-सा कार्यालय अधिक हिंदी में कार्य करता है, कौन-सा कार्यालय बेहतर प्रशिक्षण देता है और किस कार्यालय ने जनता के लिए द्विभाषी सुविधा अधिक सुलभ कराई है। यही प्रतिस्पर्धा अंततः हिंदी को शासकीय कार्यों में स्थापित करने का सबसे बड़ा माध्यम बनती है।

साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो नराकास हमारे समय की वह सभा है, जहाँ भाषा के प्रति निष्ठा और कर्तव्य का संकल्प दोहराया जाता है। जैसे प्राचीन भारत की सभाओं में नीति और धर्म पर विमर्श होता था, वैसे ही आज इन समितियों में राजभाषा नीति पर विचार होता है। यह विमर्श जीवंत और प्राणवान होता है,

क्योंकि इसके केंद्र में जनता की सुविधा है। जब एक सामान्य नागरिक बैंक में जाता है और उसे अपना फॉर्म हिंदी में उपलब्ध होता है, तो वह केवल सुविधा ही नहीं, बल्कि सम्मान भी अनुभव करता है। यह सम्मान नराकास की बैठकों में लिए गए निर्णयों का प्रतिफल है।

राजभाषा विभाग समय-समय पर इन समितियों को दिशा देता रहा है। 1997 के एक मार्गदर्शक आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि नराकास की बैठकों में कार्यालय-प्रधान की उपस्थिति अनिवार्य हो, ताकि निर्णय केवल काग़ज़ पर न रहें, बल्कि उनका कार्यान्वयन भी सुनिश्चित हो। इसी प्रकार हाल के वर्षों में ऑनलाइन प्रगति-रिपोर्ट (तिमाही प्रगति रिपोर्ट) जमा करने की व्यवस्था लागू की गई, जिससे प्रत्येक समिति की गतिविधियाँ पारदर्शी हों और उनकी तुलना भी की जा सके। इस डिजिटल प्रणाली ने समितियों को और अधिक उत्तरदायी बनाया है।

नराकास का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें दस्तावेज़ों का द्विभाषीकरण, पत्राचार, अधिसूचनाएँ, वेबसाइट और मोबाइल एप्स का द्विभाषी स्वरूप, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं का आयोजन, और जनता से संवाद के माध्यमों में हिंदी का प्रयोग प्रमुख है। समिति यह सुनिश्चित करती है कि नागरिक-सेवा से जुड़े प्रत्येक स्थल—चाहे वह बैंक का काउंटर हो या सार्वजनिक उपक्रम का हेल्पडेस्क—द्विभाषी रूप में कार्य करे। यही वह बिंदु है जहाँ राजभाषा नीति नागरिक जीवन को सीधे प्रभावित करती है।

नराकास का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं है। विदेशों में जहाँ भारतीय दूतावास और सार्वजनिक उपक्रम कार्यरत हैं, वहाँ भी नराकास जैसी समितियों के गठन का आदेश दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि राजभाषा नीति अब केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह प्रवासी भारतीयों और वैश्विक स्तर पर भी भारतीय संस्थानों की पहचान का हिस्सा बन चुकी है। यह व्यवस्था भारतीय भाषा की सांस्कृतिक शक्ति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करती है।

निश्चित ही, चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। कई बार कर्मचारियों को हिंदी में काम करने में तकनीकी कठिनाइयाँ आती हैं। यूनिकोड या कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग की जानकारी न होना, या द्विभाषी सॉफ़्टवेयर की कमी, इन समस्याओं को बढ़ा देती है। कहीं-कहीं अंग्रेज़ी की आदत इतनी गहरी हो जाती है कि हिंदी का प्रयोग गौण हो जाता है। परंतु नराकास इन चुनौतियों से जूझने का साहस देती है। समिति प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से कर्मचारियों को सक्षम बनाती है, तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराती है और एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करती है जहाँ हिंदी प्रयोग कोई बोझ नहीं, बल्कि सहज कर्म हो।

नराकास की बैठकों में महत्वपूर्ण पहलू है—प्रेरणा। जब किसी कार्यालय को यह सम्मान मिलता है कि उसने नगर-स्तर पर हिंदी कार्यान्वयन में सर्वोत्तम कार्य किया है, तो वह केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि एक आदर्श की स्थापना होती है। अन्य कार्यालय उस आदर्श से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। यही प्रेरणा हिंदी को शासकीय कार्यों का अभिन्न अंग बनाती है।

साहित्यिक दृष्टि से यदि हम विचार करें तो नराकास एक प्रकार का लोकतांत्रिक भाषा-मंच है। यहाँ हर संस्था की आवाज़ सुनी जाती है, हर अनुभव का मूल्य है और हर प्रयास का महत्व है। यह मंच किसी एक कार्यालय या विभाग का नहीं, बल्कि पूरे नगर का है। नगर की विविध आवाज़ें जब एक स्वर में हिंदी के लिए उठती हैं, तब यह समिति केवल प्रशासनिक इकाई नहीं रह जाती, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन का रूप ले लेती है।

भविष्य की दृष्टि से देखें तो नराकास की भूमिका और भी व्यापक होने वाली है। डिजिटल युग में जब अधिकांश सेवाएँ ऑनलाइन हो रही हैं, तब हिंदी में डिजिटल सामग्री, द्विभाषी वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ गई है। नराकास इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि समिति नगर के सभी कार्यालयों को एक साझा डिजिटल शब्दावली, द्विभाषी टेम्पलेट और प्रशिक्षण संसाधन उपलब्ध कराए, तो यह परिवर्तन की गति को और भी तीव्र कर सकती है।

अंततः, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक दायित्व है। यह दायित्व हमें हमारी भाषा के प्रति सजग बनाता है, हमारी पहचान को जीवित रखता है और हमारे लोकतंत्र को अधिक जनोन्मुखी बनाता है। हिंदी केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब यह आत्मा हमारे कार्यालयों में, हमारे दस्तावेज़ों में, हमारे प्रशिक्षणों में और हमारी सेवाओं में झलकती है, तभी यह कहा जा सकता है कि राजभाषा नीति सफल हुई, और इस सफलता के केंद्र में है—नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति।

अजय खरे
क्षे. का., रीवा

संसदीय राजभाषा समिति

संसदीय राजभाषा समिति संसद की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति है जो संघ सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों आदि का राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में समय-समय पर निरीक्षण करती है। इस समिति के कार्यकलाप और गतिविधियाँ राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 में वर्णित हैं, जिसके अनुसार समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे।

राजभाषा कार्य की प्रगति को सुचारु रूप से चलाने के लिए समिति को तीन उप-समितियों में विभाजित किया गया है। इन समितियों को अलग-अलग मंत्रालय आबंटित किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में तीसरी उप समिति द्वारा राजभाषा निरीक्षण किए जाते हैं।

समिति का गठन राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 4(1) के तहत किया जाता है। धारा 4(2) के अनुसार इस समिति में तीस सदस्य होते है, जिनमें से 20 लोक सभा के सदस्य तथा 10 राज्य सभा के सदस्य होते हैं, जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं। धारा 4(3) के अनुसरण में संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करते हुए समिति उन पर अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएंगे। धारा 4(4) के तहत निहित प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों के मत, यदि अभिव्यक्त किए हों, उन पर विचार करने के पश्चात उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेंगे, परंतु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।

आईए, थोड़ा इतिहास में देखते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत पहली संसदीय राजभाषा समिति का गठन वर्ष 1976 में किया गया था। इसके अध्यक्ष तत्कालीन गृह राज्य मंत्री, श्री ओम मेहता थे। लेकिन हम सभी यह भी जानते हैं कि भारत सरकार ने श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग का गठन वर्ष 1955 में किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1956 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत की थी। इसके पश्चात संविधान की धारा 344(1) के तहत एक संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था। समिति का प्रतिवेदन तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था और राष्ट्रपति द्वारा संविधान की धारा 344(6) के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेश दिनांक 27 अप्रैल, 1960 को जारी किए। इसने भारत में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई।

तीनों उप समितियों द्वारा 18,572 से अधिक कार्यालयों के निरीक्षण किए गए हैं तथा 882 गणमान्य व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य लिया गया है, जिनमें उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल हैं। इन कार्यों के आधार पर समिति अब तक अपने प्रतिवेदन के 12 खण्ड राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर चुकी है। प्रथम 9 खंडों में की गई सिफारिशों को दोनों सदन के पटल, राज्य सरकारों के मत के पश्चात् इन पर राष्ट्रपति के आदेश जारी किए गए हैं।

समिति के प्रथम 9 खंडों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा जारी कुछ प्रमुख आदेश इस प्रकार हैं। पहले खंड का प्रतिवेदन जनवरी, 1987 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रतिवेदन पर जारी आदेश में अनुवाद व्यवस्था को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं –

1. शेष अनुवाद कार्य को पूर्ण करना – इसके तहत फार्म, मैनुअल, विधि पुस्तकों और निर्णयों का अनुवाद, संसदीय विधियों का हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद, राज्यों के अधिनियम का हिंदी में प्राधिकृत पाठ, प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद मुख्य रूप से शामिल हैं।
2. अनुवाद व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण – इसमें मुख्य रूप से प्रक्रिया साहित्य के लिए अनुवाद व्यवस्था, द्विभाषिकता की नीति के कार्यान्वयन के लिए अनुवाद व्यवस्था, राजभाषा नियमों और अधिनियम के अनुपालन के लिए अनुवाद व्यवस्था, उपक्रमों के विधि साहित्य का अनुवाद, अनुवाद संबंधी पदों का सृजन, अधीनस्थ कार्यालयों में अनुवाद संबंधी कार्यों में संलग्न कर्मियों के लिए संवर्ग का गठन आदि प्रमुख हैं।
3. कोडों, मैनुअलों, तथा फार्मों का द्विभाषिक निर्माण, संशोधन, प्रकाशन एवं वितरण।
4. अनुवाद प्रशिक्षण – इसमें प्रमुख रूप से विभिन्न प्रकार के गैर-सांविधिक साहित्य, विधिक सामग्री के अनुवाद हेतु प्रशिक्षण तथा अनुवाद पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आदि शामिल हैं।
5. मानक शब्दावली का निर्माण।
6. मानक शब्दावली का प्रयोग, प्रचार-प्रसार और वितरण।
7. मूल प्रारूपण/ड्राफ्टिंग।
8. संदर्भ और सहायक साहित्य का निर्माण।
9. साथ ही शिक्षा, न्यायालय आदि में भाषाओं के प्रयोग के संबंध में भी

महत्वपूर्ण सिफारिशें समिति द्वारा की गई जिन्हें स्वीकार किया गया अथवा संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है।

दूसरे खंड का प्रतिवेदन जुलाई, 1987 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रतिवेदन पर जारी आदेश में यांत्रिक व्यवस्था

को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं –

1. टाइपराइटरों की खरीद, इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों के प्रयोग और देवनागरी सुविधा युक्त टाइपराइटरों की उपलब्धता और इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना।
2. हिंदी टाइपिंग तथा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण।
3. इलेक्ट्रानिकी विभाग कम्प्यूटर विकास प्रभाग में विशेष कक्ष की स्थापना।
4. कम्प्यूटरों में देवनागरी टर्मिनल लगाया जाना और देवनागरी कुंजीपटल का मानकीकरण।

तीसरे खंड का प्रतिवेदन फरवरी, 1989 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रतिवेदन पर जारी आदेश में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण और हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं –

1. कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण – इसके तहत हिंदी शिक्षण योजना तथा विभागीय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, हिंदी प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन व्यवस्था, निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना परीक्षा पास करने पर एकमुश्त प्रोत्साहन राशि, पाठ्यक्रमों में सुधार, प्रशिक्षण के लिए समय सीमा का निर्धारण, नए भर्ती होने वाले कार्मिकों का हिंदी प्रशिक्षण।
2. हिंदी शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम।
3. दीर्घ अवधि पाठ्यक्रमों में हिंदी का प्रशिक्षण।
4. हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन।
5. भर्ती के लिए साक्षात्कार में हिंदी का विकल्प।
6. प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण।
7. प्रशिक्षण पाठ्य सामग्री का अनुवाद।
8. प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को हिंदी सिखाना।

चौथे खंड का प्रतिवेदन नवंबर, 1989 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रतिवेदन पर जारी आदेश में मंत्रालय/विभागों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों और संस्थानों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन / हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं –

1. निरीक्षण तथा मॉनिटरिंग।
2. हिंदी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों का आयोजन।
3. अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन।
4. गोपनीय रिपोर्ट में राजभाषा के संबंध में प्रविष्टियाँ।
5. कम्प्यूटरों और शब्द संसाधकों में हिंदी का प्रयोग।
6. नराकास, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, हिंदी सलाहकार समितियों का गठन और बैठकों का समय पर आयोजन।
7. विभागीय बैठकों और सम्मेलनों के कार्यवृत्त और कार्यसूची में हिंदी का प्रयोग।
8. शब्दकोश और शब्दावली की व्यवस्था।
9. रजिस्टरों और सेवा पुस्तिकाओं में हिंदी का प्रयोग।
10. जाँच बिंदु की स्थापना।
11. द्विभाषी प्रकाशन।

पांचवें खंड के प्रतिवेदन पर जारी आदेश में विधायन की भाषा तथा विभिन्न न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं –

1. राजभाषा विभाग का सुदृढ़ीकरण।
2. लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय द्वारा राजभाषा नीति का अनुपालन।
3. उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों / निर्णयों, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में भाषा का प्रयोग।

छठे खंड के प्रतिवेदन पर जारी आदेश विदेश स्थित भारतीय उच्चायोगों, कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में हिंदी के प्रयोग की स्थिति तथा केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के कार्यालयों के बीच परस्पर पत्र-व्यवहार की भाषा से संबंधित हैं। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं –

1. प्रतिवेदन के पहले 5 खंडों में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा कार्यवाही के संबंध में सिफारिशें।
2. राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परस्पर पत्र व्यवहार में संघ तथा राज्य की राजभाषाओं का प्रयोग।
3. विदेश स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रगामी प्रयोग।

सांतवे खंड के प्रतिवेदन पर जारी आदेश सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी में लेखन कार्य, विधि संबंधी कार्यों में राजभाषा हिंदी की स्थिति, सरकारी कामकाज़ में हिंदी के प्रयोग हेतु प्रचार-प्रसार, सरकारी कामकाज में प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों से जुड़े प्रकाशनों की हिंदी में उपलब्धता, राज्यों में राजभाषा हिंदी की स्थिति, वैश्वीकरण और हिंदी का कम्प्यूटरीकरण एक चुनौती से

संबंधित हैं। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं –

1. केंद्रीय हिंदी समिति तथा हिंदी सलाहकार समिति।
2. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति।
3. कार्यालयों में पुस्तकालय।
4. विधायी कामकाज में हिंदी का प्रयोग।

आठवें खंड का प्रतिवेदन अगस्त, 2005 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रतिवेदन पर जारी आदेश राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3), राजभाषा नियम 1976 के नियम 5, हिंदी में पत्राचार, प्रकाशन, कोड-मैनुअल एवं प्रशिक्षण से संबंधित राष्ट्रपति के आदेशों का अनुपालन की स्थिति का मंत्रालयवार/क्षेत्रवार मूल्यांकन, केंद्र सरकार के कार्यालयों में पुस्तकों की खरीद, कम्प्यूटरीकरण और हिंदी, हिंदी विज्ञापनों पर व्यय से संबंधित हैं। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं –

1. हिंदी कार्यशालाओं में धारा 3(3) की अनिवार्यता पर सत्र।
2. तकनीकी एवं उच्च शिक्षा हिंदी में दी जाए एवं हिंदी में पुस्तकें तैयार की जाएं।
3. फिनेकल एवं एटीएम सेवाओं में हिंदी।
4. वेबसाइट अनिवार्यतः द्विभाषी में तैयार कराना।
5. नए उत्पादों एवं ब्रांडों के नाम हिंदी में रखे जाएं।

नौवां खंड का प्रतिवेदन जून, 2011 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रतिवेदन पर जारी आदेश राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3), राजभाषा नियम 1976 के नियम 5, हिंदी में पत्राचार, अनुपालन की स्थिति का मंत्रालयवार/क्षेत्रवार मूल्यांकन, कम्प्यूटरीकरण और हिंदी, वेबसाइट, हिंदी विज्ञापनों पर व्यय से संबंधित हैं। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं –

1. मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों/ उपक्रमों/ आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा में दिए जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
2. सर्वोच्च राजकीय पदों पर बैठे सभी को, विशेषकर जिन्हें हिंदी बोलनी और पढ़नी आती है, वे अपने भाषण/वक्तव्य हिंदी में ही दें या पढ़ें, इसका आग्रह करना चाहिए। इस श्रेणी में राष्ट्रपति सहित सभी मंत्री आते हैं।

हम कह सकते हैं कि समिति का मुख्य उद्देश्य हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में सरकारी कामकाज में अधिक प्रभावी बनाना है। इसके लिए प्रशासनिक, तकनीकी और प्रशिक्षण संबंधी उपाय बताना है। समिति की सिफारिश के प्रतिवेदन उन पर जारी राष्ट्रपति के आदेश यह सुनिश्चित करते हैं कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़े, कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान हो, तकनीकी साधनों में हिंदी और भारतीय भाषाएं सक्षम बनें, और प्रचार-प्रसार के माध्यम से हिंदी को प्रोत्साहन मिले। नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन से इन प्रयासों की प्रगति पर निगरानी रखी जाती है। हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रभावी बनाने पर बल दिया गया है। इन सिफारिशों से हिंदी के साथ-साथ भारतीय भाषाओं का उपयोग अधिक व्यापक हुआ है।

संसदीय राजभाषा समिति की वेबसाइट www.samiti.rajbhasha.gov.in पर समिति के कार्य, प्रश्नावली, सिफारिशों पर जारी राष्ट्रपति के आदेश आदि की विस्तृत जानकारी ली जा सकती है।

विवेकानंद
राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग,
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

माँ

पितृपक्ष की मातृ-नवमी
मातृ-पूर्वजाओं के नाम
जो विराज रही हैं परम धाम
उनकी ही सृष्टि अम्बरीष...
आज उनको करता प्रणाम।

मेरी माँ, मर गयी....
मैंने उनका श्राद्ध कर दिया
क्या ! माँ, सचमुच मर गयी
नहीं, माँ, कभी नहीं मरती
वह सदा ही जीवित रहती
मुझमें, तुझमें, हम सबमें।

माँ मर जाएगी...
तब धरती पर
नव अंकुर कैसे खिलेगा
नई कोपलें कैसे खिलेंगी
माँ तो रोज सृष्टि रचती है
नई किलकारियाँ भरती है
माँ, कभी नहीं मरती है।

माँ, संस्कृति रचती है
जिस पर सभ्यता पलती है
इस धरा की कोख....
सदैव हरी-भरी रखती है
माँ, कभी नहीं मरती है।

माँ, वीर, वीरांगनाएँ जनती है
जिस पर वसुंधरा नाज करती है
माँ की संतति ही.....
वसुधा पर राज करती है
माँ, कभी नहीं मरती है।

गांधारी, कुंती, यशोदा, कौशल्या
ये हमारी माँ के नाम हैं
इनकी ही उत्पत्ति....
कौरव, पाडव, कृष्ण और राम हैं
माँ ही सृष्टि है....
सृष्टि सदैव जीवित रहती है
माँ, कभी नहीं मरती है।

अम्बरीष कुमार सिंह
राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग,
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

राजभाषा विभाग के 50 वर्ष

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 के अनुरूप हिन्दी को राजभाषा के रूप में सशक्त और व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करने हेतु की गई थी। विगत पचास वर्षों में इस विभाग ने देश की प्रशासनिक भाषा प्रणाली को हिन्दी के अनुरूप ढालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

राजभाषा विभाग की यह यात्रा न केवल नियमों और नीतियों तक सीमित रही, बल्कि इसने प्रशासनिक, शैक्षिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा दिया। विभाग द्वारा समय-समय पर राजभाषा नियम, वार्षिक कार्यक्रम, कार्यान्वयन समितियां और हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन कर हिंदी को व्यवहार की भाषा बनाने का प्रयास किया गया।

पचास वर्षों की यह यात्रा केवल एक विभाग की नहीं, बल्कि एक भाषा को जन-जन तक पहुँचाने की प्रतिबद्धता की कहानी है। यह हिंदी को शासन और प्रशासन में एक जीवंत, आधुनिक और सक्षम भाषा के रूप में स्थापित करने की प्रेरणादायक गाथा है।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संघ का राजकीय कार्य करने हेतु प्रत्येक वर्ष हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की समीक्षा, मॉनिटरिंग आदि करने के लिए अनेक समितियां गठित की गई है जिनका संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार है:-

केंद्रीय हिंदी समिति:

माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में समन्वय स्थापित करने के आशय से वर्ष 1967 में हिंदी के व्यापक स्तर पर प्रचार तथा प्रगामी प्रयोगार्थ किया गया था। यह राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है।

हिंदी सलाहकार समिति:

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के सुचारु रूप से कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मंत्री की अध्यक्षता में वर्तमान में 54 मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां गठित की हैं। इस समिति को वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करना अपेक्षित है।

केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति:

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए गठित की गई है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां:

राजभाषा हिंदी के प्रयोग से संबंधित अनुदेशों के कार्यान्वयन और इसमें बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए देश के विभिन्न नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई है। नगर विशेष में स्थित केंद्रीय कार्यालयों आदि के विभागाध्यक्ष इन समितियों के सदस्य होते हैं और उनमें से वरिष्ठतम अधिकारी इन समितियों के अध्यक्ष नामित किए जाते हैं। प्रत्येक समिति की वर्ष में 2 बैठकें आयोजित करना अपेक्षित है।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां:

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं। मंत्रालयों/विभागों में इन समितियों में संयुक्त सचिव स्तर अथवा उससे ऊपर के अधिकारी अध्यक्ष होते हैं तथा विभिन्न प्रभागों के अधिकारी इनमें सदस्य होते हैं। इसकी बैठकें तीन माह में एक बार आयोजित होती हैं।

संसदीय राजभाषा समिति:

संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत वर्ष 1976 में किया गया। इस समिति में संसद के 30 सदस्य होने का प्रावधान है, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एक संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस समिति का कर्तव्य संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन कर और उस पर सिफ़ारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान:

राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना दिनांक 21 अगस्त, 1985 को की गई थी। इस विभाग की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, उद्यमों, निगमों तथा बैंकों आदि में नए भर्ती, हिंदी न जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का तथा अँग्रेजी टंकण और अँग्रेजी आशुलिपि जानने वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के उप-संस्थान:

संस्थान के कार्यकलापों को गति देने और प्रशिक्षण क्षमता के विस्तार के लिए संस्थान के अंतर्गत मुंबई, कोलकाता, बेंगलूरु, हैदराबाद और चेन्नै में 5 उप-संस्थान काम कर रहे हैं। साथ ही हिंदी शिक्षण योजना के गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं।

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय:

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/बीमा कंपनियों/निगमों/बोर्डों आदि में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार प्रसार की ज़िम्मेदारी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की है। इस प्रयोजन के लिए, देश के विभिन्न क्षेत्रों में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं जो क्षेत्रीय आधार पर संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखते हैं।

प्रमुख उपलब्धियां :

1. **राजभाषा अधिनियम और नियमों का क्रियान्वयन :**

   संघ सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम 1963 एवं राजभाषा नियम 1976, राजभाषा संकल्प 1968 तथा समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग का एक नोडल विभाग है। इसकी स्थापना जून, 1975 में की गई थी। यह विभाग केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनेक गतिविधियां चला रहा है। इनमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी भाषा, हिंदी आशुलिपि, हिंदी टंकण व अनुवाद का प्रशिक्षण देना, कार्यालयों का निरीक्षण करना, आवधिक रिपोर्ट के माध्यम से प्रगति पर निगरानी रखना, राजभाषा कार्यान्वयन के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करना, अखिल भारतीय तथा क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलन आदि करना शामिल है।

2. **वार्षिक कार्यक्रमों का संचालन:**

   राजभाषा विभाग प्रत्येक वर्ष हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। वर्ष 2025-26 के लिए जारी कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों और लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। जिससे सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाया जा सके।

3. **प्रोत्साहन योजनाएं और पुरस्कार:**

   विभाग ने कई पुरस्कार और प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू की जिनके माध्यम से हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागों, कार्यालयों और व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है:

- **राजभाषा कीर्ति पुरस्कार:** पूर्व नाम इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड (अखिल भारतीय वर्ष 1986-1987 से) (बैंकों/उद्यमों, उपक्रमों एवं सरकारी विभागों के लिए पृथक) है। यह शील्ड पुरस्कार प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 6 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है:

  क) मंत्रालय/विभाग

  ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

  ग) बोर्ड/ट्रस्ट/स्वायत्त निकाय आदि

  घ) राष्ट्रीयकृत बैंक (कुल 6 पुरस्कार, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय)

  ङ) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास सम्मान, तीन क्षेत्र में 2 पुरस्कार, प्रथम व द्वितीय)

  च) हिंदी गृह पत्रिका (तीन क्षेत्र में 2 पुरस्कार, प्रथम व द्वितीय)

- **राजभाषा गौरव पुरस्कार:** हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई। वर्ष 2022-23 से संशोधित गौरव पुरस्कार योजना लागू की गई है। 4 अलग-अलग श्रेणियों में इसके तहत नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र का प्रावधान है।

- **गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार:** क्षेत्रीय/अंचल कार्यालयों द्वारा हर तिमाही प्रस्तुत की जाने वाली हिंदी प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय द्वारा अपने क्षेत्राधीन कार्यरत कार्यालयों को प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।

- **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजभाषा शील्ड (समिति सदस्य कार्यालयों के बीच):** यह शील्ड पुरस्कार समिति के सदस्य कार्यालयों द्वारा वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन/हिंदी के प्रयोग के लिए उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर समिति के अध्यक्ष (संयोजक बैंक) द्वारा

नराकास की बैठक में प्रदान किया जाता है।

- **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पत्रिका पुरस्कार:**

  यह शील्ड समिति के सदस्य कार्यालयों द्वारा श्रेष्ठ पत्रिका प्रकाशित करने वाले कार्यालय को समिति की बैठक में संयोजन कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है।

  इन योजनाओं के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों और संस्थानों को हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया जाता है।

4. प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं :

सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी में दक्ष बनाने के लिए विभाग नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन करता है। कम्प्यूटर आधारित हिन्दी टाइपिंग और अनुवाद प्रशिक्षण भी शुरू किए गए हैं।

5. तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में हिन्दी का विकास:

तकनीकी एवं वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुवाद, लेखन और प्रकाशन कार्य को बढ़ावा दिया गया। कई वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियाँ हिन्दी में विकसित की गई।

- **यूनिकोड को सक्रिय करना:**

  कम्प्यूटर पर हिंदी के प्रयोग के लिए पहली आवश्यकता यूनिकोड को सक्रिय करने की होती है। यूनिकोड एनकोडिंग को सक्रिय करते ही कंप्यूटर किसी भी भाषा में काम करने के लिए सक्षम हो जाता है।

- **कुंजीपटल/की-बोर्ड के विकल्प:**

  यूनिकोड को सक्रिय करने के बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार की-बोर्ड के विकल्प का चयन कर, उसे इंस्टाल करना होता है। मुख्यतः तीन विकल्प है:

  क) इनस्क्रिप्ट की-बोर्ड

  ख) रेमिंग्टन की-बोर्ड

  ग) फोनेटिक की-बोर्ड

  इसे सीख लेने के बाद किसी भी भारतीय भाषा में टाइपिंग की जा सकती है क्योंकि भारतीय भाषाओं के लिए इनस्क्रिप्ट एक समान है।

- **श्रुतलेखन (स्पीच टू टैक्स्ट टूल) :**

  इस विधि में प्रयोक्ता माइक्रोफोन में बोलता है तथा कंप्यूटर में मौजूद स्पीच टू टैक्स्ट प्रोग्राम उसे प्रोसेस कर पाठ/टैक्स्ट में बदलकर लिखता है। यह टूल राजभाषा विभाग के साइट पर उपलब्ध है।

- **मंत्र – राजभाषा :**

  मंत्र-राजभाषा एक मशीन साधित अनुवाद सिस्टम है, जो राजभाषा के प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा एवं बैंकिंग क्षेत्रों के दस्तावेजों का अँग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता है।

- **ई-महाशब्दकोश:**

  ई-महाशब्दकोश एक द्विभाषी-द्विआयामी उच्चारण शब्दकोश है। ई-महाशब्दकोश की विशेषताएँ निम्न प्रकार से हैं:-

  ✓ देवनागरी लिपि यूनिकोड फॉन्ट में

  ✓ हिंदी/अँग्रेजी शब्दों का उच्चारण

  ✓ अँग्रेजी/हिंदी अक्षरों द्वारा शब्द खोज

- **लीला हिंदी पाठ्यक्रम एवं ऑनलाइन परीक्षाएँ:**

  निशुल्क हिंदी भाषा सीखने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा तैयार कराए गए लीला हिंदी प्रबोध, लीला हिंदी प्रवीण तथा लीला हिंदी प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा विभिन्न केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उपसंस्थानों से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

पिछले पचास वर्षों में राजभाषा विभाग ने भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी को प्रशासनिक, विधायी, न्यायिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में सशक्त रूप से स्थापित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस अवधि में विभाग ने न केवल हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा दिया, बल्कि इसे एक प्रभावी सम्प्रेषण माध्यम के रूप में विकसित भी किया। राजभाषा नीतियों के क्रियान्वयन, सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन, अनुवाद सेवाओं का विस्तार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विभाग ने राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक सुगमता में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही, तकनीकी विकास के साथ कदम मिलाते हुए राजभाषा को डिजिटल युग से जोड़ने का भी सफल प्रयास किया है। विभाग ने अपने सतत प्रयासों और दृढ़ संकल्प से हिंदी को न केवल प्रशासनिक स्तर पर बल्कि जनमानस के बीच भी एक सशक्त भाषा के रूप में स्थापित किया है। आने वाले समय में राजभाषा नई ऊंचाइयों को छूए, यही अपेक्षा है।

नमिता प्रसाद
अं. का., मेरठ

5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

भारत सरकार के नराकास प्रोत्साहन पुरस्कार में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

राजभाषाई निरीक्षण

भारत एक अद्वितीय राष्ट्र है जहाँ भाषाई विविधता का अनुपम संगम विद्यमान है। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और इन भाषाओं के अतिरिक्त सैकड़ों बोलियाँ एवं उपभाषाएँ प्रचलित हैं। इस बहुभाषी परिदृश्य में प्रशासनिक, विधायी तथा न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन हेतु एक साझा भाषा का होना अनिवार्य था। इसी संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी (देवनागरी लिपि सहित) को मान्यता प्रदान की।

किन्तु किसी भी नीति या संवैधानिक व्यवस्था की सफलता केवल प्रावधानों तक सीमित न होकर उसके व्यवहारिक कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर निगरानी एवं मूल्यांकन की आवश्यकता अनुभव की गई। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु 'राजभाषाई निरीक्षण' की व्यवस्था विकसित हुई। यह निरीक्षण एक प्रकार से "भाषाई लेखा-परीक्षा" है, जिसके अंतर्गत यह परखा जाता है कि सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग कितनी मात्रा में, किन-किन रूपों में और किस स्तर तक हो रहा है। यह प्रक्रिया न केवल हिंदी भाषा की स्थिति का आकलन करती है, बल्कि भाषा नीति की प्रभावशीलता, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा नागरिकों और शासन के बीच संप्रेषणीय अंतराल को भी परखती है।

संस्थागत ढाँचा और संगठनात्मक संरचना

राजभाषाई निरीक्षण की प्रणाली बहुस्तरीय है। इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं—

1. **संसदीय राजभाषा समिति** – 30 सदस्यों वाली यह समिति राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है और यह सुनिश्चित करती है कि राजभाषा नीति का अनुपालन हो रहा है।
2. **गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग** – यह विभाग समस्त मंत्रालयों/विभागों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है।
3. **क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय** – विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में स्थापित कार्यालय निरीक्षण कार्य को विकेंद्रीकृत ढंग से संपन्न करते हैं।
4. **संस्थागत राजभाषा समितियाँ** – सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ, बैंक और बीमा कंपनियाँ आंतरिक समितियाँ गठित करती हैं जो अपने-अपने स्तर पर निगरानी रखती हैं।

इस प्रकार राजभाषाई निरीक्षण शीर्ष से लेकर स्थानीय इकाई तक का व्यापक ढाँचा निर्मित करता है।

राजभाषाई निरीक्षण : प्रक्रिया का गहन विश्लेषण

निरीक्षण प्रणाली केवल औपचारिक जाँच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनेक स्तरों पर विश्लेषण करती है। यथा,

1. **प्रशासनिक भाषा प्रयोग का अनुपात** – विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अभिलेखों, आदेशों और पत्राचार का परीक्षण कर यह निर्धारित किया जाता है कि हिंदी का प्रयोग कुल कार्य का कितना प्रतिशत है। उदाहरणतः किसी मंत्रालय ने यदि 60% पत्राचार हिंदी में किया और 40% अंग्रेज़ी में, तो यह अनुपात उसके भाषा-प्रयोग की वास्तविक स्थिति दर्शाता है।
2. **भाषा प्रयोग की गुणवत्ता** – केवल संख्यात्मक आँकड़े पर्याप्त नहीं होते। भाषा की शुद्धता, औपचारिकता और व्यवहारिकता का भी निरीक्षण किया जाता है। कई बार हिंदी का प्रयोग सतही स्तर पर किया जाता है, जिसमें अनुवाद शुद्ध नहीं होते या अंग्रेज़ी शब्दों का अत्यधिक मिश्रण होता है। यह गुणवत्ता संबंधी चुनौती है।
3. **डिजिटल संदर्भ** – आज सरकारी कार्यों का बड़ा हिस्सा ई-ऑफिस और डिजिटल प्लेटफार्म पर आधारित है। निरीक्षण इस बात की जाँच करता है कि क्या इन प्लेटफार्म पर हिंदी सॉफ्टवेयर, यूनिकोड फॉन्ट, और हिंदी में डेटा एंट्री की सुविधा उपलब्ध है।
4. **मानव संसाधन विकास** – निरीक्षण में यह भी आकलन किया जाता है कि कर्मचारियों को हिंदी कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन योजनाएँ किस हद तक उपलब्ध कराई गईं। यदि कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं होंगे, तो हिंदी प्रयोग सीमित रहेगा।
5. **भाषाई संवेदनशीलता** – गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रति दृष्टिकोण, स्थानीय भाषाओं के साथ संतुलन और कर्मचारियों की स्वीकार्यता भी निरीक्षण का महत्वपूर्ण पक्ष है।

राजभाषाई निरीक्षण की प्रक्रिया और मानदंड

राजभाषाई निरीक्षण में मात्र आंकड़ों का संकलन नहीं किया जाता, बल्कि कार्यालय के दैनिक कार्यों की गहन समीक्षा की जाती है। निरीक्षण के मुख्य मानदंड इस प्रकार हैं -

1. **पत्राचार** – हिंदी क्षेत्र एवं गैर-हिंदी क्षेत्र में भेजे/प्राप्त किए गए पत्रों की भाषा का परीक्षण।
2. **दस्तावेज़ एवं अभिलेख** – आदेश, परिपत्र, नोटशीट, प्रतिवेदन आदि का हिंदी में निर्माण।
3. **बैठक एवं संवाद** – बैठकों, सेमिनारों और सम्मेलनों में हिंदी प्रयोग की स्थिति।
4. **कंप्यूटर और तकनीक** – ई-ऑफिस, यूनिकोड आधारित सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन पत्राचार में हिंदी का प्रयोग।
5. **प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ** – कर्मचारियों को हिंदी टंकण और कार्यालयीन कार्य हेतु प्रशिक्षित करने की व्यवस्था।
6. **त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन** – प्रत्येक विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा।

निरीक्षण दल विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करता है, जिसमें उपलब्धियाँ, कमियाँ तथा सुधारात्मक सुझाव सम्मिलित रहते हैं।

गहन विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि निरीक्षण केवल एक नियंत्रण-तंत्र न होकर 'भाषाई सुधार तंत्र' भी है। इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है -

1. **भाषा-नीति का कार्यान्वयन** – निरीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि संविधान और अधिनियम में किए गए प्रावधान केवल घोषणाएँ न रह जाएँ।

2. **भाषाई एकीकरण** – हिंदी प्रयोग से देश के विभिन्न भागों के बीच प्रशासनिक समन्वय सुगम बनता है।
3. **जनसंपर्क की सरलता** – जब सरकारी दस्तावेज़ और आदेश हिंदी में होते हैं, तो आम नागरिकों को शासन से जुड़ने में सरलता होती है।
4. **उत्तरदायित्व और पारदर्शिता** – निरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक संस्थानों की पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करते हैं।
5. **भाषाई प्रतिस्पर्धा** – कार्यालयों और उपक्रमों में बेहतर प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा हिंदी के विकास को गति देती है।

निरीक्षण का सकारात्मक प्रभाव

इन चुनौतियों के बावजूद निरीक्षण प्रणाली ने अनेक उल्लेखनीय सफलताएँ अर्जित की हैं—

1. केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हिंदी प्रयोग का प्रतिशत निरंतर बढ़ा है।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों ने ग्राहक सेवा और संचार में हिंदी को व्यापक रूप से अपनाया है।
3. ई-ऑफिस और डिजिटल प्लेटफार्मों पर हिंदी का प्रयोग सशक्त हुआ है।
4. 'राजभाषा पुरस्कार प्रणाली' ने प्रतियोगी भावना को प्रोत्साहित किया है।
5. राजभाषा समितियों के नियमित दौरे से कार्यालयों की कार्यसंस्कृति में हिंदी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है।

प्रौद्योगिकी और राजभाषाई निरीक्षण

डिजिटल युग ने राजभाषाई निरीक्षण को नई दिशा दी है। अब अधिकांश प्रगति प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाते हैं। 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' आधारित अनुवाद उपकरण, यूनिकोड फॉन्ट, स्पीच-टू-टेक्स्ट एवं ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म ने हिंदी प्रयोग को सशक्त बनाया है। इससे न केवल निरीक्षण की पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रयोग सहज हुआ है।

निरीक्षण के परिणामों से स्पष्ट होता है कि जहाँ नेतृत्व की पहल सक्रिय है, वहाँ हिंदी का प्रयोग स्वतः बढ़ जाता है। उदाहरणस्वरूप, कुछ मंत्रालयों ने अपने आदेशों और परिपत्रों को प्राथमिकता से हिंदी में जारी करने का संकल्प लिया, जिससे कर्मचारियों में हिंदी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ।

इसके विपरीत, जहाँ हिंदी को केवल औपचारिकता समझा गया, वहाँ निरीक्षण रिपोर्टों में बार-बार वही कमियाँ सामने आती रहीं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी प्रयोग की सफलता केवल निरीक्षण तंत्र पर नहीं, बल्कि संगठनात्मक संस्कृति और नेतृत्व की प्रतिबद्धता पर भी निर्भर है।

एक अन्य विश्लेषणात्मक दृष्टि यह है कि निरीक्षण के कारण हिंदी प्रयोग में प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित हुई है। विभिन्न कार्यालय, उपक्रम और बैंक बेहतर प्रदर्शन कर राजभाषा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उत्साहित रहते हैं। यह प्रतिस्पर्धा अंततः हिंदी की प्रगति के लिए लाभकारी सिद्ध होती है।

भविष्य की संभावनाएँ और सुझाव

राजभाषाई निरीक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपेक्षित हैं -

1. **प्रशिक्षण का विस्तार** – प्रत्येक कर्मचारी को हिंदी कार्यालयीन कार्य, नोटिंग-ड्राफ्टिंग और डिजिटल हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अवश्य दिया जाए।
2. **तकनीकी समावेश** – कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद एवं वाक्-प्रसंस्करण तकनीकों का व्यापक प्रयोग।
3. **पारदर्शिता** – निरीक्षण रिपोर्टों को सार्वजनिक कर नागरिकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना।
4. **भाषाई संतुलन** – हिंदी प्रचार-प्रसार करते समय क्षेत्रीय भाषाओं का प्रसार भी सुनिश्चित करना।
5. **पुरस्कार और दंड नीति** – उत्कृष्ट हिंदी प्रयोग को प्रोत्साहन और लापरवाही पर उत्तरदायित्व तय करना।

हिंदी को राजभाषा के रूप में व्यवहारिक रूप से स्थापित करने की दिशा में निरीक्षण प्रणाली एक सेतु का कार्य करती है। यद्यपि इसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं, तथापि उपलब्धियों और निरंतर सुधार की प्रक्रिया ने इसे प्रभावी और प्रासंगिक बनाए रखा है।

भविष्य में यदि इस प्रणाली को नवाचार, प्रशिक्षण और पारदर्शिता से और सशक्त किया जाए, तो निश्चय ही हिंदी राजभाषा के रूप में भारतीय प्रशासनिक जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि भारत की बहुभाषी विविधता और हिंदी की एकात्मक भूमिका के बीच संतुलन कायम रहे।

मिनाक्षी
क्षे. का., जालंधर

श्री धर्मबीर, उप निदेशक (रा.भा.) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कार्यालय, मुंबई का राजभाषाई निरीक्षण दिनांक 19.08.2025 को किया गया। इस अवसर पर कार्यपालकों हेतु विशेष राजभाषा संगोष्ठी एवं राजभाषा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

वित्त एवं लेखा विभाग की शब्दावली

वित्त एवं लेखा, किसी भी वित्तीय संस्थान की कार्यप्रणाली का एक अभिन्न अंग है। इसमें संस्थान के वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, वित्तीय निर्णयों की दिशा, आय-व्यय का लेखा तथा कारोबार से जुड़ी सभी वित्तीय गतिविधियों का नियमन किया जाता है। वित्त एवं लेखा विभाग यह सुनिश्चित करता है कि संस्थान की तिमाही, छमाही एवं वार्षिक लेखाबंदी निर्धारित मानकों के अनुसार की जाए। शाखाएँ एवं कार्यालय इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र, सूचना एवं प्रेस विज्ञप्ति पर ही आधारित होकर लेखांकन संबंधी कार्य संपन्न करते हैं। इस कारण विभागीय संचार का द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेज़ी) होना अत्यंत आवश्यक है।

विभाग विक्रेता भुगतान हेतु सीवीपीएम प्रणाली का प्रबंधन करता है तथा इसके संचालन से संबंधित दिशानिर्देश भी जारी करता है। इस प्रकार विभाग का लक्ष्य संस्थान के वित्तीय कार्यों को सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना है।वित्त एवं लेखा विभाग में कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे वित्तीय शब्दावली के हिन्दी-अंग्रेज़ी रूप से परिचित हों, ताकि शाखाओं, कार्यालयों एवं अन्य विभागों के साथ प्रभावी संचार हो सके। इन शब्दों की जानकारी न केवल इस विभाग के लिए, बल्कि अन्य विभागों एवं शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है।

बैंक में प्रयोग किए जाने वाले एवं विशेष महत्व रखने वाले वित्तीय शब्दों एवं पदबंधों का परिचय कराने के उपक्रम में वित्त एवं लेखा विभाग के काम-काज में प्रचलित प्रमुख एवं बहुधा प्रयुक्त शब्दों तथा उनके हिंदी अनुवाद का संकलन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कठिन एवं कम परिचित शब्दों का अर्थ और प्रयोग भी साथ ही दिया गया है।

1. Chartered Accountant (CA): सनदी लेखाकार (सीए)

   अर्थ: वह पेशेवर जो लेखांकन, लेखापरीक्षा, कराधान, वित्तीय नियोजन एवं परामर्श में प्रमाणित विशेषज्ञ होता है और जिसे वैधानिक मान्यता प्राप्त है।

   प्रयुक्ति: किसी भी कंपनी के वार्षिक वित्तीय अभिलेखों की जाँच हेतु सनदी लेखाकार की नियुक्ति अनिवार्य है।

2. Paid Chartered Accountant (CA): वैतनिक सनदी लेखाकार (सीए)

   अर्थ: वह सनदी लेखाकार जो किसी संस्था या संगठन में वेतन पर कार्य करता है, न कि स्वतंत्र रूप से।

   प्रयुक्ति: बैंक ने अपने वित्तीय विभाग के लिए एक वैतनिक सीए नियुक्त किया है।

3. Statutory Branch Auditor: सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक

   अर्थ: कंपनी अधिनियम अथवा लागू कानूनों के अंतर्गत किसी बैंक की शाखा के वित्तीय विवरण की जाँच एवं सत्यापन हेतु नियुक्त लेखापरीक्षक।

   प्रयुक्ति: बैंक की शाखा के वित्तीय अभिलेखों का सत्यापन सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक द्वारा किया गया।

4. Statutory Central Auditor: सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

   अर्थ: विधिक प्रावधानों के अंतर्गत संपूर्ण बैंक के वित्तीय अभिलेखों एवं विवरण की स्वतंत्र जाँच हेतु नियुक्त लेखापरीक्षक।

   प्रयुक्ति: वार्षिक तुलन -पत्र का सत्यापन सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक द्वारा किया गया।

5. Financial Statement: वित्तीय विवरण

   अर्थ: किसी संस्था की आय, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों का व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत करने वाला दस्तावेज़।

   प्रयुक्ति: निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी ने अपने वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशित किए।

6. Concurrent Audit: संगामी लेखापरीक्षा

   अर्थ: किसी संस्था की वित्तीय गतिविधियों का उसी समय, नियमित रूप से एवं लगातार किया जाने वाला लेखापरीक्षण।

   प्रयुक्ति: बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने हेतु सभी प्रमुख शाखाओं में संगामी लेखापरीक्षा की जाती है।

7. Memorandum of Changes: परिवर्तन ज्ञापन

   अर्थ: लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए परिवर्तनों अथवा सुधारों का विवरण प्रस्तुत करने वाला ज्ञापन।

   प्रयुक्ति: सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपने परिवर्तन ज्ञापन में कई त्रुटियों की ओर संकेत किया।

8. Waiving of Audit Objections: लेखापरीक्षा की आपत्ति का अधित्याग

   अर्थ: जब लेखापरीक्षा में उठाई गई आपत्तियों को नियामक अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा हटाया या माफ़ कर दिया जाए।

   प्रयुक्ति: नियंत्रक प्राधिकरण ने सभी मामूली त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा की आपत्तियों का अधित्याग कर दिया।

9. Consolidated Financial Statements: समेकित वित्तीय विवरण

   अर्थ: एक कंपनी तथा उसकी सहयोगी/सहायक कंपनियों के संयुक्त वित्तीय परिणामों को प्रदर्शित करने वाला विवरण।

   प्रयुक्ति: निवेशकों के लिए समूह की समग्र स्थिति दिखाने हेतु समेकित वित्तीय विवरण प्रकाशित किए जाते हैं।

10. Institute of Chartered Accountants: भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

    अर्थ: भारत में सनदी लेखाकारों की शिक्षा, परीक्षा एवं आचार संहिता का नियामक एवं नियंत्रक निकाय।

    प्रयुक्ति: भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने नए लेखा मानक लागू किए हैं।

11. Accounting Standard: लेखा मानक

    अर्थ: वित्तीय विवरण तैयार करने एवं

प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित नियमों एवं सिद्धांतों का समूह।

प्रयुक्ति: कंपनी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सभी लेखा मानकों का पालन किया।

12. Audited and Admitted: लेखापरीक्षित एवं स्वीकृत

अर्थ: वित्तीय विवरण का स्वतंत्र रूप से परीक्षण कर उसकी प्रामाणिकता को स्वीकार कर लिया गया हो।

प्रयुक्ति: बैंक की बैलेंस शीट को लेखापरीक्षित एवं स्वीकृत कर दिया गया।

13. Balance an Account: लेखा संतुलित करना

अर्थ: किसी खाते की सभी प्रविष्टियों को जोड़कर उसके शेष या बैलेंस को स्पष्ट करना।

प्रयुक्ति: लेखा वर्ष के अंत में सभी खातों को संतुलित किया गया।

14. Internal Audit: आंतरिक लेखापरीक्षा

अर्थ: किसी संगठन द्वारा अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं और वित्तीय गतिविधियों की जाँच हेतु किया जाने वाला लेखापरीक्षण।

प्रयुक्ति: कंपनी ने नियंत्रण मजबूत करने हेतु नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा लागू की।

15. Sister Concern: सहयोगी संस्था

अर्थ: किसी समूह के अंतर्गत कार्यरत अन्य संबंधित कंपनी या संस्था।

प्रयुक्ति: एबीसी प्रा.लि. और उसकी सहयोगी संस्था एक्सवाईज़ेड लिमिटेड संयुक्त रूप से परियोजना चला रही हैं।

16. Main Partner: मुख्य साझेदार/भागीदार

अर्थ: किसी फर्म का प्रमुख या नेतृत्वकारी भागीदार जो मुख्य निर्णय लेने में भूमिका निभाता है।

प्रयुक्ति: लेखा फर्म के मुख्य साझेदार ने वार्षिक रणनीति प्रस्तुत की।

17. Proprietor: स्वत्वधारी

अर्थ: किसी व्यवसाय या फर्म का एकल स्वामी।

प्रयुक्ति: इस लघु उद्योग के स्वत्वधारी स्वयं उत्पादन एवं विपणन की देखरेख करते हैं।

18. Full-Time Partners (FTPs): पूर्णकालिक भागीदार

अर्थ: वे भागीदार जो किसी फर्म में पूरे समय कार्य करते हैं और अन्य व्यवसायों में संलग्न नहीं होते।

प्रयुक्ति: सांविधिक प्रावधानों के तहत फर्म में पूर्णकालिक भागीदारों की जानकारी दर्ज करना आवश्यक है।

19. Fellow Chartered Accountant (FCA): अध्येता सनदी लेखाकार

अर्थ: भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का वह सदस्य जिसे लंबा अनुभव प्राप्त हो और जिसे 'फैलो' की उपाधि दी गई हो।

प्रयुक्ति: बीस वर्षों के अनुभव के बाद उन्हें अध्येता सनदी लेखाकार का दर्जा प्राप्त हुआ।

20. Rotation: आवर्तन

अर्थ: नियामक प्रावधानों के अनुसार एक निश्चित अवधि बाद लेखा फर्म अथवा लेखापरीक्षक को बदलना।

प्रयुक्ति: पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षक का आवर्तन अनिवार्य किया गया है।

Accounting	लेखांकन
Accounts Payable	देनदारी लेखे
Accounts Receivable	लेनदारी लेखे
Accrued Interest	उपचित ब्याज
Advance	अग्रिम
Amortization	परिशोधन
Assets	आस्तियां / परिसंपत्तियाँ
Audit	लेखापरीक्षा
Balance	शेष / बाकी
Balance Sheet	तुलन पत्र
Bankruptcy	दिवाला, दिवालियापन
Bonds	बॉण्ड
Book keeping	बहीखाता रखना
Budget	बजट
Business	कारोबार
Capital	पूंजी

Cash	नकद
Cash Flow	नकदी प्रवाह
Collateral	संपार्श्विक
Credit	ऋण / जमा / साख
Credit Rating	ऋण रेटिंग
Current Account	चालू खाता
Current Assets	चालू आस्तियां / परिसंपत्तियाँ
Current Liabilities	चालू देयताएं
Debit	नामे / डेबिट
Debt	कर्ज
Debtor	देनदार / कर्जदार / ऋणी
Default	चूक / व्यतिक्रम
Depreciation	मूल्यह्रास, भाव/कीमत में कमी
Deposit	जमा / जमाराशि / निक्षेप
Dividend	लाभांश
Draft	मसौदा / ड्राफ्ट

Earnings	उपार्जन / आमदनी
Equity	इक्विटी / सामान्य शेयर
Expense	खर्च / व्यय
Exports	निर्यात
Exchange Rate	विनिमय दर
Fixed Assets	अचल आस्तियां / परिसंपत्तियाँ
Fixed Deposit	सावधि / मीयादी जमा
Finance	वित्त
Financial Year	वित्तीय वर्ष
Forecast	पूर्वानुमान
Fund	निधि
Gains	अभिलाभ
Goods	वस्तुएँ
Guarantee	गारंटी
Holding Company	धारक/नियंत्रक कंपनी
Hypothecation	दृष्टिबंधक
Income Tax	आय कर
Installment	किस्त
Interest	ब्याज
Investment	निवेश
Invoice	बीजक / चालान
Journal	रोजनामचा / जर्नल
Joint Account	संयुक्त खाता
Ledger	खाता-बही
Liability	देयता / देनदारी / दायित्व
Lien	ग्रहणाधिकार / पुनर्ग्रहणाधिकर
Margin	मार्जिन
Market Value	बाजार मूल्य
Money	मुद्रा, धन
Mortgage	बंधक
Mutual Fund	म्यूचुअल फंड
Net Profit	शुद्ध / निवल लाभ
Net Worth	निवल मालियत
Nominee	नामिती
Overdraft	ओवरड्राफ्ट
Operating Cost	परिचालन लागत
Outstanding	बकाया
Payee	आदाता (पानेवाला)
Payment	भुगतान

Penalty	दंड
Portfolio	पोर्टफोलियो, संविभाग, निवेश-सूची
Premium	किस्त, प्रीमियम, बढ़ौती, अधिमूल्य
Profit	लाभ / मुनाफा
Provident Fund	भविष्य निधि
Receipts	प्राप्तियां
Recovery	वसूली, पुन: प्राप्ति
Refund	धन वापसी / रिफंड, प्रतिदान
Reserve	आरक्षित
Revenue	राजस्व
Risk	जोखिम
ROI (Return on Investment)	निवेश पर प्रतिलाभ
Shareholder	शेयरधारक
Stock	माल, स्टॉक
Subsidy	सहायकी, सब्सिडी, आर्थिक सहायता
Sundry Creditors	विविध लेनदार
Sundry Debtor	विविध देनदार
TDS (Tax Deducted at Source)	स्रोत पर काटा गया कर
Tax	कर
Trade	व्यापार
Transaction	लेन-देन
Trial Balance	तल-पट, परीक्षण शेष, कच्चा आकड़ा
Turnover	कुल कारोबार, व्यापारावर्त, पण्यावर्त, आवर्त
Unsecured Loan	गैर-जमानती / अरक्षित ऋण
Valuation	मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण
Variable Cost	परिवर्ती लागत
Voucher	वाउचर
Wealth	धन, संपत्ति
Working Capital	कार्यशील पूंजी

प्रणीता आर्या
राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग,
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

राजभाषा–रिपोर्टिंग प्रणाली

संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में अनेक प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों की निगरानी और मूल्यांकन हेतु एक सशक्त प्रणाली की आवश्यकता थी, जिसे "राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली" के रूप में विकसित किया गया। यह प्रणाली न केवल हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को भी सुनिश्चित करती है।

राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली का उद्देश्य

राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली का उद्देश्य केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति का आकलन करना और यह देखना है कि राजभाषा नियमों का पालन किस प्रकार हो रहा है। त्रैमासिक रिपोर्टों के माध्यम से यह मूल्यांकन किया जाता है कि हिंदी के प्रयोग में कितनी प्रगति हुई है और विभिन्न विभागों की तुलना कर सुधार की दिशा में सुझाव दिए जाते हैं। रिपोर्टों के आधार पर राजभाषा विभाग को नीति निर्माण में सहायता दी जाती है तथा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान की जाती है। प्रत्येक कार्यालय को अपनी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करनी होती है, जिससे जवाबदेही तय होती है और यह स्पष्ट होता है कि कौन-सा विभाग हिंदी के प्रयोग में अग्रणी है और कौन पीछे। श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन करने वाले कार्यालयों को राजभाषा पुरस्कार देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है तथा हिंदी के प्रयोग को एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्टिंग प्रक्रिया को ऑनलाइन कर प्रशासनिक बोझ को कम किया गया है, जिससे तकनीकी साक्षरता को बढ़ावा मिला है और कार्यालय डिजिटल रूप से सशक्त हुए हैं। इस प्रकार, राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली केवल एक तकनीकी व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह हिंदी भाषा को प्रशासनिक कार्यों में सशक्त रूप से स्थापित करने का एक रणनीतिक प्रयास है। इसके माध्यम से न केवल हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिलता है, बल्कि शासन प्रणाली में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और भाषाई समरसता भी सुनिश्चित होती है।

प्रणाली की संरचना और कार्यप्रणाली

राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह एक वेब-आधारित पोर्टल है, जहाँ सभी कार्यालयों को केंद्रीकृत लॉगिन की सुविधा दी जाती है। कार्यालय अपनी त्रैमासिक रिपोर्ट ऑनलाइन भरते हैं, जिसमें हिंदी के प्रयोग की जानकारी दी जाती है। रिपोर्टों का विश्लेषण कर हिंदी प्रयोग की प्रवृत्ति और प्रगति का आकलन किया जाता है। प्रत्येक कार्यालय को उसकी रिपोर्टिंग स्थिति, स्कोर और सुझाव एक डैशबोर्ड पर दिखाए जाते हैं। रिपोर्टिंग में मुख्य रूप से पत्राचार में हिंदी का प्रयोग, फाइलों में नोटिंग/ड्राफ्टिंग की भाषा, हिंदी में आयोजित कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें, तथा हिंदी में प्रकाशित पत्रिकाएँ और न्यूज़लेटर शामिल हैं।

राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली की उपलब्धियाँ

राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली ने भारत सरकार के प्रशासनिक ढांचे में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और उसे व्यवस्थित रूप से लागू करने में कई उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। यह प्रणाली केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं, बल्कि हिंदी को राजकाज की भाषा बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। इस प्रणाली के माध्यम से सभी मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होता है, जिससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कौन-से विभाग हिंदी के प्रयोग में अग्रणी हैं और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। प्रत्येक कार्यालय को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिससे उत्तरदायित्व और जवाबदेही तय होती है। रिपोर्टिंग के आधार पर अधिकारियों को हिंदी प्रयोग के प्रति अधिक सजग बनाया गया है। रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों की पहचान होती है, जिससे राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार निष्पक्ष रूप से प्रदान किए जा सकते हैं। रिपोर्टों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि हिंदी के प्रयोग में कौन-से क्षेत्र पिछड़ रहे हैं, जिससे राजभाषा नीति में आवश्यक संशोधन और सुधार संभव हुए हैं। डिजिटलीकरण और तकनीकी सशक्तिकरण

रिपोर्टिंग प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से कागज़ी कार्यभार कम हुआ और कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी बनी। इससे दूरस्थ और छोटे कार्यालयों को भी हिंदी प्रयोग की प्रक्रिया में शामिल किया जा सका। रिपोर्टिंग प्रणाली ने हिंदी में आयोजित कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों और प्रकाशनों को प्रोत्साहन दिया, जिससे हिंदी को केवल राजभाषा ही नहीं बल्कि कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाने की दिशा में प्रगति हुई। रिपोर्टों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को दिशा-निर्देश दिए जाते हैं, जिससे योजनाओं का मूल्यांकन और पुनः नियोजन अधिक सटीक रूप से किया जा सकता है। इस प्रकार, राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली ने हिंदी को प्रशासनिक कार्यों में एक सशक्त स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह प्रणाली न केवल हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देती है, बल्कि शासन प्रणाली में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और भाषाई समरसता को भी सुनिश्चित करती है। यदि इसे और अधिक तकनीकी रूप से उन्नत किया जाए, तो यह भारत की राजभाषा नीति को वैश्विक मानकों तक पहुँचा सकती है।

राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली केवल एक तकनीकी व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह भारत की भाषाई आत्मा को सशक्त करने का एक प्रयास है।

विकास कुमार अग्रवाल
करेंसी चेस्ट, गाज़ीपुर
क्षे. का., गाज़ीपुर-पश्चिम

राजभाषा के 12 प्र

"भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा का प्रतिबिंब है।"

भारत की यह आत्मा जब एक सूत्र में बनती है तो वह हिंदी के स्वर में गूंजती है संविधान ने इसे राजभाषा का गौरव प्रदान किया, परंतु हिंदी का महत्व केवल संविधानिक अन्य शब्द तक सीमित नहीं है। आज यह प्रशासन की दक्षता, न्याय की पहुंच, बैंकिंग की पारदर्शिता, तकनीक की सरलता और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की पहचान का मजबूत आधार बन चुकी है।

राजभाषा नीति के 12 प्र केवल सरकारी आदेश नहीं, कि यह एक दृष्टि- दर्शन है, जिनका उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता को सम्मान देते हुए हिंदी को एक ऐसी साझा शक्ति बनाना है जो कानून और नागरिक, शासन और जनता, परंपरा और आधुनिकता- सबके बीच सेतु का काम करें।

आज जबकि विश्व डिजिटल क्रांति के युग में प्रवेश कर चुका है, एआई, मशीनी अनुवाद, इंटरनेट और वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में हिंदी का विस्तार यह प्रमाणित करता है कि राजभाषा नीति के 12 प्र अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भविष्य की आवश्यकता भी है।

महान लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी का आग्रह था कि आप जिस प्रकार बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए। 'राजभाषा- हिंदी को सरल, सहज और स्वाभाविक बनाने के लिए राजभाषा विभाग का दृढ संकल्प है। केंद्र सरकार के कार्यालयों, मंत्रालयों, उपक्रमों और बैंकों में हिंदी को दिन- प्रतिदिन सुगम, सुबोध और कार्य में उपयोगी बनाने के लिए प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री जी के " आत्मनिर्भर भारत" और "स्थानीय के लिए मुखर हो" अभियान को आगे बढाते हुए "कंठस्थ", स्मृति-आधारित अनुवाद टूल का प्रयोग समय बचाने, एकरूपता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।

विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के 6 डी- के हस्तलाघव से प्रेरणा लेते हुए राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने "12 प्र की रूपरेखा की संरचना की है, जो निम्न प्रकार से है:

1. प्रेरणा

प्रेरणा वह पहले ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति या संगठन को कार्रवाई के लिए प्रेरित करती है। राजभाषा के मामले में प्रेरणा तब पैदा होती है जब तक बैंक के प्रबंधक स्वयं हिंदी का प्रयोग करते हैं और कर्मचारियों को इसके महत्व के प्रति जागरुक करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि शाखा प्रबंधन हिंदी के बैठक आयोजित करें और कर्मचारियों से सुझाव मांगे, तो यह कर्मचारियों में हिंदी अपनाने की प्रेरणा पैदा करेगा। प्रेरणा ही वह बीज है जिससे राजभाषा के प्रयोग की शुरुआत होती है।

"प्रेरणा से जागे मन का दीप,
हिंदी बने हर हृदय की थाह गहरी और अदीप।"

2. प्रोत्साहन

मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि उसे समय-समय पर प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में यह प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को समय-समय पर प्रोत्साहित करते रहने से उनका मनोबल ऊंचा होता है और उनके काम करने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के लिए बैंकिंग क्षेत्र में कर्मचारियों को हिंदी में फाइल बनाने या ग्राहकों से संवाद करने पर शरण या पुरस्कार देना प्रोत्साहन का सबसे प्रभावित तरीका है।

"प्रोत्साहन से मिलती है उड़ान,
हिंदी में झलके सेवा का गान।"

3. प्रेम

प्रेम किसी भी भाषा की आत्मा है। यदि हिंदी के प्रति प्रेम नहीं होगा, तो वह केवल नियमों तक सीमित रह जाएगी। ग्राहक और अधिकारी के बीच हिंदी संवाद से अपनापन और विश्वास उत्पन्न होता है। जब ग्राहक देखता है कि बैंक हिंदी को अपनाता है, तो सेवा और अनुभव दोनों ही अधिक सकारात्मक हो जाते हैं। राजभाषा नीति सदा से ही प्रेम की रही है। यही कारण है कि आज पूरा विश्व हिंदी के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए आगे बढ़ रहा है।

"प्रेम से बंधे हैं शब्दों के तार,
हिंदी है हृदय का मधुर उपहार।"

4. प्राइज़ अर्थात पुरस्कार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों / बैंकों उपक्रमों आदि को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिए जाते हैं और राजभाषा गौरव पुरस्कार विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / उपक्रमों बैंकों आदि के सेवारत तथा सेवानिवृत अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं।

"प्रतिस्पर्धा और पुरस्कार से
मिले नई दिशा,
हिंदी से सजे हर लेखन की उत्कृष्ट परिभाषा।"

5. प्रशिक्षण

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्युरो के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य करता है। पूरे वर्ष अलग-अलग आयोजनों में सैकड़ो की संख्या में प्रशिक्षणार्थी इन संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण पाते हैं। प्रशिक्षण कर्मचारियों को हिंदी के व्यावहारिक और तकनीकी प्रयोग में दक्ष बनता है। प्रशिक्षण से कर्मचारी हिंदी शब्दावली, टाइपिंग, डिजिटल फॉर्म भरने और ग्राहकों से संवाद में आत्मविश्वास महसूस करते हैं। नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं हिंदी के प्रयोग को आसान और प्रभावी बनाती है।

"प्रशिक्षण से खुलता है ज्ञान का द्वार,
हिंदी से जुड़ता उज्ज्वल संसार।"

6. प्रयोग

भाषा का वास्तविक महत्व तब होता है जब उसका प्रयोग किया जाए। बैंकिंग में हिंदी का प्रयोग फॉर्म, पत्राचार, ग्राहक सेवा और डिजिटल माध्यमों में होना चाहिए। लगातार प्रयोग से ही कर्मचारियों में स्वाभाविकता आती है और हिंदी कार्यस्थलों में आम भाषा के रूप में स्थापित होती है।

"प्रयोग से बनती भाषा की राह,
हिंदी है विकास का मधुर प्रवाह।"

7. प्रचार

संविधान में हमें राजभाषा के प्रचार का एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है जिसके अंतर्गत हमें हिंदी के कार्य करके उसका अधिक से अधिक प्रचार सुनिश्चित करना है। प्रचार के माध्यम से राजभाषा का महत्व और प्रयोग जनता तक पहुंचता है। बैंकों द्वारा हिंदी में विज्ञापन, नोटिस, पोस्टर और सोशल मीडिया संदेश तैयार करना ग्राहकों तक संदेश पहुंचाने का प्रभावी तरीका है। प्रचार से हिंदी का सम्मान बढ़ता है और समाज में इसे अपनाने की प्रवृत्ति मजबूत होती है।

"प्रचार से पहले हिंदी की ज्योति,
हर दिल में जगाए नई दिव्य प्रीति।"

8. प्रसार

राजभाषा हिंदी के काम का प्रसार करना सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/ बैंकों/ उपक्रमों आदि की प्राथमिक जिम्मेदारी में है और यह संस्थाप्रमुख का दायित्व है कि वह संविधान के द्वारा दिए गए दायित्वों, जिसमें प्रचार-प्रसार भी शामिल है, का अधिक से अधिक निर्वहन करें। राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और कार्यालय स्तर पर हिंदी में लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में हिंदी गृह-पत्रिकाओं का विशेष महत्व है, इसलिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न केंद्रीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। राजाभाषा विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर बनाए गए ई-पत्रिका पुस्तकालय के माध्यम से हिंदी के पाठक विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित होने वाली ई-पत्रिकाओं से लाभान्वित हो सकेंगे। राजभाषा हिंदी के प्रसार में दूरदर्शन, आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके साथ-साथ बॉलीवुड ने हिंदी के प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया है

"प्रसार से फैली भाषा की डोर,
हिंदी बने हर जन का चितचोर।"

9. प्रबंधन

यह सर्वविदित है कि, किसी भी संस्थान को उसका कुशल प्रबंधन नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए कार्यालय प्रमुखों को राजभाषा के कार्यान्वयन संबंधी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंप गई है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम 1963, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएं, इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच- बिंदु बनवाएं और उपाय करें।

"प्रबंधन से मिलती सही दिशा,
हिंदी बने प्रगति की अद्‌भुत परिभाषा।"

10. प्रमोशन (पदोन्नति)

राजभाषा हिंदी में तभी अधिक ऊर्जा का संचार होगा, जब राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी; केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सदस्यगण, सभी उत्साहवर्धक और ऊर्जावान हों और अपना कर्तव्य हुए पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाए। समय-समय पर प्रमोशन मिलने पर निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा और इच्छाशक्ती सुदृढ़ होगी।

"प्रमोशन से बढे आत्मसम्मान,
हिंदी बने कर्म का स्वर्णिम गान।"

11. प्रतिबद्धता

प्रतिबद्धता भाषा के प्रति निष्ठा और लगातार प्रयास का परिचायक है जब प्रत्येक कर्मचारी हिंदी प्रयोग करने की शपथ लेता है और इसे अपने कार्य का हिस्सा बनाता है, तो राजभाषा का प्रयोग केवल औपचारिकता नहीं रह जाता। यह प्रतिबद्धता संगठन के भीतर भाषा की स्थायित्व और प्रभावशीलता सुनिश्चित करती है।

"प्रतिबद्धता से बंदे कर्म का तार,
हिंदी बने संगठन का उज्ज्वल आधार।"

12. प्रयास

राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में यह अंतिम 'प्र' सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार हमें लगातार यह प्रयास करते रहना है कि राजभाषा हिंदी का संवर्धन कैसे किया जाए। निरंतर प्रयास और नियमित क्रियान्वयन के बिना हिंदी का प्रयोग स्थाई नहीं हो सकता। बैंक द्वारा लगातार हिंदी में कार्य करने, प्रशिक्षण देने और भाषा को बढ़ावा देने के प्रयास ही इसे वास्तविक जीवन में प्रभावी बनाते हैं।

"निरंतर प्रयास से खिलती है
हिंदी की धारा,
कर्मस्थली में चमके ज्ञान और
संस्कार का उजियारा।"

अंत में हम कह सकते है की, संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशो का अनुपालन तत्परता और पूरी निष्ठा के साथ करें। हम स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अन्य अधिकारियों/ कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि प्रशासन में पारदर्शिता आए और आमजन सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ निर्भरता रूप से उठा सकें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन 12' प्र' को ध्यान में रखकर राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन करने की दिशा में सफलता प्राप्त होगी और हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत; सुदृढ़ आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में सफल होंगे।

जयश्री राजेंद्र खापरे
गोकुलपीठ शाखा,
क्षे. का., नागपुर

राजभाषा हिंदी मानकीकरण

मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वह प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित वर्ग के द्वारा अपने सामाजिक सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक व वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका मानकीकरण कहलाता है।

भारतीय गणराज की राजकीय और मध्य भारतीय- आर्य भाषा है। वर्तमान में मातृभाषियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के जो आँकड़े मिलते हैं, उनमें हिंदी को तीसरा स्थान दिया जा रहा है। हिंदी भारतीय संघ तथा कई राज्यों की राजभाषा है. हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है. इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। किसी भी भाषा के प्रचार-प्रसार को सरल बनाने के लिए यह जरूरी है कि उस भाषा का प्रयोग करने वाले सभी लोग एक ही तरह के अंक और वर्ण प्रयोग में लाएं। साथ ही यह भी आवश्यक है कि शब्द विशेष को सभी लोग एक ही तरीके से लिखें. ऐसा न होने से भाषा में अराजकता आ जाती है और उसका कोई मानक रूप नहीं रह जाता। हिंदी के संदर्भ में इस कमी को दूर करने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार ने शीर्षस्थ विद्वानों आदि के साथ वर्षों के विचार-विमर्श के पश्चात हिंदी वर्णमाला तथा अंको का जो मानक स्वरूप निर्धारित किया।

केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने प्रथमत: 1968 में "हिंदी वर्तनी का मानकीकरण" नाम से लघु पुस्तिका प्रकाशित की। वर्ष 1983 में इस पुस्तिका का नि:शुल्क संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण "देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण" प्रकाशित किया गया। इस पुस्तिका की लगातार बढ़ती माँग को देखते हुए वर्ष 1989 में इसका पुनर्मुद्रण कराया गया तथा विभिन्न हिंदी सेवी संस्थाओं, कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों में नि:शुल्क वितरण कराया गया ताकि अधिक-से-अधिक संस्थाओं में हिंदी के मानक रूप का प्रयोग बढ़े।

मानकीकरण (मानक भाषा के विकास) के तीन सोपान निम्नलिखित हैं-

प्रथम सोपान- 'बोली'

पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली बोली का होता है, जिसे स्थानीय, आंचलिक अथवा क्षेत्रीय बोली कहा जा सकता है। इसका शब्द भंडार सीमित होता है. कोई नियमित व्याकरण नहीं होता. इसे शिक्षा, आधिकारिक कार्य–व्यवहार अथवा साहित्य का माध्यम नहीं बनाया जा सकता।

द्वितीय सोपान- 'भाषा'

वही बोली कुछ भौगोलिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है, उसका लिखित रूप विकसित होने लगता है और इसी कारण से वह व्याकरणिक साँचे में ढलने लगती है, उसका पत्राचार, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन आदि में प्रयोग होने लगता है, तब वह बोली न रहकर 'भाषा' की संज्ञा प्राप्त कर लेती है।

तृतीय सोपान- 'मानक भाषा'

यह वह स्तर है जब भाषा के प्रयोग का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है। वह एक आदर्श रूप ग्रहण कर लेती है. उसका परिनिष्ठित रूप होता है. उसकी अपनी शैक्षणिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, शास्त्रीय, तकनीकी एवं क़ानूनी शब्दावली होती है. इसी स्थिति में पहुँचकर भाषा 'मानक भाषा' बन जाती है। उसी को 'शुद्ध', 'उच्च–स्तरीय', 'परिमार्जित' आदि भी कहा जाता है।

मानक भाषा के तत्व

1. ऐतिहासिकता
2. स्वायत्तता
3. केन्द्रोन्मुखता
4. बहुसंख्यक प्रयोगशीलता
5. सहजता/बोधगम्यता
6. व्याकरणिक साम्यता
7. सर्वविध एकरूपता

हालांकि मानकीकरण का एक प्रमुख दोष भी होता है कि मानकीकरण करने से भाषा में टहराव आने लगती है, जिससे भाषा की गति अवरुद्ध हो जाती है।

हिंदी के मानकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

1. राजा शिव प्रसाद 'सितारे हिन्द' ने क़ ख़ ग़ ज़ फ़ पाँच अरबी–फ़ारसी ध्वनियों के लिए चिह्नों के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज आरम्भ किया।
2. भारतेन्द हरिश्चन्द्र ने 'हरिश्चन्द्र मैंगज़ीन' के ज़रिये खड़ी बोली को व्यावहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया।
3. अयोध्या प्रसाद खत्री ने प्रचलित हिंदी को 'ठेठ हिंदी' की संज्ञा दी और ठेठ हिंदी का प्रचार किया. उन्होंने खड़ी बोली को पद्य की भाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया।
4. हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग (1900-20) सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। 'सरस्वती' पत्रिका के सम्पादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली के मानकीकरण का सवाल सक्रिय रूप से और एक आंदोलन के रूप में उठाया। युग निर्माता द्विवेदीजी ने 'सरस्वती' पत्रिका के ज़रिये खड़ी बोली हिंदी के प्रत्येक अंग को गढ़ने–सँवारने का कार्य खुद तो बहुत लगन से किया ही, साथ ही अन्य भाषा–साधकों को भी इस कार्य की ओर प्रवृत्त किया। द्विवेदीजी की प्रेरणा से कामता प्रसाद गुरु ने 'हिंदी व्याकरण' के नाम से एक वृहद व्याकरण लिखा।
5. छायावादी युग (1918-1937) व छायावादोत्तर युग (1936 के बाद) में हिंदी के मानकीकरण की दिशा में कोई आंदोलनात्मक प्रयास तो नहीं हुआ, किन्तु भाषा का मानक रूप अपने आप स्पष्ट होता चला गया।
6. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद (1947 के बाद) हिंदी के मानकीकरण पर नये सिरे

से विचार–विमर्श शुरू हुआ, क्योंकि संविधान ने इसे राजभाषा के रुप में प्रतिष्ठित किया, जिससे हिंदी पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ पड़ा। इस दिशा में दो संस्थाओं का विशेष योगदान रहा— इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के माध्यम से 'भारतीय हिंदी परिषद' का तथा शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिंदी निदेशालय का।

भारतीय हिंदी परिषदः

भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने ही उठाया। डॉ. धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें डॉ. हरदेव बाहरी, डॉ. ब्रजेश्वर शर्मा, डॉ. माता प्रसाद गुप्त आदि सदस्य थे। धीरेन्द्र वर्मा ने 'देवनागरी लिपि चिह्नों में एकरूपता', हरदेव बाहरी ने 'वर्ण विन्यास की समस्या', ब्रजेश्वर शर्मा ने 'हिंदी व्याकरण' तथा माता प्रसाद गुप्त ने 'हिंदी शब्द–भंडार का स्थिरीकरण' विषय पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

केंद्रीय हिंदी निदेशालयः

केन्द्रीय हिंदी निदेशालय ने लिपि के मानकीकरण पर अधिक ध्यान दिया और देवनागरी लिपि तथा 'हिंदी वर्तनी का मानकीकरण' (1983 ई.) का प्रकाशन किया।

मानक हिंदी वर्णमाला

स्वर-

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ

अनुस्वार-

अं

विसर्ग-

: (अः)

व्यंजन-

क ख ग घ ङ

च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण ड़ ढ़

त थ द ध न

प फ ब भ म

य र ल व श ष स ह ळ

संयुक्त व्यंजन-

क्ष त्र ज्ञ श्र

देवनागरी अंक-

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०

भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

हिंदी वर्तनी का मानकीकरण

एक ही स्वन को प्रकट करने के लिए विभिन्न वर्णों का प्रयोग वर्तनी को जटिल बना देता है और यह लिपि का एक सामान्य दोष माना जाता है। देवनागरी लिपि में यह दोष बहुत कम पाया जाता है, लेकिन उसकी अपनी विशेषता कठिनाइयां भी है। भारत सरकार ने इस तरह की कठिनाइयों को दूर करने के लिए और हिंदी वर्तनी में एकरूपता लाने के लिए सन् 1961 में एक विशेष समिति नियुक्त की थी। अप्रैल 1962 में समिति ने अपनी अंतिम सिफारिशें पेश कीं, जिन्हें सरकार ने मान लिया।

हिंदी की वर्तनी के विविध पहलुओं को लेकर 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण से ही विविध प्रयास होते रहे हैं। इसी तारतम्य में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा वर्ष 2003 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के लिए अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। इस संगोष्ठी में मानक हिंदी वर्तनी के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित किए गए थे जिन्हें सन 2012 में आईएस/IS 16500 : 2012 के रूप में लागू किया गया है। इस संगोष्ठी में मानक हिंदी वर्तनी के लिए जो नियम निर्धारित किये गये थे उनका विवरण नीचे दिया गया है। "देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण" पुस्तिका में मानक हिंदी वर्णमाला, मानक हिंदी वर्तनी, विरामादि चिह्न, कोशों में अकारादिक्रम, परिवर्धित देवनागरी लिपि आदि विषय तथा पैराग्राफ़ों के विभाजन तथा उपविभाजन से संबंधित मानक दी गई है।

आईएस/IS 16500 : 2012 की प्रमुख बातें:

1. संयुक्त वर्ण

1.1 खड़ी पाई वाले व्यंजन

खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप परंपरागत तरीके से खड़ी पाई को हटाकर ही बनाए जाएँ. यथा:–

ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा, नगण्य, कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास, प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य, शय्या, उल्लेख, व्यास, श्लोक, राष्ट्रीय, स्वीकृति, यक्ष्मा, त्र्यंबक

1.2 अन्य व्यंजन

1.2.1 क और फ/फ़ के संयुक्ताक्षर

संयुक्त, पक्का, दफ़्तर आदि की तरह बनाए जाएँ, न कि संयुक्त, (पक्का लिखने में क के नीचे क नहीं) की तरह।

1.2.2 ङ, छ, ट, ड, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगाकर ही बनाए जाएँ. यथा:–

वाङ्मय, लट्, बुड्ढा, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा आदि।

इसके अलावे संस्कृत भाषा के मूल श्लोकों को उद्धृत करते समय संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे। जैसे:– संयुक्त, चिह्न, विद्या, विद्वान, वृद्ध, द्वितीय, बुद्धि आदि। किंतु यदि इन्हें भी उपर्युक्त नियमों के अनुसार ही लिखा जाए तो कोई आपत्ति नहीं होगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कालांतर से हिंदी के मानकीकरण के हर संभव प्रयास किए गए तथा अभी किया जा रहा है। भारतीय हिंदी निदेशालय द्वारा समय-समय पर इन विषयों पर सम्मेलन कर के भाषाविदों तथा विद्वजनों से राय ली जाती है। यहां तकि विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों से भी इस संबंध में राय ली जाती है ताकि हिंदी के शब्दों को परिष्कृत रुप से सामने लाया जा सके। हम जानते हैं कि भाषाएं परिवर्तनशील होती हैं इसके बावजूद भाषाओं के ध्वन्यात्मक प्रस्तुति का मानकीकरण अत्यंत आवश्यक होता है। हमारी राजभाषा हिंदी अभी अपने सर्वोतम परिष्कृत रुप में है इसके बावजूद परिवर्तन हर समय लागू होता है। हिंदी का वर्तमान स्वरुप तथा इसके ध्वन्यात्मक प्रकटीकरण मानक के अनुरुप है तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे स्वीकार भी किया जा रहा है।

रवि चौधरी
क्षे. का., पटना

केंद्रीय कार्यालय, मुंबई का

दिनांक 01.10.2025 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस समारोह में श्री आशीष पाण्डेय, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, श्री संजय रुद्र, कार्यपालक निदेशक, श्री अजय कुमार सिंह, मुख्य सतर्कता अधिकारी, कार्यपालकगण, स्टाफ सदस्य एवं उनके परिवार के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर एमडी एवं सीईओ महोदय ने बैंक को प्राप्त 2 कीर्ति पुरस्कारों के लिए कार्यपालकगण एवं स्टाफ सदस्यों को बधाई दी। साथ ही, उन्होंने कहा कि हिंदी यदि हृदय है तो सभी भारतीय भाषाएं धमनियाँ हैं। उन्होंने कहा दैनिक कामकाज में हिंदी टिप्पण लेखन को और बढ़ाने तथा क्षेत्र स्तर के कार्यालयों से निरंतर संपर्क और अनुवर्तन बढ़ाने से हिंदी को अधिक सुलभ बना पाएंगे।

हिंदी दिवस समारोह - 2025

समारोह के दौरान केंद्रीय कार्यालय द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका 'यूनियन धारा', 'यूनियन सृजन' तथा विभिन्न विभागों द्वारा बैंकिंग विषयों पर प्रकाशित 29 संदर्भ साहित्य का विमोचन भी किया गया। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान हिंदी में उत्कृष्ट कार्य हेतु केंद्रीय कार्यालय के 6 विभागों को विभाग-स्तरीय राजभाषा शील्ड प्रदान की गई। 32 व्यक्तिगत पुरस्कार, 4 कार्यपालकों को नोटिंग हेतु पुरस्कार एवं हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित 9 हिंदी प्रतियोगिताओं के कुल 51 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्य कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण के बाद हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध कवि श्री दिनेश बावरा, श्री राकेश तिवारी, सुश्री श्वेता चौधरी एवं श्री रोहित शर्मा द्वारा प्रस्तुतियाँ दी गईं। तत्पश्चात बैंक के स्टाफ सदस्यों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई।

देवनागरी लिपि

भारतीय संस्कृति और सभ्यता की आत्मा उसकी विविध भाषाओं और लिपियों में बसती है। भाषा मानव के विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है और लिपि भाषा को स्थायित्व प्रदान करती है। यदि भाषा वाणी है तो लिपि उसका स्वरूप और आकार है। भारत में अनेक लिपियों का विकास हुआ, किंतु इनमें देवनागरी लिपि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और कई अन्य भाषाओं की आधारशिला है बल्कि भारतीय साहित्य, धर्म, दर्शन और संस्कृति का भी संवाहक है। देवनागरी लिपि हजारों वर्षों से भारतीय समाज को ज्ञान और संस्कृति की डोर से बाँधे हुए है और आज भी इसकी प्रासंगिकता उतनी ही है जितनी प्राचीन काल में थी।

देवनागरी लिपि संसार की समस्त लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि ही एक ऐसी लिपि है जिसे भारत के संविधान में राजभाषा हिंदी के साथ-साथ राजलिपि बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 के खंड (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है।

देवनागरी लिपि का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। ऐसा माना जाता है, इसका उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ है जिसने गुप्त काल में गुप्त लिपि का रूप लिया और फिर सातवीं-नवीं शताब्दी में नागरी लिपि के रूप में विकसित होकर 11वीं शताब्दी तक देवनागरी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। "देवनागरी" शब्द दो भागों से मिलकर बना है—'देव' और 'नागरी'। देव का अर्थ है देवत्व या दिव्यता और नागरी का अर्थ है नगर अथवा विद्वानों द्वारा प्रयुक्त। इस प्रकार यह लिपि वह लेखन पद्धति है जिसे देवतुल्य माना गया और जो विद्वानों तथा समाज के सभ्य वर्ग द्वारा अपनाई गई है। 'देवनागरी' नाम के दो प्रमुख मत हैं: एक यह कि यह देवताओं की नगरी काशी में प्रचलित होने के कारण देवनागरी कहलायी और दुसरा यह कि यह 'देवताओं' की भाषा (संस्कृत) से संबंधित होने और नगरों में अधिक प्रचलित होने के कारण इसका नाम 'देवनागरी' पड़ा। ग्यारहवीं शताब्दी तक आते-आते इसका स्वरूप स्थिर और मानकीकृत हो चुका था। आज जो रूप हमें दिखाई देता है वह लंबे ऐतिहासिक विकास का परिणाम है।

संरचना की दृष्टि से देवनागरी लिपि अत्यंत व्यवस्थित और वैज्ञानिक मानी जाती है। यह एक अक्षर-लिपि है जिसमें प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वाभाविक रूप से 'अ' स्वर जुड़ा होता है। जैसे 'क' अपने आप में 'क + अ' को प्रकट करता है। यदि इसमें अन्य स्वर जोड़ना हो तो स्वर-चिह्नों अथवा मात्राओं का प्रयोग किया जाता है—जैसे कि, कु, के, को आदि। इसमें तेरह स्वर वर्ण हैं—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं और अः। व्यंजनों की संख्या तैंतीस मानी जाती है, जिनमें क से ह तक के वर्ण आते हैं। इसके अतिरिक्त अनुस्वार, विसर्ग और चंद्रबिंदु जैसी ध्वनियों को प्रकट करने वाले चिह्न भी इसमें प्रयुक्त होते हैं।

देवनागरी की सबसे विशिष्ट पहचान है उसकी शिरोरेखा। प्रत्येक शब्द, अक्षर के ऊपर से एक रेखा द्वारा जुड़े रहते हैं। यह दृश्य रूप से सुंदरता तो प्रदान करती ही है, साथ ही शब्दों को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करने में भी सहायक होती है। ध्वन्यात्मक दृष्टि से यह लिपि अत्यंत सरल है क्योंकि इसमें लिखे गए शब्दों का उच्चारण लगभग वैसा ही होता है जैसा लिखा जाता है। यही कारण है कि इसे सीखना अपेक्षाकृत सहज होता है।

देवनागरी लिपि का प्रयोग केवल हिंदी तक सीमित नहीं है। यह संस्कृत की प्रमुख लिपि है, जिसमें हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य और शास्त्र संरक्षित हुए। हिंदी, जो भारत की राजभाषा है, इसी लिपि में लिखी जाती है। मराठी, जो महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा है, भी इसी लिपि से अभिव्यक्त होती है। नेपाल की राष्ट्रीय भाषा नेपाली का लेखन भी देवनागरी में होता है। इसके अतिरिक्त कोंकणी, मैथिली, भोजपुरी, अवधी और अनेक भारतीय भाषाएँ-उपभाषाएँ इसी लिपि में लिखी जाती हैं। इस प्रकार देवनागरी न केवल भारत में, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में सांस्कृतिक और भाषाई एकता का सूत्रधार है।

साहित्य और ज्ञान परंपरा में देवनागरी का योगदान अनुपम है। संस्कृत साहित्य में कालिदास के काव्य, भास और भवभूति के नाटक, शंकराचार्य के दर्शन और व्याकरणाचार्यों के ग्रंथ इसी लिपि में लिखे और सुरक्षित हुए। हिंदी साहित्य में तुलसीदास की रामचरितमानस, सूरदास का सूरसागर, कबीर के दोहे, रहीम और रसखान की कविताएँ तथा आधुनिक युग में प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, दिनकर और अज्ञेय जैसे रचनाकारों का साहित्य इसी लिपि में सृजित हुआ। मराठी साहित्य में संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम और लोकमान्य तिलक की लेखनी देवनागरी के माध्यम से जन-जन तक पहुँची। नेपाली साहित्य में भानुभक्त आचार्य की रचनाओं ने इसी लिपि के द्वारा अपनी पहचान बनाई। केवल साहित्य ही नहीं, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद और अन्य वैज्ञानिक विधाओं का ज्ञान भी देवनागरी में संरक्षित रहा है। इस प्रकार यह लिपि केवल साहित्यिक धरोहर ही नहीं बल्कि ज्ञान-विज्ञान की वाहक भी रही है।

भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में भी देवनागरी का अत्यधिक महत्व है। मंदिरों के शिलालेख, शास्त्रीय मंत्र, धार्मिक ग्रंथ और पूजा-पद्धतियाँ प्रायः इसी लिपि में लिखी गई हैं। आज भी वेद-मंत्र और उपनिषदों का अध्ययन इसी लिपि के माध्यम से होता है। इसने भारतीय समाज को न केवल साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर पर जोड़ा, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक एकता का भी आधार प्रदान किया।

आधुनिक युग में भी देवनागरी की प्रासंगिकता बनी हुई है। डिजिटल युग में कंप्यूटर और मोबाइल पर देवनागरी के लिए यूनिकोड का विकास हुआ, जिसके कारण यह लिपि विश्वभर में सुगमता से प्रयोग की जा रही है। इंटरनेट पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं

का प्रसार देवनागरी की वजह से ही संभव हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली की पढ़ाई इसी लिपि के आधार पर होती है। समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, दूरदर्शन चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देवनागरी का व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को मान्यता मिलने के साथ ही देवनागरी की प्रतिष्ठा और बढ़ी है, फिर भी इसकी चुनौतियाँ कम नहीं हुई है। अंग्रेज़ी और रोमन लिपि का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर हिंदी या मराठी लिखते समय प्रायः रोमन लिपि का प्रयोग करने लगे हैं, जिससे देवनागरी की शुद्धता प्रभावित होती है। देवनागरी के जटिल संयुक्ताक्षर जैसे क्ष, त्र, ज्ञ आदि नए शिक्षार्थियों को कठिन लगते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उच्चारण की विविधता भी इसके मानकीकरण में बाधक बनती है। तकनीकी दृष्टि से भी अंग्रेज़ी की तुलना में देवनागरी फोंट्स और टाइपिंग सिस्टम कम विकसित रहे हैं, हालाँकि यूनिकोड और अन्य सॉफ़्टवेयर ने इस समस्या को काफी हद तक हल कर दिया है।

देवनागरी लिपि पढ़ना रोमन लिपि पढ़ने से कहीं अधिक सरल है, बस जरूरत है एक बार इसकी वर्णमाला सीख लेने की। उसके बाद तो जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ते जाओ। यदि कोई वर्ण आधा लिखा है तो वह आधा ही पढ़ा जायेगा और डेढ़ है तो डेढ़ पढ़ा जाएगा। ह्रस्व और दीर्घ की मात्राएँ भी अलग अलग हैं। व्याकरण नियमानुसार चलती है। रोमन लिपि में यह सब मिलता है क्या? उसमें तो जितने नियम हैं उतने ही अपवाद भी है। रोमन लिपि में लिखी प्रत्येक भाषा अंग्रेज़ी, फ्रेन्च, स्पैनिश, जर्मन, पुर्तगाली एवं इतालवी को पढ़ने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है। यदि आपको वह भाषा बोलनी आती है तभी उसे सही से पढ़ सकते हैं।

साथ ही 'जैसा लिखो वैसे ही पढ़ो' के सिद्धांत के कारण इसमें विश्व की कोई भी भाषा उसकी सही उच्चारण के साथ लिखी जा सकती हैं। विद्यालयों में देवनागरी लेखन और पठन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। डिजिटल उपकरणों और सॉफ़्टवेयर में देवनागरी को और सरल तथा आकर्षक बनाने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर हमें देवनागरी में ही लेखन को प्रोत्साहित करना चाहिए।

देवनागरी लिपि मात्र एक लेखन पद्धति नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इसने हजारों वर्षों से भारत की परंपरा, ज्ञान और साहित्य को सुरक्षित रखा है। यह हमारी भाषाई धरोहर, राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। आधुनिक युग में अंग्रेज़ी और रोमन लिपि का प्रभाव चाहे जितना बढ़े, देवनागरी की महत्ता कभी कम नहीं हो सकती। यदि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है और आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराना है, तो देवनागरी का संरक्षण और संवर्धन करना ही होगा। यही लिपि हमें अतीत से जोड़ती है, वर्तमान में पहचान देती है और भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करती है।

अरुण बाजपेई
अं. का., मेरठ

केंद्रीय कार्यालय की 183वीं राभाकास बैठक में श्री एस. रामसुब्रमणियन तथा श्री संजय रुद्र कार्यपालक निदेशक एवं अन्य कार्यपालकों द्वारा हिंदी में प्रकाशित कार्टून पुस्तिका 'यूनियन एमएसएमई सपोर्ट', 'एच आर सार संग्रह' एवं बैंक के "राजभाषा मिशन और प्रतिज्ञा पोस्टर" का विमोचन किया गया।

हिंदी का अन्तरराष्ट्रीय रूप

प्रसिद्ध कवि डॉ. सुनील जोगी भारत और भारतीयता का वर्णन करते हुए अपनी कविता 'सच्चे हिन्दस्तानी' में कहते हैं-

"हम रेत समन्दर पर्वत झरने नदिया हैं
कालिन्दी हैं,
जन-जन से राष्ट्रसंघ तक गूंज रही वो पावन
हिंदी हैं"

भारत की एक 'क्षेत्रीय भाषा' की पहचान को कोसों मील पीछे छोड़ते हुए हिंदी ने जिस प्रकार अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है, ये पंक्तियाँ इस अद्‌त विस्तार यात्रा का एक सटीक वर्णन हैं।

संप्रेषण और सम्पर्क के माध्यम के रूप में विश्व में जिन भाषाओं का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है उनकी सूची में अंग्रेज़ी एवं चीनी के बाद हिंदी आज तीसरे स्थान पर है। अनुमान है कि विश्वभर में लगभग 61 करोड़ लोग हिंदी की जानकारी रखते हैं। परंतु हिंदी की भूमिका केवल एक प्रचलित संप्रेषण के माध्यम तक सीमित नहीं है; न ही हिंदी के विस्तार को आँकड़ों में बाँधा जा सकता है। वास्तव में हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। आज हिंदी को भारत के अलावा 9 अन्य देशों में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं येल विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में हिंदी व्याकरण, लिपि और भाषा से संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जितने हर्ष और उल्लास के साथ संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर उतने ही जोश के साथ मनाया जाने लगा है। जून 2024 में इटली में आयोजित जी-7 की बैठक में मेज़बान राष्ट्राध्यक्ष, इटली की प्रधानमंत्री सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने जब यूरोपियन कमीशन के राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर का अभिवादन भारतीय संस्कृति में आदर और परस्पर मान्यता का प्रतीक माने जाने वाले 'नमस्ते' के साथ किया तो यह भारत के लिए एक विशेष क्षण था। यह इसलिए क्योंकि ऐसी भंगिमा इस बात का परिचय देता है कि जिस पश्चिमी दुनिया ने भारतीय संस्कृति को अवैज्ञानिक और अंध-विश्वास से प्रेरित बताकर उसका सदियों तक अपमान किया, आज वही उसी संस्कृति को अपना रहा है। तो यह कहना ग़लत नहीं होगा कि यह भारत के सांस्कृतिक पुनःउद्धार का एक सटीक सूचक भी है और परिणाम भी।

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के विस्तार की दिशा और स्वरूप को समझने के लिए ऐसी भाषाओं की यात्रा का विश्लेषण करना उपयुक्त होगा जिनका प्रयोग उनके मूल देश के अलावा अन्य देशों में प्रमुखता से किया जा रहा है। स्वाभाविक है कि इस विषय में अंग्रेज़ी की चर्चा करना प्रसंगिक होगा। जैसा कि उपरोक्त चर्चा में उल्लेख किया गया है, अंग्रेज़ी विश्व की सबसे प्रचलित भाषा है और अनुमान है कि पूरे विश्व में 1.5 से 2 अरब लोग संप्रेषण के माध्यम के तौर पर अंग्रेज़ी का प्रयोग करते हैं। भाषा के विषय में अंग्रेज़ी का वर्चस्व इस बात से भी उजागर होता है कि आज 67 देशों में अंग्रेज़ी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, अंग्रेज़ी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा माना जाता है और अंग्रेज़ी में निपुणता कई देशों में विदेशी-मूल के व्यक्तियों द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने या रोज़गार के अवसरों का लाभ लेने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है।

अंग्रेज़ी इंग्लैंड की मूल भाषा है जिसका प्रसार भारत और एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों में उस समय हुआ जब इन देशों में अंग्रेज़ी शासन स्थापित हुआ। अपना प्रशासनिक नियंत्रण मज़बूत करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्रमबद्ध तरीके से इन देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण संस्थानों की कार्यप्रणाली को अपनी आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित कर दिया। अंग्रेज़ों के आगमन के बाद भारत की प्राचीन ज्ञान संपदा पर आधारित देश की परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में आए मूलभूत बदलाव इसका सबसे सटीक उदाहरण है। अंग्रेज़ों ने अपने प्रशासनिक व्यय कम करने और व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को पश्चिमी शिक्षा प्रणाली से प्रतिस्थापित कर दिया, जिसकी सिफारिश फरवरी 1835 के अपने प्रसिद्ध "Minute on Indian Education" में लॉर्ड मैकॉले ने की थी। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि शिक्षा के माध्यम के तौर पर भारतीय भाषाओं की तुलना में अंग्रेज़ी को प्राथमिकता दी जाने लगी। साथ ही, प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन और न्यायालयों की कार्यवाही अंग्रेज़ी में करना अनिवार्य किया गया जिसकी वजह से भारतीय भाषाओं का औपचारिक संवाद में प्रयोग प्रतिबंधित हुआ। तो यह कहना ग़लत नहीं होगा कि उपनिवेशवाद एक प्रकार से अंग्रेज़ी के अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसार का प्रमुख साधन बन गया।

आज चीन की राष्ट्रभाषा चीनी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं की सूची में दूसरे क्रमांक पर आती है। अनुमान है कि विश्व में लगभग 1.3 अरब लोग चीनी भाषा की जानकारी रखते हैं। इस तथ्य की पृष्ठभूमि को समझने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति में चीन के स्थान का विश्लेषण करना आवश्यक है। विशेषज्ञों का मानना है कि बीते कुछ दशकों में चीन अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय आय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यदि इस आँकड़े का विश्लेषण पर्चेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर किया जाए तो चीन वास्तव में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन के व्यापारिक संबंध पूरे विश्व में फैले हैं और दिसंबर 2001 में विश्व व्यापार संगठन के 143वें सदस्य के रूप में प्रवेश के बाद चीन विश्व व्यापार की कार्यप्रणाली और नियमों को निश्चित रूप से प्रभावित कर रहा है। यूएनसीटीएडी विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार चीन ने वर्ष 2024 में $116 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया और इस विषय में वह चौथे स्थान पर रहा। इसके अलावा, शिक्षा और रोज़गार के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या चीनियों की है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर चीन का यही बढ़ता प्रभाव चीनी भाषा के पूरे विश्व में प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रतीत होता है।

उपरोक्त चर्चा से एक विषय स्पष्ट है - अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश का वर्चस्व, चाहे विश्व अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान के चलते हो या वैश्विक राजनीति में प्रभाव के चलते, सम्भवत: सबसे महत्वपूर्ण कारक बनता है उस देश की मूल भाषा के अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार का। तो क्या हिंदी के अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते प्रयोग को भी इसी पृष्ठभूमि पर समझा जा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर ढूँढने के लिए वैश्विक परिदृश्य पर भारत की वर्तमान स्थिति और भविष्य में भारत से अपेक्षाओं का विश्लेषण करना आवश्यक है।

जून 2025 में भारत की राष्ट्रीय आय $3.78 खरब रही और जापान को पीछे छोड़ते हुए देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि वर्ष 2025 के अंत तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद $4.19 खरब तक पहुँच जाएगा। अनुमान यह भी है कि 2030 तक देश का सकल घरेलू उत्पाद $7.3 खरब का आँकड़ा पार कर लेगा और भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में तीसरे पायदान पर पहुँच जाएगा। वर्ष 2025-26 के दौरान भारत की वृद्धि दर 6.3 से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है और इस विषय में भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम स्थान पर रहेगा। वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यातों का मूल्य $825 अरब रहा और इसी दौरान देश ने $81.04 अरब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित किया। भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' जैसे विशिष्ट कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप भारत आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर है और देश की पहचान आज उसके स्टार्ट-अप उद्योगों से है। भारत की डिजिटल पहचान विकसित राष्ट्रों के लिए भी आश्चर्यजनक रही है और देश की आधुनिक भुगतान प्रणाली अन्य देशों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। भारत के बढ़ते आर्थिक प्रभाव का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश भगवती ने अक्तूबर 2024 में आयोजित तीसरे कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव में कहा, "एक समय था जब विश्व बैंक भारत को बताता था कि भारत को क्या करना है; आज भारत विश्व बैंक को बताता है कि उसे क्या करना है।"

परंतु भारत का बढ़ता प्रभाव केवल विश्व अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है बल्कि भारत आज शिक्षा, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में 72,218 विदेशी छात्र भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और भारत बीते कुछ वर्षों में विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार 2024 में लगभग 1.3 करोड़ भारतीय नागरिक विदेशों में रोज़गार के अवसरों का लाभ ले रहे हैं और इन अर्थव्यवस्थाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। योग, संस्कृत और आयुर्वेद जैसे भारतीय प्राचीन ज्ञान संपदा से जुड़े विषय आज विदेशी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाए जा रहे हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे आधुनिक विषयों में भी भारतीयों की निपुणता जगजाहिर है। एक समय था जब प्रौद्योगिकी बहाव की दिशा विकसित देशों से भारत की ओर होती थी; परंतु आज भारत में विकसित प्रौद्योगिकी की गूँज अंतरिक्ष तक सुनाई पड़ती है।

जलवायु परिवर्तन जैसे पर्यावरण संबंधी समस्याएँ वर्तमान परिदृश्य में अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। पर्यावरण संरक्षण के विषय में भारत न केवल विकासशील देशों का नेतृत्व करते हुए उनके पक्ष को मज़बूती से रख रहा है बल्कि अन्तरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे पहलुओं द्वारा विश्व स्तर पर पर्यावरण-संरक्षण की दिशा और स्वरूप को निर्धारित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी तरह, विश्व व्यापार संगठन जैसे वैश्विक मंचों पर भारत विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और उनके हितों की रक्षा करने में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है।

ये तथ्य दर्शाते हैं कि आज भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है और आज विश्व समुदाय भारत के दृष्टिकोण को गंभीरता से लेने के लिए बाध्य है। इसका एक परिणाम यह भी है कि भारतीय संस्कृति को भी व्यापक तौर पर अपनाया जा रहा है। बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति के औपचारिक निवास, व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई गई और उसके बाद से यह एक परंपरा बन गई है। इसके अलावा नवरात्रि और गणेश चतुर्थी जैसे भारतीय-मूल के त्योहार विदेशों में हर्ष और उल्लास से मनाए जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति और विचारधारा को अन्तरराष्ट्रीय समुदाय तक पहुँचाने में साहित्यकारों और फिल्मकारों का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है। इसी तरह भारतीय भाषाओं के कुछ विशेष पहलुओं को अब व्यापक स्तर पर मान्यता प्राप्त हो रही है। उदाहरण के लिए, संस्कृत का ज्ञान कम्प्यूटर कोडिंग में निपुणता प्राप्त करने में सहायक साबित हो सकता है, इस तथ्य को विश्व समुदाय ने माना है और कई विदेशी विश्वविद्यालयों में अब संस्कृत पढ़ाई जा रही है। इसी तरह इस बात को व्यापक समर्थन मिल रहा है कि देवनागरी लिपि फोनेटिक्स के दृष्टिकोण से परफेक्ट है; जो तत्व अंग्रेज़ी जैसी भाषाओं में मौजूद नहीं हैं।

उपरोक्त चर्चा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का एक महाशक्ति के रूप में उभरने से भारत की पहचान बन चुकी हिंदी के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

अब इसी विचार को भविष्य के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाते हैं। भारत के प्रशासन और जनमानस ने 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र में रूपांतरित करने का संकल्प लिया है जिसके तहत देश के आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन, प्रौद्योगिकी विकास एवं सांस्कृतिक पुनःउद्धार द्वारा देश का समग्र विकास परिलक्षित किया गया है। तो जब विकसित भारत विश्व प्रगति की दिशा और स्वरूप निर्धारित करने में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा होगा, तब निश्चित ही देश की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक -हिंदी भाषा विश्व की भाषा बन चुकी होगी। यह विचार प्रत्येक भारतीय के लिए आकांक्षा का विषय भी है और सम्मान का भी।

डॉ. कल्याणलक्ष्मी चित्ता
क्षे. का., ग्रेटर-पुणे

बैंकिंग क्षेत्र में भाषा का महत्व

मानव जीवन का सबसे अद्भुत उपहार है भाषा। यही वह शक्ति है जिसके सहारे विचारों को स्वर मिलता है, भावनाएँ आकार पाती हैं और समाज सभ्यता की सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि भाषा न होती तो व्यक्ति मौन द्वीप बनकर रह जाता। यही वह अद्भुत साधन है जो विचारों को स्वर, भावनाओं को विस्तार और सभ्यता को प्राण देता है। भाषा के बिना न तो व्यक्ति का आत्म-प्रकाश संभव है, न ही समाज का सामूहिक विकास।

आज का युग आर्थिक प्रगति का है, और आर्थिक व्यवस्था का मेरुदंड है बैंकिंग प्रणाली। बैंक केवल लेन-देन की यांत्रिक संस्था नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं का दर्पण, देश की प्रगति का सहयात्री और विकास की धड़कनों का संगीत है। किंतु यह संगीत तभी सुरीला होता है जब उसकी धुन भाषा के सुरों से गूँजती है। परंतु बैंक और ग्राहक के बीच जो सबसे मज़बूत कड़ी है, वह है — भाषा। बैंक केवल पैसों का लेन-देन करने वाली संस्था नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं और देश की उन्नति का आधार है। भाषा ही वह प्रकाश है जिससे बैंकिंग की जटिल प्रक्रियाएँ आमजन को सरल और सुगम दिखाई देती हैं। यही कारण है कि बैंकिंग क्षेत्र में भाषा का महत्व केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय भी है। किसी अज्ञात कवि ने बैंकिंग क्षेत्र में भाषा का महत्व के सम्बन्ध में चार पंक्तियाँ कही है, जो इस प्रकार है :-

"भाषा है विश्वास का मधुर पुल,
जोड़े बैंक को जन से सरल मूल।

शब्दों की शक्ति से जगती है आस,
बनता है सेवा का अटूट विश्वास।

ग्राहक के मन की समझ बनाए,
संदेश स्पष्ट हर द्वार पहुँचाए।

बैंक की पहचान, भरोसे की राह,
भाषा से जगता है अपनापन चाह।

जहाँ बोलचाल हो सहज और साफ़,
वहीं बैंकिंग बने जन-जन का विश्वास।"

भाषा : संवाद का जीवनधार

भाषा वह दर्पण है जिसमें किसी राष्ट्र की आत्मा झलकती है। बैंकिंग की दृष्टि से देखें तो भाषा संवाद का माध्यम है,भाषा विश्वास का आधार है,भाषा ग्राहक और बैंक का सेतु है। जब ग्राहक अपनी मातृभाषा में बैंक अधिकारी से संवाद करता है, तो उसे निकटता और आत्मीयता का अनुभव होता है। ग्राहक का बैंकिंग से भय दूर हो जाता है, संकोच मिट जाता है और वह बैंकिंग सेवाओं का भागीदार बन जाता है। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि हृदय से हृदय जोड़ने वाला सूत्र है। भाषा ग्राहक की झिझक को तोड़ती है और विश्वास की नींव रखती है। बैंकिंग की जटिल योजनाएँ भी यदि सरल भाषा में समझाई जाएँ तो वे लोकहितकारी बन जाती हैं। अतः भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि विश्वास का प्रकाशस्तंभ है।

बैंकिंग और भाषा का संबंध

बैंक का लक्ष्य है – जनता को आर्थिक सेवाएँ उपलब्ध कराना। परंतु सेवाएँ तभी सार्थक हैं जब वे समझ में आएँ। ग्रामीण ग्राहक यदि ऋण योजना की शर्तें अपनी बोली में सुनेगा, तभी उसे लाभ उठाएगा। पढ़े-लिखे शहरी ग्राहक को भी सरल हिंदी या अंग्रेज़ी में जानकारी चाहिए। तकनीकी शब्दावली को सरल भाषा में समझाना ग्राहकों को आत्मविश्वास देता है। इस प्रकार भाषा बैंकिंग सेवा को सुगम, सुलभ और विश्वसनीय बनाती है।

बैंकिंग क्षेत्र में भाषा की भूमिका

बैंकिंग का उद्देश्य है जनता तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाना। परंतु यह तभी संभव है जब ग्राहक उन सेवाओं को समझे और अपनाए। खाता खोलने का फॉर्म भरना हो, ऋण की शर्तें बताना, बीमा योजना का लाभ ग्राहकों तक पहुँचना हो या फिर डिजिटल बैंकिंग का प्रयोग करना हो हर जगह भाषा ही वह चाबी है जो ग्राहक के मन का ताला खोलती है।

ग्राहक सेवा का आधार - खाता खोलना, पासबुक समझना, ऋण आवेदन करना आदि सेवाएँ सब भाषा पर आधारित है। ग्राहक की समस्या का समाधान तभी होगा जब उसे उसकी भाषा में मार्गदर्शन मिले। विश्वास निर्माण - बैंक और ग्राहक का रिश्ता केवल धन का नहीं, बल्कि विश्वास का है, भाषा से ही यह विश्वास अंकुरित और पुष्पित होता है। प्रशिक्षण और कार्यसंस्कृति -बैंक कर्मचारियों को नीतियाँ, नियम और तकनीक भाषा के माध्यम से ही समझाए जाते हैं। डिजिटल बैंकिंग और भाषा - मोबाइल बैंकिंग ऐप, इंटरनेट पोर्टल, एटीएम स्क्रीन यदि बहुभाषी हों तो अधिक लोग उनसे जुड़ेंगे।

भाषा का महत्व

भारत की आत्मा उसकी भाषाओं में बसती है।अधिकांश जनता की समझ और संवाद की भाषा हिंदी है। बैंकिंग कार्य में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग ग्राहकों को सहज बनाता है। बैंकिंग प्रचार, पोस्टर, फार्म, नोटिस और प्रशिक्षण हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में हों तो ग्राहकों की सहभागिता बढ़ती है। ये बैंक को जनता के निकट लाती है। हिंदी जनसाधारण के विश्वास को जगाती है और बैंक को "जन-बैंक" बनाती है।यदि बैंकिंग का प्रचार-प्रसार हिंदी में हो तो करोड़ों ग्राहकों के लिए बैंक

केवल वित्तीय संस्था न रहकर अपना घर बन जाता है।

क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व - भारत की विविधता उसकी शक्ति है। यदि बैंक ग्राहक से उसकी मातृभाषा में संवाद करे तो वह आत्मीयता अनुभव करता है। उदाहरण के लिए—असम में असमी भाषा, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बांग्ला, ग्राहकों को बैंक से सीधे जोड़ती है। भारत भाषाओं का बगीचा है। हर भाषा अपनी संस्कृति की खुशबू से भरी हुई है। बैंक यदि स्थानीय भाषा में ग्राहक से संवाद करता है तो ग्राहक आत्मीयता महसूस करता है। ग्रामीण और अशिक्षित वर्ग को विशेष लाभ मिलता है। भाषा का यह जादू बैंकिंग सेवाओं को जन-जन की धड़कन बना देता है।

अंग्रेज़ी भाषा की भूमिका - अंग्रेज़ी आज भी वैश्विक व्यापार और तकनीकी संवाद की प्रमुख भाषा है। बैंकिंग के अनेक शब्द अंग्रेज़ी से आए हैं – क्रेडिट, डेबिट, लोन, चेकबुक, बीमा। विदेशी निवेश, अंतरराष्ट्रीय लेन-देन और तकनीकी प्रशिक्षण में अंग्रेज़ी की अनिवार्यता है। किंतु केवल अंग्रेज़ी पर आधारित बैंकिंग जनता को दूर कर सकती है। इसलिए अंग्रेज़ी का संतुलन हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं से आवश्यक है। अंग्रेज़ी आज भी वैश्विक वित्त और तकनीकी संवाद की मुख्य भाषा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए अंग्रेज़ी अनिवार्य है। किंतु केवल अंग्रेज़ी पर निर्भरता जनता और बैंक के बीच दूरी बना देती है।

इसलिए आवश्यकता है –

"अंग्रेज़ी को तकनीकी पुल, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को जन-पुल" बनाया जाए।

बहुभाषी भारत – यहाँ सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। तकनीकी शब्दावली की जटिलता – ग्राहक कई शब्द समझ नहीं पाते। डेबिट, क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट जैसे शब्द आम जनता के लिए कठिन हैं। भाषाई असमानता – ग्रामीण और शहरी ग्राहकों में अंतर। अत्यधिक अंग्रेज़ी निर्भरता – सामान्य ग्राहक को हतोत्साहित करती है। अंग्रेज़ी-प्रधानता ग्रामीण ग्राहक के लिए बाधा साबित होती है। डिजिटल सेवाओं में स्थानीय भाषाओ की कमी – मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन सेवाएँ अक्सर अंग्रेज़ी-प्रधान होती हैं। कर्मचारियों का प्रशिक्षण – कई कर्मचारी स्थानीय भाषाओं में दक्ष नहीं होते।

बहुभाषी ऐप्स और एटीएम – सभी भाषा के ग्राहकों के लिए सुविधाजनक हों जिससे हर ग्राहक अपनी भाषा चुन सके। सरल शब्दावली – कठिन तकनीकी शब्दों का सहज भाषा में अनुवाद उपलब्ध हो। स्थानीय भाषा प्रशिक्षण – कर्मचारियों को स्थानीय भाषाओं की जानकारी हो तथा वे ग्रामीण अभियानों में मातृभाषा का प्रयोग करे। जिससे वित्तीय साक्षरता को भी गति मिलेगी। ग्राहक संवाद कार्यक्रम – गाँव-गाँव जाकर मातृभाषा में वित्तीय साक्षरता फैलाना। राजभाषा नीति का सशक्त क्रियान्वयन – हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देना। राजभाषा नीति का सशक्त क्रियान्वयन – हिंदी और भारतीय भाषाओं को कार्य में प्राथमिकता देना।

वित्तीय समावेशन – भाषा बाधाओं को तोड़कर गरीब और ग्रामीण जनता को बैंकिंग से जोड़ती है। महिला सशक्तिकरण – जब महिलाएँ अपनी भाषा में बैंकिंग समझती हैं, तो आत्मनिर्भर बनती हैं। सामाजिक समानता – भाषा के कारण हर वर्ग समान अवसर पाता है, भाषा सबको एक मंच पर लाती है। आर्थिक विकास – अधिक ग्राहक जुड़ते हैं, पूँजी प्रवाह बढ़ता है, देश की जीडीपी मज़बूत होगी जिससे देश की प्रगति होगी ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित बहुभाषी चैटबॉट – ग्राहक अपनी भाषा में बैंक से संवाद कर सकेंगे। डिजिटल इंडिया और भाषा – सरकार बहुभाषी बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा दे रही है। ग्रामीण भारत की भूमिका – भाषा ही उन्हें बैंकिंग की मुख्यधारा से जोड़ेगी। वैश्विक दृष्टि – भारतीय भाषाएँ विश्व बैंकिंग जगत में अपनी पहचान बनाएँगी ।

भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि विश्वास का बीज है। भाषा वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर विश्वास का प्रकाश फैलाता है। बैंक और ग्राहक का रिश्ता धन से नहीं, विश्वास से चलता है; और यह विश्वास भाषा के पुल से ही जन्म लेता है। बैंक और ग्राहक का रिश्ता इसी विश्वास पर टिका है। यदि बैंक ग्राहक की मातृभाषा में संवाद करता है तो ग्राहक को लगता है – "यह बैंक मेरा अपना है।" यही अपनापन बैंक की असली सफलता है।

यदि बैंक ग्राहक से उसकी भाषा में बात करता है, तो ग्राहक कह उठता है—

"यह बैंक मेरा है, मेरी बोली बोलता है, मेरी धड़कन समझता है।"

यही भाषा का जादू है। यही कारण है कि बैंकिंग क्षेत्र में भाषा का महत्व केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और मानवीय जीवन की धुरी है।

इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि –

"बैंकिंग क्षेत्र में भाषा ही प्राण है। यह वह कुंजी है जिससे वित्तीय समावेशन, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के द्वार खुलते हैं।" बैंकिंग तो ग्राहकों के लिए है इस तरह ग्राहकों की भाषा में बैंकिंग सेवाएं देना उतना ही महत्वपूर्ण है।

खुशमीता रानी
क्षे.का., पटना

मशीनी अनुवाद के साधन

मानव सभ्यता का सबसे बड़ा आधार संचार है। विचारों का आदान–प्रदान, ज्ञान का प्रसार और भावनाओं की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही संभव होती है। किंतु विश्व में हजारों भाषाएँ प्रचलित हैं, और हर व्यक्ति सभी भाषाओं को समझ नहीं सकता। ऐसे में अनुवाद एक सेतु का काम करता है, जो एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करता है।

पारंपरिक रूप से अनुवाद कार्य मानव अनुवादकों द्वारा किया जाता रहा है, किन्तु 20वीं शताब्दी के मध्य से वैज्ञानिकों और भाषाविदों ने यह विचार किया कि क्या यह कार्य मशीनों द्वारा किया जा सकता है? इसी सोच से जन्म हुआ मशीनी अनुवाद का।

मशीनी अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसमें किसी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा एक भाषा के वाक्यांश, वाक्य या पूरे दस्तावेज को दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। इसका उद्देश्य समय, श्रम और लागत की बचत करते हुए बहुभाषी संचार को सरल बनाना है।

आज वैश्वीकरण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार और इंटरनेट के प्रसार ने मशीनी अनुवाद को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। गुगल ट्रांसलेट, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेट, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर,डीपएल जैसे साधनों ने भाषा की दीवारों को तोड़ते हुए विश्व को और अधिक जोड़ने का काम किया है।

आज के वैश्वीकरण के दौर में भाषाई विविधता संवाद के रास्ते में एक बड़ी चुनौती है। अलग-अलग देशों, संस्कृतियों और भाषाओं के लोग जब एक-दूसरे से संपर्क करना चाहते हैं तो भाषा का अंतर बाधा बन जाता है। इसी समस्या के समाधान के लिए मशीनी अनुवाद की अवधारणा सामने आई। मशीनी अनुवाद वह प्रक्रिया है, जिसमें कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित उपकरण एक भाषा से दूसरी भाषा में स्वतः अनुवाद करते हैं. वर्तमान समय में गूगल ट्रांसलेट, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर, अमेज़न ट्रांसलेट, यांडेक्स, डीपएल (डीपएल) जैसे अनेक साधन लोकप्रिय हैं।

मशीनी अनुवाद का इतिहास

मशीनी अनुवाद की अवधारणा नई नहीं है। इसका विकास कई चरणों से होकर गुज़रा है:

(क) प्रारंभिक प्रयास (1950–1970)

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में भाषाई जानकारी प्राप्त करने की भारी आवश्यकता महसूस हुई। इसी समय कंप्यूटर विज्ञान का तेजी से विकास हो रहा था। 1954 में जॉर्जटाउन–आईबीएम प्रयोग (जिऑर्जटाउन–आईबीएम एक्सपेरिमेंट) किया गया, जिसे मशीनी अनुवाद का पहला सफल प्रदर्शन माना जाता है। इस प्रयोग में कंप्यूटर ने लगभग 60 रूसी वाक्यों का अंग्रेज़ी अनुवाद किया।

हालाँकि प्रारंभिक परिणाम उत्साहजनक थे, लेकिन यह तकनीक बहुत सीमित थी। अनुवाद केवल छोटे वाक्यों और पूर्वनिर्धारित नियमों तक सीमित था।

(ख) नियम-आधारित अनुवाद प्रणाली

1970 और 1980 के दशक में नियम-आधारित प्रणालियों पर अधिक काम हुआ। इसमें भाषाविदों ने व्याकरण, शब्दकोश और नियमों का एक बड़ा भंडार तैयार किया और उसी के आधार पर अनुवाद कराया जाता था।

(ग) सांख्यिकीय अनुवाद प्रणाली

1990 के दशक में इंटरनेट पर विशाल मात्रा में डेटा उपलब्ध होने लगा। शोधकर्ताओं ने भाषा के सांख्यिकीय पैटर्न का उपयोग कर अनुवाद प्रणाली विकसित की। यह पद्धति शब्द–आवृत्ति और वाक्य संरचना के आँकड़ों पर आधारित थी। उदाहरण: गुगल ट्रांसलेट का प्रारंभिक संस्करण एसएमटी पर आधारित था।

(घ) न्यूरल मशीन अनुवाद

2010 के दशक के बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीप लर्निंग तकनीक के विकास ने अनुवाद की दुनिया बदल दी। एनएमटी प्रणाली मानव मस्तिष्क की तरह न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करती है, जिससे संदर्भ, भाव और शब्द–समूह का बेहतर अनुवाद संभव हुआ।

प्रमुख मशीनी अनुवाद के साधन

1. गूगल ट्रांसलेट सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग होने वाला मुफ्त टूल हैं। इसमें 130 से अधिक भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध हैं। आवाज़, कैमरा इनपुट और रियल-टाइम बातचीत का अनुवाद करने की क्षमता एवं मोबाइल ऐप और ब्राउज़र एक्सटेंशन दोनों रूपों में उपलब्ध हैं

2. माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर लगभग 100 भाषाओं का समर्थन करता है। व्यावसायिक उपयोग के लिए एपीआई सेवा उपलब्ध। रियल-टाइम मीटिंग अनुवाद, टेक्स्ट-टू-स्पीच जैसी सुविधाएँ।

3. डीपएल ट्रांसलेटर यूरोपीय भाषाओं में विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाला अनुवाद। न्यूरल नेटवर्क आधारित प्रणाली। व्यावसायिक संस्करण में सुरक्षा और डेटा गोपनीयता पर विशेष ध्यान।

4. अमेज़न ट्रांसलेट- क्लाउड-आधारित सेवा, मुख्यतः कंपनियों और संगठनों के लिए। बड़े पैमाने पर कंटेंट का अनुवाद करने में उपयोगी। अन्य एडब्ल्यूएस सेवाओं के साथ इंटीग्रेशन।

5. यांडेक्स ट्रांसलेट रूस की तकनीकी कंपनी का उत्पाद। लगभग 90 भाषाओं का समर्थन, टेक्स्ट, वेबसाइट और डॉक्यूमेंट का अनुवाद करने की सुविधा।

6. आईबीएम वॉटसन लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित। मुख्यतः कॉर्पोरेट और एंटरप्राइज उपयोग के लिए। सुरक्षा और कस्टमाइज़्ड शब्दावली की सुविधा।

7. भारतीय प्रयास के अनुवाद साधन में अनुवादिनी हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के लिए विकसित साधन है। यह सी-डैक द्वारा विकसित उपकरण है, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में काम करता है. गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी भारतीय भाषाओं में लगातार सुधार कर रहे हैं।

मशीनी अनुवाद के लाभ

आज के वैश्विक दौर में भाषा की बाधाएँ ज्ञान, व्यापार, शिक्षा और संचार के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मानी जाती हैं। इस चुनौती को दूर करने के लिए मशीनी अनुवाद एक प्रभावी साधन के रूप में सामने आया है। यह तकनीक कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भाषाई एल्गोरिथम की मदद से एक भाषा को दूसरी भाषा में तुरंत अनुवाद करने में सक्षम है। इसके अनेक लाभ हैं, जिनका उपयोग शिक्षा, व्यापार, पर्यटन, प्रशासन और व्यक्तिगत जीवन तक फैला हुआ है।

1. समय और श्रम की बचत

मशीनी अनुवाद का सबसे बड़ा लाभ यह है

कि यह बहुत तेज़ गति से काम करता है। जहां मानव अनुवादक को किसी दस्तावेज़ का अनुवाद करने में घंटों या दिनों का समय लग सकता है, वहीं मशीन कुछ ही सेकंड में परिणाम दे देती है। इससे व्यक्ति और संस्थान दोनों ही अपने समय और श्रम की बचत कर सकते हैं।

2. लागत में कमी

मानव अनुवादकों को नियुक्त करना महंगा साबित हो सकता है, विशेषकर जब बड़ी मात्रा में सामग्री का अनुवाद करना हो। मशीनी अनुवाद एक किफायती विकल्प है क्योंकि यह बहुत कम लागत में और बार-बार उपयोग करने योग्य है। छोटे व्यवसाय और छात्र भी आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं।

3. वैश्विक संचार को आसान बनाना

आज व्यवसाय और शिक्षा की दुनिया अंतरराष्ट्रीय हो गई है। अलग-अलग देशों के लोग जब साथ काम करते हैं, तो भाषा की समस्या सामने आती है। मशीनी अनुवाद ईमेल, दस्तावेज़, वेबसाइट या चैट संदेशों को तुरंत दूसरी भाषा में बदल देता है। इससे वैश्विक संचार सरल और प्रभावी हो जाता है।

4. शिक्षा और शोध में सहयोग

विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए यह तकनीक बहुत उपयोगी है। विदेशी भाषाओं की पुस्तकों, शोध पत्रों और लेखों को अपनी मातृभाषा में पढ़ना आसान हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान का प्रसार व्यापक स्तर पर संभव हो पाता है और विद्यार्थी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनते हैं।

5. पर्यटन और यात्रा में सहायक

विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मशीनी अनुवाद बहुत उपयोगी है। मोबाइल ऐप्स की मदद से वे स्थानीय भाषा को तुरंत समझ सकते हैं—जैसे रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ना, सड़क संकेत समझना या स्थानीय लोगों से बातचीत करना। इससे यात्रा का अनुभव सुविधाजनक और सुरक्षित हो जाता है।

6. बहुभाषी समाज में सहायक

भारत जैसे बहुभाषी देशों में प्रशासनिक कामकाज, शिक्षा और मीडिया में मशीनी अनुवाद बहुत मददगार है। यह विभिन्न भाषाई समूहों को एक-दूसरे के निकट लाता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है।

7. तकनीकी प्रगति में योगदान

मशीनी अनुवाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका विकास अन्य तकनीकी क्षेत्रों, जैसे चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट और स्मार्ट डिवाइसों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करता है।

मशीनी अनुवाद की सीमाएँ

मशीनी अनुवाद आज के समय में भाषा की बाधाओं को दूर करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इसके बावजूद इसमें कई सीमाएँ मौजूद हैं। सबसे बड़ी सीमा यह है कि मशीनी भाषा की भावनात्मकता, सांस्कृतिक संदर्भ और मुहावरों का सही अर्थ नहीं समझ पातीं। उदाहरण के लिए, "आग बबूला होना" का शाब्दिक अनुवाद करने पर उसका सही भाव नहीं निकल पाता।

दूसरी सीमा, व्याकरण और संरचना से जुड़ी है। मशीन अक्सर जटिल वाक्यों, दोहरे अर्थ वाले शब्दों या स्थानीय बोलियों का सही अनुवाद करने में असफल रहती है। कई बार वाक्य शाब्दिक रूप से सही लगते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से गलत हो जाते हैं।

तीसरी सीमा विषय-विशेष ज्ञान की है। तकनीकी, कानूनी या साहित्यिक अनुवाद में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जिसे मशीनें मानवीय संवेदनशीलता और गहराई के साथ नहीं कर पातीं।

इसके अलावा, मशीनी अनुवाद हमेशा सटीक और पूर्ण नहीं होता, इसलिए संपादन और मानवीय हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ती है।

इस प्रकार, मशीनी अनुवाद त्वरित और सुविधाजनक अवश्य है, लेकिन उसकी सीमाएँ यह दर्शाती हैं कि वह अभी पूरी तरह से मानव अनुवादक का विकल्प नहीं बन सका है।

मशीनी अनुवाद का भविष्य

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक भाषा संसाधन (एनएलपी) के विकास से अनुवाद की गुणवत्ता लगातार बेहतर हो रही है. वॉयस-टू-वॉयस और रियल-टाइम ट्रांसलेशन और अधिक सहज हो जाएगा। भारतीय भाषाओं और बोलियों को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भविष्य में मशीनी अनुवाद और मानव अनुवाद का संयोजन सबसे कारगर होगा।

मशीनी अनुवाद के भविष्य की संभावनाएँ

1. अधिक सटीकता और स्वाभाविकता

आने वाले समय में मशीनी अनुवाद केवल शब्द-दर-शब्द अनुवाद नहीं करेगा, बल्कि पूरे संदर्भ को समझकर भाषा को स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत करेगा। इसका परिणाम यह होगा कि अनूदित भाषा में स्थानीय मुहावरे, सांस्कृतिक अर्थ और भावनाएँ भी सही ढंग से आ पाएँगी।

2. सभी भाषाओं का कवरेज

अभी तक मशीनी अनुवाद मुख्यतः प्रमुख भाषाओं (अंग्रेज़ी, फ्रेंच, चीनी, हिंदी आदि) पर केंद्रित है, लेकिन आने वाले समय में यह क्षेत्रीय और आदिवासी भाषाओं को भी कवर करेगा इससे लुप्त होती भाषाओं को बचाने में मदद मिलेगी।

3. शिक्षा और शोध में योगदान

भविष्य में छात्र किसी भी देश की किताबें और शोध-पत्र तुरंत अपनी भाषा में पढ़ पाएँगे। इससे वैश्विक ज्ञान-साझाकरण आसान होगा और शिक्षा अधिक सुलभ बनेगी।

4. व्यापार और पर्यटन में उपयोग

अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऑनलाइन शॉपिंग और पर्यटन के क्षेत्र में मशीनी अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। कोई भी व्यापारी बिना भाषा की बाधा के दुनियाभर के ग्राहकों से जुड़ सकेगा।

5. मानव अनुवादकों के साथ सहयोग

भविष्य में मशीनी अनुवाद मानव अनुवादकों का विकल्प नहीं, बल्कि उनका सहायक बनेगा। जटिल और साहित्यिक अनुवाद मानव करेंगे, जबकि सामान्य संवाद और दस्तावेज़ों का काम मशीनें करेंगी।

6. आवाज़ और वीडियो अनुवाद

केवल लिखित पाठ ही नहीं, बल्कि ऑडियो और वीडियो का भी रियल-टाइम अनुवाद होगा। इससे वैश्विक स्तर पर मनोरंजन, शिक्षा और समाचार क्षेत्र में भाषा की दीवार टूट जाएगी।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मशीनें आधुनिक युग का अभिन्न अंग बन चुकी हैं। ये साधन मानव की प्रगति और विकास के पथप्रदर्शक हैं। यदि इनका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो ये न केवल वर्तमान को बेहतर बनाएंगे, बल्कि भविष्य को भी सुनहरा बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

रमेश कुमार
आर.एल.पी., रायपुर

भारत की भाषाई संपदा

भारत की भाषाई विविधता विश्व की सबसे समृद्ध और विविधताओं से ओत-प्रोत है। भारत में लगभग 1300 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और 22 भाषाओं को संविधान के अनुसार आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। यह भाषाई संपदा न केवल भारत की सांस्कृतिक-ऐतिहासिक विरासत का परिचायक है, बल्कि यह देश की सामाजिक-आर्थिक और राष्ट्रीय एकता के लिए भी महत्वपूर्ण आधार है। इस लेख में भारत की भाषाई संपदा के ऐतिहासिक विकास, सांस्कृतिक और शैक्षिक पहलुओं, वैश्विक और राष्ट्रीय लाभ, वर्तमान चुनौतियाँ, और भविष्य में इसके संरक्षण तथा संवर्धन के मार्गों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है।

प्राचीन और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत की भाषाई विविधता की शुरुआत प्राचीन काल से हुई, जब संस्कृत भाषा ने धार्मिक, दार्शनिक और साहित्यिक क्षेत्रों में अपनी गहरी छाप छोड़ी। संस्कृत हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शास्त्रों की भाषा रही, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से प्रयोग में है। इसके साथ ही, द्रविड़ीय भाषाएं (जैसे तमिल, कन्नड, तेलुगु, मलयालम) का इतिहास भी हजारों वर्षों पुराना है। तमिल भाषा का समृद्ध साहित्य छठी सदी ईसा पूर्व से संरक्षित है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित भाषाओं में से एक है।

इतिहास में मध्यकालीन युग में फारसी भाषा का प्रभाव भी काफी रहा, जो मुगलों के शासन काल में प्रशासनिक और साहित्यिक भाषा बन गई। फारसी और अरबी के शब्द भारतीय भाषाओं में समा गए, जिससे हिंदी, उर्दू, और पंजाबी जैसी भाषाओं का विकास हुआ। अंग्रेजों के आगमन के बाद अंग्रेज़ी भाषा ने प्रशासन और शिक्षा में प्रमुख स्थान प्राप्त किया।

निज़ामों और क्षेत्रीय राजाओं के शासन में क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों ने समृद्ध साहित्य और सांस्कृतिक पहचान बनाई। उदाहरण के लिए, मराठी भाषा का विकास छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में हुआ और मराठी साहित्य को गति मिली। तेलुगु भाषा का पहला अभिलेख 575 ईस्वी में मिलता है, जो स्थानीय प्रशासन की भाषा बनना शुरू हुई। भक्ति आंदोलन के दौरान हिंदी, तमिल, तेलुगु, और कन्नड़ जैसी भाषाओं में भक्ति गीत और साहित्य का सृजन हुआ, जिसने आम जनों तक आध्यात्मिक विचार पहुंचाए।

स्वतंत्रता पश्चात भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ, जिसमें हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा और अंग्रेज़ी को सहायक भाषा के रूप में स्थापित किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिससे भाषाई समूहों की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को मजबूती मिली। परन्तु, हिंदी को एक मात्र राष्ट्रीय भाषा बनाने के प्रयास का दक्षिण भारत सहित कई क्षेत्रों में विरोध भी हुआ, जिस कारण अंग्रेज़ी को अभी भी एक सेतु भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इन ऐतिहासिक घटनाओं ने भारत की बहुभाषावाद की नीति को प्रभावित किया।

भाषा संपदा में धर्मों का योगदान

भारत की भाषाई संपदा में विविध धार्मिक मतों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरा रहा है। विभिन्न धर्मों के आगमन और विकास ने भाषा के क्षेत्र में नए आयाम जोड़े, जिससे भारत की भाषाई विरासत और अधिक समृद्ध हुई।

प्राचीन भारत में हिंदू धर्म की धार्मिक कृतियाँ और वेद, उपनिषद आदि संस्कृत में लिखी गईं, जिसने संस्कृत भाषा को आध्यात्मिक, दार्शनिक, और सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया। साथ ही, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या और लोक साधारण के बीच संवाद के लिए प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं भी विकसित हुईं, जो बाद में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास का आधार बनीं।

बौद्ध धर्म के उदय ने पाली भाषा को जन्म दिया, जो इस धर्म के प्रचार-प्रसार का माध्यम बनी। पाली भाषा ने न केवल धर्म संबंधी ग्रंथों के लिए रास्ता खोला, बल्कि इसके कारण अन्य भाषाओं पर भी प्रभाव पड़ा। जैन धर्म ने भी अपभ्रंश भाषाओं को प्रोत्साहन दिया, जो जैन साहित्य का प्रमुख माध्यम रही।

इस्लाम के आगमन के साथ फारसी और अरबी भाषाएं भारत में आईं, जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी आदि को विस्तृत किया। फारसी भाषा मुगल शासन के दौरान प्रशासन और कला की भाषा बनी, जिससे कई मुगल कालीन साहित्यिक कृतियाँ इन भाषाओं में रची गईं। इसके कारण हिंदी-उर्दू जैसी भाषाओं में फारसी और अरबी शब्दावली समाहित हो गई।

ईसाई धर्म के प्रसार के साथ अंग्रेज़ी भाषा का परिचय भारत में हुआ, जो शासन, प्रशासन, और व्यवसाय में प्रबल भूमिका निभाने लगी। अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेज़ी को सरकारी भाषा के रूप में अपनाया गया, जिसने आधुनिक भारत की बहुभाषीय छवि को और विस्तार दिया।

इस प्रकार, भारत में विभिन्न धर्मों के अस्तित्व ने भाषाओं को न केवल संरक्षित किया, बल्कि उनसे नए भाषाई रूपों का विकास भी हुआ, जिससे भारत की भाषाई विविधता अनोखी और विशाल बनी। धार्मिक विविधता ने भाषाई परतों को जोड़ा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया, और एक बहुभाषी सामाजिक ताना-बाना बनाया, जो आज भारत की पहचान है।

भाषाई संपदा के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू

भारत की भाषाई विविधता ने उसकी सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक विविधता को सहेजा है। हर भाषा का अपना इतिहास, लोककथाएं, संगीत, नृत्य, त्योहार और रीति-रिवाज होते हैं, जो उस क्षेत्र के जनमानस का दर्पण हैं। संस्कृत और प्राकृत ने भारतीय ज्ञान और दर्शन को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। द्रविड़ीय भाषाओं के साथ ब्रज, अवधी, भोजपुरी जैसी हिंदी क्षेत्र की भाषाएं भी स्वतंत्र साहित्यिक परंपराओं से समृद्ध हैं।

भाषाएं समुदायों को उनकी सांस्कृतिक पहचान और गरिमा देती हैं। भारत में भाषाई विविधता सहिष्णुता और सामाजिक एकता का आधार है। विभिन्न भाषाई समूहों ने एक-दूसरे की शब्दावली और व्याकरण ग्रहण किया, जिससे भारत की भाषाई पहचान बहुआयामी हुई। उदाहरण के तौर पर हिंदी में फारसी, अरबी और तुर्की शब्दों का समावेश है, जो मध्यकालीन सांस्कृतिक समागमों का प्रमाण है। इसी प्रकार, उर्दू ने फारसी साहित्यिक परंपरा को भारतीय उपमहाद्वीप का स्वरूप दिया।

लोकप्रिय भक्ति कवि तुलसीदास, कबीर, सूरदास तथा अन्य कवियों की रचनाएं भी भाषा की सांस्कृतिक शक्ति की मिसाल हैं। यही कारण है कि भारत में क्षेत्रीय, जनजातीय और आदिवासी भाषाओं को संवैधानिक संरक्षण मिला है। राज्य स्तरीय भाषाई संरक्षण योजनाएं और साहित्यिक संस्थान इन भाषाओं को जीवित रख रहे हैं।

भाषाई संपदा के लाभ: शिक्षा, आर्थिक और राष्ट्रीय विकास

बहुभाषावाद ने भारत की शिक्षा प्रणाली को समृद्ध किया है। अनेक अनुसंधानों में यह पाया गया है कि अनेक भाषाओं का ज्ञान बच्चे के संज्ञानात्मक और तार्किक विकास के लिए लाभकारी है। मातृभाषा में शिक्षा से बच्चों का सीखने का स्तर बढ़ता है। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

आर्थिक दृष्टि से, भाषाई विविधता ने भारत को वैश्विक व्यापार और सूचना प्रौद्योगिकी में लाभान्वित किया है। क्षेत्रीय भाषाओं में कारोबार करने वाले उद्यम तेजी से बढ़ रहे हैं। विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध सामग्री और डिजिटल संसाधन भारत को सूचना युग में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर, भाषाई विविधता ने संघीय ढांचे को मजबूती दी है। भाषा आधारित राज्य पुनर्गठन से राज्यों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने का अवसर मिला, साथ ही भारत की राजनीतिक प्रणाली में बहुभाषावाद एक समावेशी सन्देश देता है। विभिन्न भाषाओं के माध्यम से व्यापक संवाद और सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है, जो सामाजिक समरसता का सूत्रधार है।

भाषाई संपदा ने भारत को वैश्विक मंच पर एक बहुभाषी सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया है। अनेक भारतीय भाषाएं विश्व के साहित्य, फिल्म, संगीत, और कला जगत में सम्मानित स्थान रखती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाई जटिलता ने इसे एक अनूठा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल भी बनाया है।

भाषाई विविधता के समक्ष बाधाएं और चुनौतियां

हालांकि भारत की भाषाई संपदा अत्यंत समृद्ध है, परंतु इसके समक्ष कई चुनौतियां भी हैं। शहरीकरण और वैश्वीकरण के कारण क्षेत्रीय भाषाओं का अस्तित्व खतरे में है। युवा वर्ग अंग्रेज़ी और लोकप्रिय क्षेत्रीय भाषाओं की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई जनजातीय और स्थानीय भाषाएं लुप्त हो रही हैं।

शिक्षा और सरकारी नीतियों में भाषाई असमानता भी एक बड़ी बाधा है। कई बार भाषा के आधार पर भेदभाव और अलगाव भी देखने को मिलता है। कई भाषाओं को पर्याप्त संरक्षण नहीं मिल पाता। डिजिटल और मीडिया जगत में भी प्रमुख देशों की भाषाओं का प्रभुत्व बना हुआ है, जिससे स्थानीय भाषाओं का प्रभाव कम होता जा रहा है।

इसके अलावा, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान क्षेत्रीय तनाव का कारण बनते हैं । भाषा आधारित विरोध ने कई बार सामाजिक सौहार्द को प्रभावित किया है। इसलिए भाषाई विविधता की सुरक्षा के लिए समुचित समझौते और संवेदनशीलता आवश्यक है।

भारत की भाषाई संपदा का संरक्षण और संवर्धन: आगे का रास्ता

भारत की भाषाई संपदा को संरक्षित करना और संवर्धित करना राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण के समान है। इसके लिए कई पहल हो रही हैं जैसे कि स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा का प्रचार, भाषा संरक्षण के लिए सरकार के अनुदान, भाषा के लिए तकनीकी विकास जैसे डिजिटल पुस्तकालय, ऐप्स और अनुवाद टूल्स का निर्माण।

सांस्कृतिक संगठनों, विश्वविद्यालयों और साहित्यिक संस्थाओं के माध्यम से भाषा और साहित्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाषा संरक्षण के लिए जनजागरण अभियान भी महत्वपूर्ण हैं जो स्थानीय भाषाओं का मूल्य समाज में स्थापित करते हैं।

सरकार की योजना में भाषाई समावेशिता को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना शामिल है। बहुभाषावाद को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्वीकार कर नई पीढ़ी में भाषाई संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा देना आवश्यक है।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी स्थानीय भाषाओं में इंटरनेट, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विकास ने भाषाओं को नई पहचान दी है। इससे युवा पीढ़ी भी अपनी भाषाई विरासत से जुड़ी रह सकती है।

भारत की भाषाई संपदा न केवल इसके सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है, बल्कि यह उसकी सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का आधार भी है। हजारों वर्षों की सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं ने इस बहुभाषीय राष्ट्र की जटिलता और अद्वितीयता को आकार दिया है। भाषाई विविधता के लाभ अकथनीय हैं, परंतु इसे सुरक्षित रखना और नई पीढ़ी तक पहुँचाना समय की मांग है।

भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि पहचान, इतिहास और अस्मिता का प्रतीक है। भारत को चाहिए कि वह अपनी भाषाई धरोहर को संरक्षित करते हुए उसे नवाचार और समावेश के साथ आगे बढ़ाए। यही बहुभाषावाद भारत की ताकत और सौंदर्य है, जिसका सम्मान और संवर्धन देश की प्राथमिकता हो।

अविनाश आनंद
एएलपी, बेंगलूरु- उत्तर

भाषा संरक्षण का महत्व है

मनुष्य को अन्य जीवों से अलग पहचान दिलाने वाली सबसे बड़ी विशेषता उसकी भाषा है। भाषा केवल बोलने या लिखने का माध्यम नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति, इतिहास, परंपरा और भावनाओं की आत्मा है। जिस प्रकार किसी पेड़ की जड़ें उसकी जीवन-रेखा होती हैं, उसी प्रकार भाषा समाज की जड़ है। यदि भाषा खो जाती है तो धीरे-धीरे उस समाज की पहचान भी मिट जाती है। आज के वैश्विक युग में, जब अंग्रेज़ी और तकनीकी भाषाएँ हमारे जीवन में गहराई से प्रवेश कर चुकी हैं, तब यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि भाषा को बचाए रखना क्यों ज़रूरी है।

भाषा और पहचान का रिश्ता

हर इंसान अपनी मातृभाषा में सोचता है, सपने देखता है और भावनाएँ व्यक्त करता है। जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसके पहले शब्द उसी भाषा में निकलते हैं जो वह घर में सुनता है। यही मातृभाषा उसके चरित्र, सोच और व्यक्तित्व का निर्माण करती है। अगर हम अपनी भाषा को छोड़ दें तो यह हमारी पहचान खोने जैसा है। कल्पना कीजिए, अगर कोई समाज अपनी भाषा भूल जाए तो उसकी लोककथाएँ, गीत, कहावतें, मुहावरे सब खो जाएँगे। तब हम केवल किताबों में इतिहास पढ़ पाएँगे, लेकिन उसकी आत्मा हमारे भीतर नहीं रह पाएगी।

संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण

भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि यह संस्कृति की गंगा है जिसमें हमारे पूर्वजों की धरोहर बहती रहती है। त्योहारों के गीत, लोकनृत्यों की बोलियाँ, साहित्य, कविता, नाटक और कहावतें—

ये सब भाषा के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं।

यदि भाषा लुप्त हो जाए तो हमारी संस्कृति और परंपराएँ भी विलुप्त हो जाएँगी। उदाहरण के लिए, अगर संस्कृत पूरी तरह से लुप्त हो जाती, तो हमारे वेद, उपनिषद, गीता, रामायण जैसे ग्रंथ केवल अनुवादों तक सीमित रह जाते और उनकी मौलिकता खो जाती।

किसी भी भाषा में छिपी भावनाएँ उसी रूप में प्रकट होती हैं। हम "माँ" शब्द कहते ही जिस आत्मीयता, स्नेह और गहराई का अनुभव करते हैं, वह किसी दूसरी भाषा में संभव नहीं। भाषा के शब्दों में संवेदनाओं का खज़ाना छिपा रहता है। अनुवाद भले ही अर्थ पहुँचा दे, लेकिन भावनाओं की गहराई को कम कर देता है। इसलिए भाषा को बचाना, हमारी भावनाओं को बचाने जैसा है।

कई बार लोग सोचते हैं कि मातृभाषा में आगे बढ़ने से अवसर सीमित हो जाते हैं, इसलिए अंग्रेज़ी या विदेशी भाषा सीखना ज़रूरी है। यह सोच आधी सच है।

दुनिया में जापान, चीन, रूस, फ्रांस जैसे देश उदाहरण हैं, जहाँ लोग अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा, शोध और व्यापार करते हैं। उन्होंने अपनी भाषा को बचाकर ही वैज्ञानिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगति हासिल की है। यदि भारत में भी हम विज्ञान, तकनीक और व्यापार में अपनी भाषाओं का अधिक प्रयोग करें तो इससे ज्ञान का दायरा बढ़ेगा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का अंतर कम होगा, और समाज में समानता का वातावरण बनेगा।

लोकतंत्र तभी मजबूत बनता है जब जनता अपने अधिकारों, कर्तव्यों और नीतियों को अपनी भाषा में समझ सके। अगर संविधान, कानून और प्रशासन केवल विदेशी भाषा में होगा तो आम नागरिक उससे जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए भाषा को बचाना लोकतंत्र को बचाना भी है। भारत ने संविधान में सभी भाषाओं को सम्मान देकर यह संदेश दिया है कि भाषा विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

वैश्वीकरण और भाषा का संकट

आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। लेकिन इसके साथ एक समस्या भी आई है—भाषाई एकरूपता। अंग्रेज़ी, चीनी या स्पेनिश जैसी बड़ी भाषाएँ छोटे-छोटे भाषाई समूहों पर हावी हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, हर दो सप्ताह में दुनिया की एक भाषा लुप्त हो रही है। भारत में ही लगभग 200 से अधिक भाषाएँ खतरे में हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो आने वाली पीढ़ियाँ केवल 10–15 बड़ी भाषाओं तक सीमित हो जाएँगी और छोटी भाषाएँ इतिहास का हिस्सा बन जाएँगी।

भाषा का खोना, जड़ों का खोना भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि यह हमारी जड़ों का दर्पण है।

जब हम भाषा खोते हैं, तो अपनी लोककला, लोकसंगीत, पारंपरिक ज्ञान भी खो देते हैं।

किसान की पीढ़ियों से चली आ रही कृषि-सम्बंधी कहावतें, मौसम की पहचान, आयुर्वेद की जड़ी-बूटियों की जानकारी—ये सब भाषा में ही संचित रहती हैं। इसलिए भाषा को बचाना, हमारी जड़ों और परंपराओं को बचाना है।

नई पीढ़ी और भाषा का महत्व

आज की पीढ़ी अंग्रेज़ी और तकनीकी भाषाओं में सहज है, लेकिन अक्सर अपनी मातृभाषा से दूर होती जा रही है। इसका असर यह है कि बच्चे दादा-दादी की कहानियाँ समझ नहीं पाते, लोकगीत और लोकनृत्य उनके लिए अजनबी हो जाते हैं और समाज में एक पीढ़ीगत दूरी पैदा हो जाती है। यदि हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी अपनी पहचान, संस्कृति और मूल्य समझे, तो उन्हें अपनी भाषा से जोड़ना ही होगा।

भाषा और साहित्य

साहित्य भाषा की आत्मा है। प्रेमचंद, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, निराला, मैथिलीशरण गुप्त जैसे कवि और लेखक हिंदी साहित्य की समृद्धि का उदाहरण हैं। अगर भाषा न रहे तो साहित्य भी न रहेगा। साहित्य हमें मानवीय संवेदनाओं, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों से जोड़ता है। इसलिए भाषा का संरक्षण, साहित्य का संरक्षण भी है। भाषा को बचाना केवल सरकार का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

कुछ उपाय इस प्रकार हैं:-

शिक्षा में मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में हो।

प्रौद्योगिकी में प्रयोग – कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट पर अधिक से अधिक सामग्री मातृभाषा में उपलब्ध हो।

साहित्य और कला का संवर्धन – किताबें, नाटक, फिल्में, गाने अपनी भाषा में प्रोत्साहित किए जाएँ।

परिवार की भूमिका – माता-पिता बच्चों से घर में मातृभाषा में संवाद करें।

अनुवाद और शोध – विज्ञान, तकनीक और व्यापार से जुड़ा साहित्य अपनी भाषा में अनुवादित हो।

सरकारी नीतियाँ – प्रशासन और न्याय में स्थानीय भाषाओं को महत्व मिले।

जब हम अपनी भाषा में बोलते हैं तो यह केवल संवाद नहीं होता, बल्कि यह गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। विदेशी भाषा का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन मातृभाषा की अनदेखी कभी नहीं होनी चाहिए।

गांधीजी ने कहा था –

"एक राष्ट्र अपनी भाषा से ही जीवित रह सकता है।"

भाषा को बचाए रखना केवल शब्दों को बचाना नहीं, बल्कि यह हमारी पहचान, संस्कृति, भावनाओं और भविष्य को बचाना है। यदि हम भाषा खो देंगे तो अपनी जड़ों से कट जाएँगे और एक ऐसे पेड़ की तरह हो जाएँगे जिसकी शाखाएँ तो हैं, लेकिन जड़ें नहीं।

इसलिए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि चाहे हम कितनी भी आधुनिकता अपनाएँ, पर अपनी मातृभाषा और अन्य भारतीय भाषाओं को हमेशा संजोएँगे, प्रयोग करेंगे और गर्व से आगे बढ़ाएँगे।

तुषार निकम
क्षे.का., पुणे-मेट्रो

नराकास की अर्धवार्षिक बैठक

दिनांक 19.08.2025 को नराकास, समस्तीपुर की 8 वीं अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन श्री राजेश कुमार, अध्यक्ष एवं क्षेत्र प्रमुख की अध्यक्षता में किया गया।

दिनांक 21.08.2025 को नराकास, कर्नूल की छमाही बैठक का आयोजन श्री पी नरसिम्हा राव, अध्यक्ष एवं क्षेत्र प्रमुख की अध्यक्षता में किया गया।

दिनांक 28.07.2025 को नराकास, मंगलूरु की 76 वीं अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन श्री राजेंद्र कुमार, अध्यक्ष एवं अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

दिनांक 16.09.2025 को नराकास, श्रीकाकुलम की अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन श्री पैडि राजा, अध्यक्ष एवं क्षेत्र प्रमुख की अध्यक्षता में किया गया।

दिनांक 26.09.2025 को नराकास, मडिकेरी की अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन श्री गंगाधर नाईक पी., अध्यक्ष एवं एलडीएम की अध्यक्षता में किया गया।

दिनांक 10.09.2025 को नराकास, आजमगढ़ की अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन श्री मनीष कुमार, अध्यक्ष एवं क्षेत्र प्रमुख की अध्यक्षता में किया गया।

हिंदी में मौलिक कार्य का महत्व

भाषा किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। यह केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और विचारधारा का संवाहक भी है। भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी ने एकता की डोर बाँधने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। राजभाषा के रूप में हिंदी की प्रतिष्ठा केवल संवैधानिक दायित्व ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान की आवश्यकता भी है। इसी सन्दर्भ में हिंदी में मौलिक कार्य—अर्थात् स्वतः रचित, सृजनात्मक और स्वतंत्र चिन्तन पर आधारित कार्य—का महत्त्व और भी बढ़ जाता है।

मौलिक कार्य का आशय

'मौलिक कार्य' से तात्पर्य केवल अनुवाद या रूपांतरण से नहीं है, बल्कि अपने विचारों, अनुभवों और शोध को हिंदी में प्रस्तुत करने से है। यह कार्य साहित्य, विज्ञान, तकनीक, बैंकिंग, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और प्रशासन—सभी क्षेत्रों में सम्भव है। जब हम हिंदी में मौलिक योगदान करते हैं, तो न केवल भाषा को समृद्ध करते हैं, बल्कि उसके व्यावहारिक उपयोग की क्षमता भी बढ़ाते हैं।

हिंदी और आत्मनिर्भरता

प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 'आत्मनिर्भर भारत' के आह्वान की मूल भावना तभी पूर्ण होगी जब ज्ञान और कौशल अपनी भाषा में सुलभ होंगे। यदि तकनीकी, वित्तीय, या कानूनी ज्ञान केवल विदेशी भाषाओं तक सीमित रहेगा, तो आमजन उससे लाभ नहीं उठा पाएँगे। हिंदी में मौलिक कार्य इस दूरी को कम करता है और ज्ञान को अधिक लोकतांत्रिक बनाता है।

प्रशासनिक कार्यों में महत्त्व

भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम तथा उसके नियमों के माध्यम से प्रशासन में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया है। परन्तु केवल अनुवाद या औपचारिक प्रयोग से हिंदी जीवंत नहीं हो सकती। जब अधिकारी, कर्मचारी और बैंक जैसे वित्तीय संस्थान हिंदी में मौलिक लेखन, रिपोर्ट, परिपत्र, शोध-पत्र और लेखन कार्य करेंगे, तभी हिंदी प्रशासनिक दक्षता की सशक्त भाषा बन पाएगी।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में हिंदी

बैंकिंग का कार्य आमजन से सीधा जुड़ा हुआ है। ग्राहकों से संवाद, ऋण योजनाओं की जानकारी, निवेश विकल्पों का विवरण—सब तब ही प्रभावी होते हैं जब सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत हों। यदि इन क्षेत्रों में मौलिक सामग्री हिंदी में उपलब्ध हो, तो बैंकिंग सेवाएँ गाँव-गाँव तक अधिक सुगमता से पहुँचेंगी। 'वित्तीय समावेशन' तभी सफल होगा जब भाषा की बाधा दूर हो।

हिंदी में सृजन और नवाचार

मौलिक लेखन केवल साहित्य तक सीमित नहीं है। विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और बैंकिंग एप्लिकेशन में भी हिंदी का प्रयोग आवश्यक है। यदि शोध-पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तकनीकी मैनुअल और प्रशिक्षण सामग्री हिंदी में मौलिक रूप से तैयार की जाए, तो हमारे युवा पीढ़ी को रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर मिलेंगे।

हिंदी और वैश्विक परिप्रेक्ष्य

आज हिंदी केवल भारत की नहीं, बल्कि विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से लेकर डिजिटल मीडिया तक, हिंदी की पहुँच तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में यदि मौलिक कार्य का बड़ा हिस्सा हिंदी में उपलब्ध होगा, तो वैश्विक स्तर पर भारतीय दृष्टिकोण और योगदान को सम्मान मिलेगा।

मौलिक कार्य से जुड़े लाभ

नए शब्द, वाक्य-रचना और शैली के विकास से भाषाई समृद्धि - ज्ञान का लोकतंत्रीकरण जटिल विषयों की सहज उपलब्धता के कारण मातृभाषा में विचार रखने से अभिव्यक्ति सशक्त होती है। भारतीय मूल्यों और परंपराओं का संरक्षण होता है और नए विचारों को अपने ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता में वृध्दि होती है।

चुनौतियाँ और समाधान

चुनौती: तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली का अभाव।

समाधान: आयोग, संस्थान और विश्वविद्यालयों द्वारा मानकीकृत शब्दावली का निर्माण।

चुनौती: हिंदी में लेखन में असहजता।

समाधान: कार्यस्थलों पर प्रोत्साहन, पुरस्कार और प्रशिक्षण की व्यवस्था।

चुनौती: युवाओं में रुची की कमी।

समाधान: डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग के माध्यम से हिंदी के प्रयोग को आधुनिक और आकर्षक बनाना।

हिंदी में मौलिक कार्य केवल एक भाषाई दायित्व नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। यह हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और भविष्य की ओर अग्रसर करता है। यदि हर क्षेत्र में हम हिंदी में सोचें, लिखें और शोध करें, तो यह भाषा ज्ञान, विज्ञान और प्रबंधन की प्रभावी भाषा के रूप में स्थापित होगी।

"हिंदी का विकास तभी सम्भव है जब हम उसमें मौलिक कार्य करें, न कि केवल अनुवाद तक सीमित रहें। मौलिक लेखन ही हिंदी को जीवंत, सशक्त और भविष्य उन्मुख बनाएगा।"

देवव्रत सेन गुप्ता
जे पी नगर शाखा,
क्षे.का., बेंगलूरु-दक्षिण

संस्था हेतु अनुवाद का महत्व

मानव सभ्यता का विकास भाषा के माध्यम से हुआ है। भाषा ही विचारों, भावनाओं और कार्यों को जोड़ने का सबसे बड़ा साधन है। लेकिन दुनिया में सैंकड़ों भाषाएँ प्रचलित हैं। भारत जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश में तो यह आवश्यकता और भी गहरी है। संविधान ने हिंदी को राजभाषा और अंग्रेज़ी को सहायक भाषा के रूप में मान्यता दी है, साथ ही सभी भारतीय भाषाओं को समान सम्मान प्रदान किया है। ऐसे में प्रशासनिक कामकाज, बैंकिंग सेवाएँ, न्यायालयीय कार्यवाही, शिक्षा, व्यापार, तकनीकी विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग—सभी में अनुवाद की भूमिका केंद्रीय हो जाती है।

अनुवाद का सीधा अर्थ है—किसी विचार या कथन को एक भाषा से दूसरी भाषा में उसी अर्थ, भाव और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना। यह केवल शब्दों का रूपांतरण नहीं है, बल्कि भाव, संदर्भ और मंशा को नई भाषा में ढालना है। किसी कार्यकारी संस्थान के लिए अनुवाद आवश्यक है ताकि भाषाई विविधता के बीच संवाद संभव हो। निर्णय, आदेश और नीतियाँ सभी तक समान रूप से पहुँचे। कर्मचारी और उपभोक्ता दोनों सहज रूप से जुड़ सकें। संस्थान की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़े। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थान प्रतिस्पर्धा कर सके।

भारत में 22 अनुसूचित भाषाओं के आलावा अनेक भाषाएँ और सैकड़ों बोलियाँ बोली जाती है। यहाँ विभिन्न राज्य अपनी-अपनी मातृभाषा में कार्य करते हैं, जबकि केंद्र स्तर पर हिंदी और अंग्रेज़ी प्रमुख हैं। ऐसे में जब कोई संस्था—जैसे बैंक, बीमा कंपनी, रेल, डाक विभाग या मंत्रालय—अपनी नीतियाँ या सेवाएँ प्रदान करती हैं, तो उसे सभी भाषाभाषियों तक पहुँचाना आवश्यक होता है।

जब सरकारी दस्तावेज़ और सेवाएँ नागरिक की भाषा में उपलब्ध होती हैं, तो शासन-प्रशासन आसान और सहभागी हो जाता है। बैंकिंग, बीमा और वित्तीय क्षेत्र में बहुभाषी सेवाएँ आर्थिक समावेशन को बढ़ाती हैं। न्यायपालिका में अनुवाद यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी भाषा-भाषी के साथ अन्याय न हो। अनुवाद से किसी संस्था का कार्य विश्व पटल पर पहुँचता है, जिससे उसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ती है।

बैंकिंग क्षेत्र में खाता खोलने के फॉर्म, ऋण समझौते, बीमा पॉलिसियाँ आदि यदि ग्राहक की भाषा में उपलब्ध हों तो भरोसा और पारदर्शिता बढ़ती है। सरकारी विभागों में नियम, अधिसूचनाएँ और योजनाएँ यदि केवल अंग्रेज़ी में हों तो आम नागरिक को कठिनाई होती है, इसलिए अनुवाद अनिवार्य हो जाता है। न्यायपालिका में भी अनुवाद के बिना कार्य संभव नहीं है। एक भाषा में दिए गए आदेश को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना न्याय की पहुँच बढ़ाता है।

किसी भी संस्था की नीतियाँ तभी सफल होती हैं जब वे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। यदि आदेश किसी ऐसी भाषा में हो जिसे कर्मचारी या ग्राहक न समझ पाए तो उसका पालन नहीं हो सकता। अनुवाद इस अंतर को पाटता है। जब किसी संस्था की शर्तें, नियम और सेवाएँ ग्राहक की भाषा में स्पष्ट रूप से उपलब्ध होती हैं, तब उस संस्था के प्रति ग्राहक का भरोसा बढ़ता है। बहुभाषी वातावरण में कार्य करने वाले कर्मचारी यदि अपनी सुविधा की भाषा में प्रशिक्षण सामग्री, नियमावली और दिशा-निर्देश प्राप्त करें, तो उनकी दक्षता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, दूतावास या संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन विभिन्न भाषाओं में कार्य करते हैं। यहाँ अनुवादकों और दुभाषियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अनुसंधान और तकनीकी प्रगति को व्यापक रूप से साझा करने के लिए अनुवाद आवश्यक है। यदि शोध केवल एक भाषा तक सीमित रहे तो उसका लाभ सीमित ही रहेगा।

किसी भी संस्थान के लिए अनुवाद की प्रक्रिया आसान नहीं होती। इसमें कई कठिनाइयाँ सामने आती हैं: कई बार शब्दशः अनुवाद अर्थ बिगाड़ देता है। संदर्भ और भाव को समझकर ही अनुवाद करना पड़ता है। बैंकिंग, विधि, विज्ञान या चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में तकनीकी शब्दों का सही अनुवाद चुनौतीपूर्ण है। प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद त्वरित होना चाहिए, वरना निर्णयों के क्रियान्वयन में देरी होती है। भारत में हर राज्य की भाषा और बोली अलग है, इसलिए सभी तक पहुँचने के लिए बहुस्तरीय अनुवाद की आवश्यकता होती है। उच्च गुणवत्ता वाले अनुवादकों की संख्या अभी भी अपेक्षाकृत कम है।

आज डिजिटल क्रांति ने अनुवाद की प्रक्रिया को सरल और तेज बना दिया है। मशीन अनुवाद, एआई आधारित सॉफ़्टवेयर और अनुवाद मेमोरी टूल्स कार्यकारी संस्थानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। तथापि इनका उपयोग करते समय मानव संपादन और प्रूफरीडिंग आवश्यक है ताकि गुणवत्ता बनी रहे। ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं। सरकारी वेबसाइटें नागरिकों की सुविधा के लिए हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित की जा रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग अनुवाद को और अधिक सटीक बना रही हैं।

अनुवाद किसी भी कार्यकारी संस्थान के लिए केवल भाषाई आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह सुशासन, पारदर्शिता, दक्षता और विकास का आधार है। बहुभाषी समाज में कार्य करने वाली संस्थाओं के लिए अनुवाद सेतु का कार्य करता है। यह न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाता है बल्कि संस्थान और नागरिकों के बीच विश्वास भी स्थापित करता है। आज के वैश्वीकरण और डिजिटलीकरण के दौर में अनुवाद की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। यदि कोई संस्था अनुवाद की आवश्यकता को अनदेखी करती है, तो वह अपने ही उपभोक्ताओं और कर्मचारियों से कट सकती है। वहीं, जो संस्थाएँ अनुवाद को प्राथमिकता देती हैं, वे न केवल अपने देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सफल होती हैं।

नाविन्य गजानन गुजर
क्षे. का., पुणे-मेट्रो

ग्राहक सेवा में भाषा का महत्व

पदोन्नति और स्थानांतरण जैसे बैंकर के लिए पर्यायवाची शब्द हों और मैं कोई अपवाद नहीं। बैंकर चुने जाने पर यह स्पष्ट था कि स्थानांतरण तय है, पदोन्नति तय तो नहीं पर संभव है। वैसे दो राज्यों में स्थानांतरण का सौभाग्य मैंने पा लिया था, किन्तु यह केवल प्रारम्भ था। समय के साथ मेरा स्थानांतरण एक "ख क्षेत्र" राज्य में हो गया। हिंदी एवं अँग्रेजी के साथ ही मेरी मातृभाषा ("ग क्षेत्रीय") का मैंने अध्ययन किया है, सो यूं कहें कि मेरी मातृभाषा और इस कर्मभूमि की भाषा में पूरब पश्चिम का अंतर था तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

नियमानुसार मैंने नए स्थान पर कार्य ग्रहण किया। शाखा में सुबह प्रथम चेक आया, जो स्थानीय भाषा में था। साथ ही ग्राहक ने स्थानीय भाषा में ही बहुत सारी बातें बताईं और मुझे न चेक की भाषा समझ आई न ग्राहक की। चेक पर क्या नाम लिखा था, कितनी राशि थी, अंकों और शब्दों का मेल, हस्ताक्षर समझ पाना संभव नहीं था, किन्तु चेक पास करना अनिवार्य।

लेखाकर महोदय, जो कि स्थानीय ही थे, की सहायता से चेक पास हुआ। फिर दूसरा चेक, फिर तीसरा, फिर एक चिट्ठी, हाथ में आता हर दस्तावेज़ स्थानीय भाषा में ही था। मैं कभी लेखाकर महोदय का मुंह देखती कभी बड़े बाबू का। जैसा उन्होंने अनुवाद किया, वैसा मैंने किया। शाखा में आता प्रत्येक ग्राहक स्थानीय भाषा में वार्तालाप करता और मैं असमंजस में पड़ जाती। कुछ दिनों पश्चात ग्राहकों ने मुझसे वार्तालाप बंद कर दिया, सबको ज्ञात हो गया कि मुझे स्थानीय भाषा नहीं आती, सो जब तक शाखा में स्थानीय लोग हैं, मुझसे वार्तालाप की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे सिवा शाखा में सभी स्थानीय ही थे।

अचानक मैं स्वयं को निरक्षर, मूक एवं अदृश्य जान रही थी। हर कार्य हेतु सहकर्मियों की सहायता लेनी पड़ती, बड़ा असहाय भी महसूस कर रही थी। ऐसे में खीज उत्पन्न होना स्वाभाविक था। मन में नाना प्रकार के प्रश्न उठते, क्या आवश्यकता थी मेरी शाखा में, केवल कंप्यूटर के कार्य तक सीमित रहती, कैश की, एटीएम की चाबी, बस यही मेरा अस्तित्व हो चला। यह सब ऑफिस तक ही सीमित नहीं था, दैनिक व्यावहारिक कार्य जैसे बाज़ार से समान लाना भी कठिन हो चला था।

ऐसे ही दिन कट रहे थे कि अचानक ही ट्रेनिंग के दौरान हुई एक चर्चा स्मृति में तैर उठी। ग्राहक की भाषा समझना आवश्यक है, तभी आप उसकी आवश्यकताओं को समझेंगे। बैंकिंग सेवा क्षेत्र है, और ग्राहक सर्वोपरि, सो ग्राहक जो समझे उसी भाषा का उपयोग करना उचित होगा। ट्रेनिंग में यह सब चर्चा किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में हुई थी, किन्तु मेरी स्थिति पर भी सटीक बैठ रही थी।

तीन भाषाओं का मुझे बोध था, चौथी भाषा सीखने से क्यों परहेज हो, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। फिर जिनके साथ प्रतिदिन भेंट हो, उनकी भाषा बोलना ही उचित होगा। इस निश्चय के साथ मैंने "ख क्षेत्र" की स्थानीय भाषा की प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ की। बड़े बाबू और प्यून की सहायता से अंक सीखे, चेक जो पास कर रही थी। प्रतिदिन अभ्यास किया, फिर शब्दावली फिर शब्द। शाखा में सबने स्थानीय भाषा में वार्तालाप करने हेतु उत्साहित किया सो सीमित शब्द ज्ञान से ही टूटी-फूटी भाषा में बोल चाल प्रारम्भ हो गया।

मेरा प्रयास सबने सराहा, अचानक ही मैंने पाया कि बड़े बाबू एवं प्यून नियमित ग्राहकों से मेरे प्रयास की चर्चा करते, मेरा प्रोत्साहन करते। अब मैं गुड मार्निंग नहीं वरन "केम छो" कहती, जिसका मुस्कान के साथ उत्तर मिलता। ग्राहकगण अब मुझसे भी नाना प्रकार की वार्ता करते। अब बाज़ार में मोल भाव करना भी सरल हो गया, प्रत्येक सब्जी भाजी का नाम, घरेलू सामान का नाम जो ज्ञात हो गया था। स्थानीय तीज त्योहारों में केवल सम्मेलन ही नहीं वरन स्वीकृति और स्वागत भी होने लगा।

छह माह में कितना परिवर्तन हो गया। वह शहर मेरा अपना सा हो गया। स्थानीय भाषा ने मुझे कितना स्थान प्रदान कर दिया, कितने बंद किवाड़ खोल दिए। वैसे भी जब परस्पर स्वीकृति की बात हो तो किसी एक को पहल करनी ही होती है, मैंने पहल की, स्थानीय लोगों ने मेरी भूल-चूक को अनदेखा कर अपने समाज में मेरा स्वागत किया।

स्थानीय भाषा सीखने का प्रयास केवल बैंकिंग हेतु ही किया था, किन्तु इस भाषा ने मुझे उस क्षेत्र के खान-पान, रहन-सहन, संस्कृति-सभ्यता, रीति-रिवाज, तीज-त्योहार, गीत-संगीत सभी से भेंट करवाया। गीत हमेशा ही लोकप्रिय और कर्णप्रिय थे, किन्तु जब गीतों के अर्थ समझ आने लगे तो मेरे पैर स्वयं ही थिरकने लगे। समयानुसार इस क्षेत्र से मेरा स्थानांतरण हो गया, किन्तु यह संस्कृति आज भी मेरी दिनचर्या का अभिन्न अंग है, और वो शहर आज भी मेरा अपना सा।

भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं वरन, भाषा आत्मीयता की, स्पष्टता की, गरिमा की, गर्व की, संस्कृति की, विश्वास की भावनात्मक पहलू भी है। कभी विदेश यात्रा पर जाएँ और किसी हिंदी भाषी से भेंट हो जाए, तो अपने देश का स्मरण हो उठता है, खुशी एवं उत्साह का अनुभव होता है। स्वतः ही भेंट वार्ता का मन करता है, जिसका केवल एक कारण होता है, अपनी भाषा।

बैंकिंग की भाषा क्या है, ग्राहक का विश्वास और पूर्ण पारदर्शिता। अपनी भाषा में वार्तालाप न केवल सहजता प्रदान करता है, वरन विश्वास भी। अपनी मातृभाषा में ग्राहक से आग्रह किया जाए तो ग्राहक स्वतः ही संकोच की दीवार ढहा देते हैं। बैंकिंग गतिविधियां हों या निजी, स्थानीय भाषा में वार्तालाप कर श्रोता का विश्वास सहज ही जीता जा सकता है। आज भी देश के ग्रामों में स्थानीय लोग केवल स्थानीय भाषा तक ही सीमित हैं, अतः ग्राहक को बेहतर सेवा देने हेतु एवं पारदर्शिता के सिद्धांत का पालन करते हुए बैंक की शाखाओं में अधिकाधिक फॉर्म स्थानीय भाषा में उपलब्ध हैं जिससे उन्हे संबन्धित नियम समझने में सरलता होती है। वित्तीय समावेशन का सिद्धांत लिए बैंक ने कई कदम उठाए हैं, किन्तु समावेशन केवल वित्तीय नहीं वरन भावनात्मक भी हो और केवल स्थान विशेष पर नहीं वरन पूरे देश में हो, यह सुनिश्चित करने हेतु, स्थानीय भाषा का बोध अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शिल्पा शर्मा सरकार
कें. का., मुंबई

स्वास्थ्य संबंधी सुझाव – स्क्रीन टाइम से जुड़ी समस्याएं

अत्यधिक स्क्रीन टाइम से आंखों में तनाव, सूखापन और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं को रोकने के लिए इन आदतों को अपनाने से स्क्रीन से जुड़ी आँखों की परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

20-20-20 नियम का पालन करें: हर 20 मिनट में, आंखों के तनाव को कम करने के लिए 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखें।

उचित दूरी बनाए रखें: अपनी स्क्रीन को लगभग एक हाथ की दूरी पर रखें, स्क्रीन का शीर्ष आंखों के स्तर पर या थोड़ा नीचे हो।

बार-बार पलकें झपकाएं: बार-बार पलकें झपकाने से आपकी आंखें नम रहती हैं और सूखापन कम होता है। यदि आवश्यक हो तो आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का भी उपयोग कर सकते हैं।

फ़ॉन्ट का आकार और कंट्रास्ट समायोजित करें: तनाव को कम करने के लिए टेक्स्ट का आकार बढ़ाएँ और कंट्रास्ट समायोजित करें, खासकर पढ़ने या लंबे समय तक काम करने के लिए।

हाइड्रेटेड रहें: पर्याप्त पानी पीने से आँखों की नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

ब्रेक लें: रक्त संचार को बेहतर बनाने और आँखों की थकान को कम करने के लिए हर घंटे कुछ मिनट के लिए उठें, स्ट्रेच करें और घूमें।

स्क्रीन की चमक और कंट्रास्ट को समायोजित करें: चकाचौंध और तनाव को रोकने के लिए अपनी स्क्रीन की चमक को अपने आस-पास की रोशनी के समान रखें।

ब्लू लाइट फ़िल्टर का उपयोग करें: नीली रोशनी के संपर्क को कम करने के लिए नाइट मोड चालू करें या ब्लू लाइट फ़िल्टरिंग ग्लास का उपयोग करें।

अच्छी रोशनी सुनिश्चित करें: मंद रोशनी में या तेज़ फ्लोरोसेंट रोशनी में काम करने से बचें। चकाचौंध को कम करने के लिए टास्क लाइटिंग का उपयोग करें।

अच्छी रोशनी सुनिश्चित करें: मंद रोशनी में या तेज़ फ्लोरोसेंट रोशनी में काम करने से बचें। चकाचौंध को कम करने के लिए टास्क लाइटिंग का उपयोग करें।

नियमित नेत्र परीक्षण: अपनी आँखों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए हर साल नेत्र विशेषज्ञ से मिलें और यदि आवश्यक हो तो अपने चश्में को अपडेट करें।

निखिल एच जी
चन्नापेट्टा शाखा
क्षे. का., कोल्लम

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी

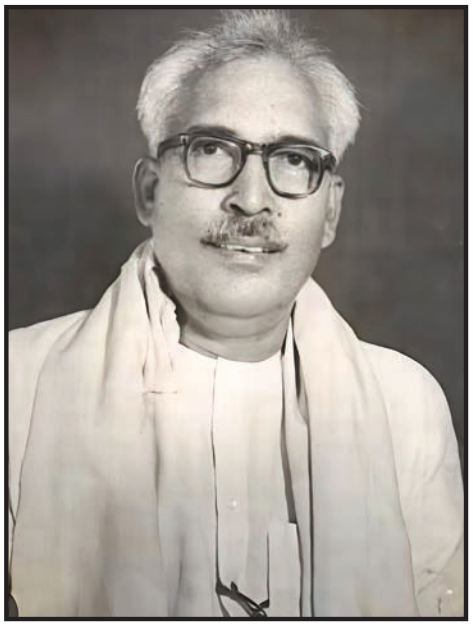

किसी भी साहित्य के विकास के क्रम में भाषा का परिष्करण एक महत्वपूर्ण चरण है। हिंदी साहित्य के विकास के कई सोपान हैं। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल तक साहित्य अपभ्रंश, ब्रज, अवधी में लिखा गया। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु के साहित्य पटल पर आने से माना जाता है। भारतेंदु ने खड़ी बोली में साहित्य सृजन किया। भारतेंदु युग के बाद का युग (1903-1916 ई.) द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। भाषा का सर्वाधिक परिष्करण इसी काल में हुआ। आज हम हिंदी के जिस स्वरूप को देखते हैं उसका निर्माण इसी काल में हुआ। वस्तुतः यह हिंदी साहित्य के उत्थान व विकास का काल है। इस कालखंड का नाम हिंदी के पुरोधा साहित्यकार आचार्य महावीर प्रासाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। आचार्य द्विवेदी ने `सरस्वती' पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी के विकास का महती कार्य किया। इनसे पहले काव्य रचना ब्रजभाषा में ही की जाती थी।

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ई. में रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में एक कान्यकुब्ज परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित रामसहाय द्विवेदी था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने स्वाध्याय के बल पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। द्विवेदी जी ने रेल विभाग में नौकरी की किंतु किसी बात पर रुष्ट होकर उन्होंने रेलवे की अच्छे वेतन वाली नौकरी छोड़ दी और वहां से त्यागपत्र देकर `सरस्वती' पत्रिका के संपादन का भार 1903 ई. में संभाल लिया। अपनी अद्‌त प्रतिभा, साहित्यिक सूझबूझ, परिश्रम एवं व्यवाहरिक कुशलता से उन्होंने इस पत्रिका को हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बना दिया। द्विवेदी जी ने एक ओर तो हिंदी भाषा का संस्कार परिमार्जन किया और उसे व्याकरण सम्मत रूप प्रदान किया साथ ही कवियों और लेखकों को उन्होंने शुद्ध हिंदी से परिचित करवाया।

द्विवेदी जी ने जाति-हित की अपेक्षा देशहित को महत्व दिया। हिंदू होते हुए भी भारतीय कहलाने की गौरवमयी भावना को जागृत किया। अतीत के गौरव को ध्यान में रखते हुए भी वर्तमान को न भूलने की प्रेरणा दी। इस युग की सबसे विशेष बात यह है कि खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत बनाया गया और हिंदी को उस उच्चतम स्तर पर पहुंचाया जो इससे पूर्व में कभी संभव नहीं हुआ था। यह कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व के कारण ही संपन्न हुआ और इस काल के साहित्यकार उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रभावित हुए और उनके बताए मार्ग पर चले इसलिए इस युग को द्विवेदी युग का नाम दिया गया। सन् 1931 ई. में काशी नागरी प्रचारिणी सभा नें उन्हें 'आचार्य' की उपाधि से विभूषित किया तथा हिंदी साहित्य ने उन्हें `वाचस्पति' की उपाधि प्रदान की। इस महान हिंदी सेवी का निधन 1934 ई. में हुआ।

द्विवेदी जी ने पचास से अधिक ग्रन्थों की रचना की जो विविध विषयों से संबंधित हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत् हैं ;

काव्यसंग्रह- काव्य मंजूषा, कविता कलाप, सुमन

आलोचना- रसज्ञ रंजन, हिंदी नवरन, साहित्य सीकर, नाट्यशास्त्र, विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास एवं उनकी कविता, साहित्यालाप, विज्ञान वार्ता, कोविद कीर्तन, दृश्य दर्शन, समालोचना समच्चय, नैषधचरित चर्चा, कौटिल्य कुठार, वनिता विलास।

अनुदित रचनाएं- वेकन विचारमाला, मेघदूत, विचार रत्नावली, कुमारसम्भव, गंगालहरी, किरातार्जुनीय, हिंदी महाभारत, रघुवंश, शिक्षा, स्वाधीनता, विनय विनोद।

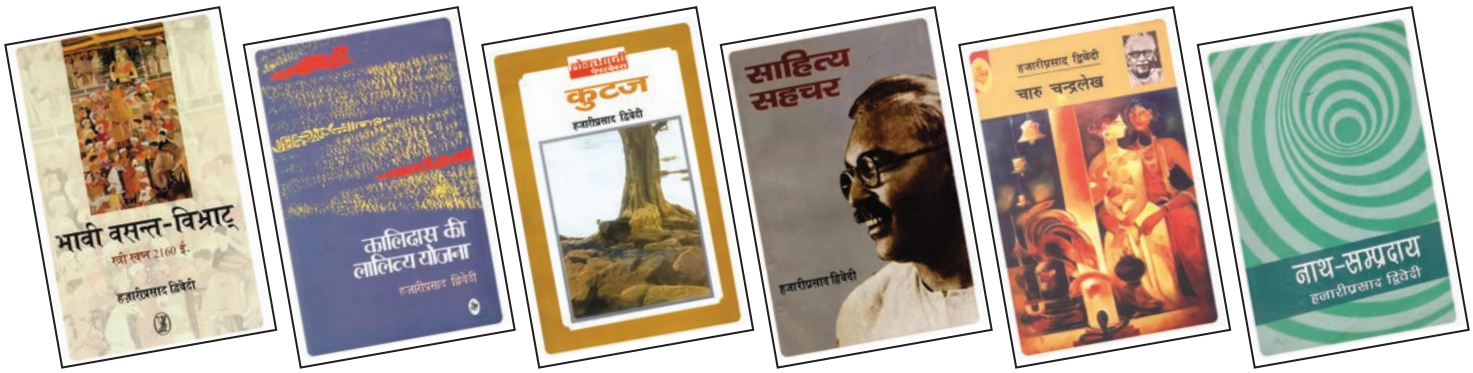

निबंध- सरस्वती पत्रिका तथा अन्य अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशित।

विविध- जल चिकित्सा, सम्पत्तिशास्त्र, वकृत्वकला

संपादन- सरस्वती मासिक पत्रिका

आलोचनात्मक निबंधों में जहां द्विवेदी जी ने शुद्ध परिनिष्ठित संस्कृत तत्सम शब्दावली युक्त भाषा का प्रयोग किया है तो भावात्मक निबंधों में कलात्मक भाषा दिखाई पड़ती है। स्थान-स्थान पर संस्कृत की सूक्तियों के प्रयोग से भाषा को प्रभावशाली बनाने में सफलता प्राप्त की है।

द्विवेदी जी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने में सिद्धहस्त थे साथ ही उनकी रचनाओं में संस्कृत शब्दों की बहुलता है। उर्दू एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी उनकी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं। कई स्थानों पर उन्होंने बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है। वास्तव में वे व्यवहारिक भाषा के पक्षधर थे और ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जो सामान्य व्यवहार में प्रयोग में आती है तथा जिसे समझने में किसी को कठिनाई न हो। इनकी भाषा में कोमलकांत मधुर पदावली के साथ अनुप्रास की छठा सर्वत्र विद्यमान है। इनकी शैलीगत विशेषताओं में भावनात्मक, गवेषणात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक शैलियां प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त जगह-जगह पर हास्य-व्यंग्य का समावेश भी किया गया है। विशेष रूप से सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों पर वे हास्य-व्यंग्यपूर्ण शैली में प्रहार करते हैं। ऐसे स्थलों पर शब्द विधान सरल है तथा वाक्य छोटे-छोटे किंतु कसे हुए होते हैं। इस शैली का एक उदाहरण दृष्टक है- म्यूनिसिपिलिटी के चेयरमैन श्रीमान बूचाशाह हैं। बाप-दादों की कमाई का लाखों रुपया आपके घर में भरा है। पढ़े-लिखे आप राम का नाम हैं।

डॉ. रामविलास शर्मा ने द्विवेदी जी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है द्विवेदी जी ने अपने साहित्य जीवन के आरंभ में पहला काम यह किया कि उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने जो पुस्तक बड़ी मेहनत से लिखी और जो आकार में उनकी और पुस्तकों से बड़ी है, वह संपत्तिशास्त्र है। अर्थशास्त्र के अध्ययन के कारण द्विवेदी जी ने बहुत से विषयों पर ऐसी टिप्पणियां लिखी हैं जो विशुद्ध साहित्य की सीमाएं लांघ जाती हैं।

अर्थशास्त्र के अतिरिक्त उन्हें राजनीति, समाजशास्त्र, भारत के प्राचीन दर्शन एवं विज्ञान का भी प्रचुर ज्ञान था जो उनके साहित्य में परिलक्षित होता है। प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार द्विवेदी जी के लेख या निबंध मुख्यतः विचारात्मक श्रेणी में रखे जाएंगे।

द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार- द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से बहुत से साहित्यकारों को मंच प्रदान किया, जो आगे चलकर हिदी साहित्य के बड़े नामों में शामिल हुए, इनमें प्रमुख हैं –

कवि- मैथिलीशरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय। मैथिलीशरण गुप्त इस युग के प्रतिनिधि कवि थे।

देवकीनंदन खत्री, गोपालराम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी आदि ने इस युग में तिलस्मी एवं जासूसी उपन्यास लिखे जो उन दिनों बहुत लोकप्रिय हुए। देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता उपन्यास तो लोगों को इतना भाया कि लाखों लोगों ने उसे पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। प्रेमचंद, वृंदावनलाल शर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद आदि प्रमुख साहित्यकार थे।

द्विवेदी युग में सरस्वती के अतिरिक्त इन्द, माधुरी, सुधा,मर्यादा, हंस, प्रभा, प्रताप, कर्मवीर, विशाल भारत पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरु हुआ। इस युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं राष्ट्रीयता, सामान्य मानवता, नीति और आदर्श, वरणय विषय का विस्तार, हास्य-व्यंग्य काव्य हैं। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास इसी काल में हुआ। गुलेरी की `उसने कहा था', बंग महिला की `ढुलाई वाली', जयशंकर प्रसाद की `ग्राम' इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं।

यह स्पष्ट है कि आचार्य दिवेदी जी का हिंदी साहित्य के विकास में बहुमूल्य योगदान है। भाषा की जो सेवा उन्होंने की है वह अप्रतिम है। सरस्वती के माध्यम से जो मंच उन्होंने हिंदी साहित्यकारों को प्रदान किया उसने हिंदी साहित्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। द्विवेदी युग निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का एक स्वर्णिम अध्याय है जिसने भाषा एवं विचार दोनों ही क्षेत्रों मे हिमदी साहित्य को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया।

अवनीश कुमार सिमल्टी
परिचालन विभाग,
कें. का., मुंबई

गुनाहों का देवता

लेखक - धर्मवीर भारती

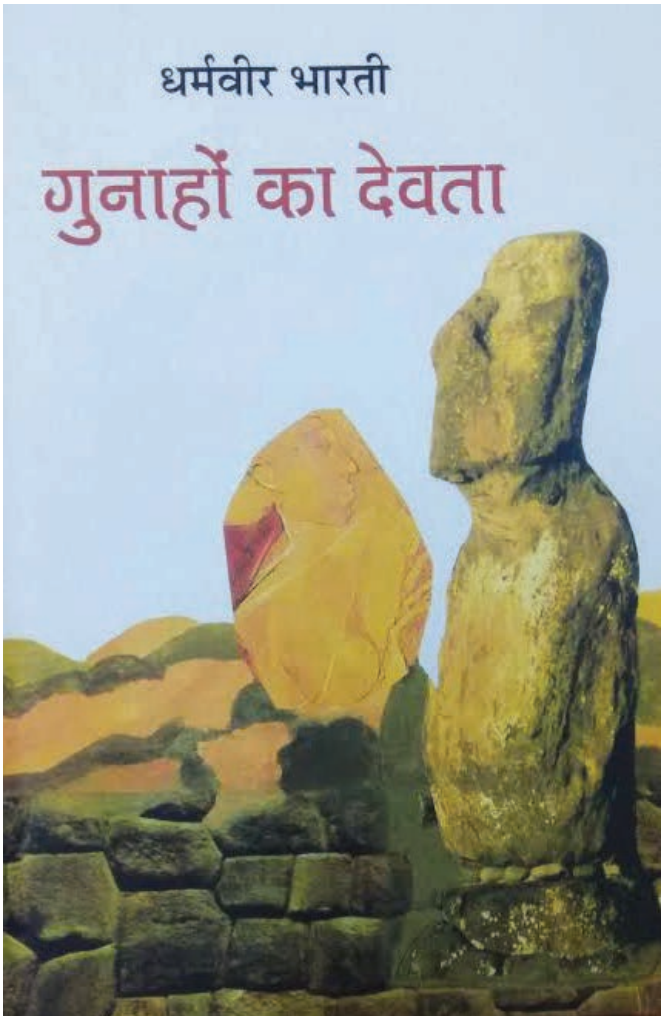

धर्मवीर भारती द्वारा वर्ष 1949 में रचित गुनाहों का देवता उपन्यास एक प्रेम कथा के रूप में प्रसिद्ध हुई। यह हिंदी साहित्य का अत्यंत लोकप्रिय उपन्यास है जो प्रेम की आदर्श और व्यावहारिकता दोनों की पड़ताल करता है। हिंदी साहित्य की शीर्ष 10 लोकप्रिय किताबों में धर्मवीर भारती जी का उपन्यास गुनाहों का देवता की गिनती की जाती है। इस उपन्यास की लोकप्रियता इस बात से पता चल जाती है कि भारत की विभिन्न भाषाओं में इसके करीब सौ संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। वैसे तो हिंदी में कई लोकप्रिय उपन्यास है, यद्यपि इनके नाम लिए जाए तो एक के बाद एक कई नाम आएंगे लेकिन इससे भारती जी के उपन्यास गुनाहों का देवता पर कोई असर नहीं पड़ता। इस उपन्यास की अपनी विशेष लोकप्रियता है। इसकी अपार लोकप्रियता के पीछे का कारण खुद भारती जी भी समझ नहीं पाए। भारती जी की यह उपन्यास उस काल में भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक बिकने वाली लोकप्रिय साहित्यिक पुस्तक है।

गुनाहों का देवता उपन्यास प्रेम, त्याग, नैतिकता और सामाजिक बंधनों की मार्मिक गाथा है। यह उपन्यास जहां एक ओर बेहद रोमांटिक है वहीं दूसरी ओर प्रेम का एक उदात्त और बलिदानी स्वरूप भी अपने आप में समाहित किए हुए है। इस उपन्यास में केवल प्रेमकथा ही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक बंधनों के बीच टकराव भी देखने को मिलती है। गुनाहों का देवता उपन्यास भारत के साधारण मध्यमवर्गीय परिवार की कहानी है। धर्मवीर भारती के इस उपन्यास का केंद्रीय विषय – आदर्श और यथार्थ के बीच का संघर्ष है।

गुनाहों का देवता एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास में मुख्य रूप से प्रेम, मानवीय संबंधों, सामाजिक मूल्यबोध और भावनात्मक द्वंद को स्थान दिया गया है। इसमें आधुनिक शिक्षा प्राप्त नौजवानों की सोच और भारतीय परंपराओं के बीच का संघर्ष उभरकर आता है। यह उपन्यास मुख्य रूप से एक प्रेम कथा है। इसमें केवल रोमांटिक आकर्षण नहीं है अपितु गहरे आत्मीय और नैतिक संबंध भी द्रष्टव्य है। उपन्यास की भूमिका में भारती जी ने लिखा है- मेरे लिए इस उपन्यास का लिखना वैसा ही रहा है, जैसे पीड़ा के क्षणों में पूरी आस्था के साथ प्रार्थना करना। इस उपन्यास में भी पीड़ा और प्रार्थना जैसा ही कुछ है।

पूरी कहानी उपन्यास के मुख्य केंद्र चंदर, सुधा, पम्मी और बिनती के ही इर्दगिर्द घूमती है। इनके अतिरिक्त इस उपन्यास में कुछ अन्य पात्र जैसे गीसू, बर्टी, बिसरिया, कैलाश, डॉ शुक्ला, सुधा की बुआ आदि है। चंदर, सुधा के पिता के प्रिय छात्रों में से एक है जिस कारण उसका सुधा के घर नियमित आना जाना रहता है। धीरे-धीरे दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं लेकिन यह प्रेम भक्ति प्रेम की भांति है जिसमें सुधा चंदर को देवता मानते हुए एक भक्त के समान उसे सम्मान देती है। चंदर भी सुधा से प्रेम तो करता है लेकिन सुधा के पिता द्वारा उस पर किए गए एहसान के तले और सामाजिक मर्यादाओं में बंध कर वह कभी भी अपने मन की बात सुधा से व्यक्त नहीं कर पाता और परिणामस्वरूप सुधा का विवाह कहीं और हो जाता है। चंदर के लिए सुधा का विवाह मानो एक गहरा आघात हो वह इससे उबर नहीं पाता है और इसी क्रम में वह अपनी तन्हाई खतम करने के लिए अन्य स्त्रियों जैसे पम्मी, बिनती का सहारा लेता है लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ सुधा अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ती है

वह माँ बनती है लेकिन उसके दिल में अभी भी चंदर की यादें मौजूद है। धीरे-धीरे चंदर भी मान लेता है कि सुधा का अपना एक अलग जीवन है और वैवाहिक जीवन के प्रति उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ है।

पम्मी इस कहानी का त्रिकोण है। उसका तलाक हो चुका है, वह चंदर की ओर खींची चली जाती है। धर्मवीर भारती जी ने अपने उपन्यास में पम्मी और चंदर के सम्बन्धों को गहराई से बताया है जिसमें सिहरन है, रोमांच व रोमांस है पर उत्तेजना, अश्लीलता नहीं है। चंदर की जिंदगी में सुधा और पम्मी के बाद बिनती आती है। चंदर की याद में हर वक़्त विरह में डूबी सुधा अस्वस्थ रहने लगी जिसके कारण वह काफी कमजोर हो गई और अंततः सुधा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जाते-जाते सुधा ने चंदर को बिनती से विवाह करने हेतु गुजारिश की। सुधा और पम्मी से टूटा हुआ चंदर, बिनती को मिलता है उसे इस बात का आभास है, उसके बाद भी वह चंदर की जीवन संगनी बनती है।

उपन्यास में व्यक्त भावों को दो भागों में बांटा जा सकता है, जहां दोनों ही विचारप्रवाह अपनी अलग पहचान रखते हैं। प्रथम भाग में जहां भारती जी ने एक सैद्धान्तिक प्रेमी की मानसिकता को दर्शाया है वहीं दूसरे भाग में प्रेम में स्थापित तृष्णा को उकेरा है और बताया है की वास्तव में प्रेम सभी सिद्धांतों से परे है। पूरे उपन्यास में प्रेम के संबंध में सभी पात्रों की अपना अलग नजरिया है। कोई कृष्ण बनने के लिए गुनाह किए जाता है तो कोई मीरा बनकर अपने वैवाहिक जीवन के साथ न्याय नहीं कर पाती, किसी को अपनी मृत पत्नी पर शक है तो कोई अपने पति से नाराज है। सभी पत्रों ने अपने-अपने किरदार को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। उपन्यास के हर पड़ाव पर तराजू की सूई पवित्र प्रेम और वासना के बीच अटकी रहती है। इसमें कभी आदर्श हावी होता है तो कभी मांसलता। उपन्यास में न केवल भावना और वासना के बीच संघर्ष का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है बल्कि आधुनिक शिक्षित मध्यवर्गीय समाज की ढुलमुल मानसिकता और रूढ़िग्रसता को भी बखूबी दर्शाया है।

चंदर सुधा की यह कहानी केवल प्रेम प्रसंग नहीं है, बल्कि उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक परिवेश का जीवंत चित्रण भी है। उस समय समाज परम्पराओं और मर्यादाओं से बंधा हुआ था, गुरु शिष्य संबंध को अत्यंत पवित्र माना जाता था, इसलिए सुधा और चंदर में प्रेम होते हुए भी यह अधूरा रह गया। ऐसे भक्त और देवता के प्रेम होने के बावजूद चंदर और सुधा एक दूसरे को पा नहीं सके। एक तरफ सुधा अपने परिवार के लिए समर्पित हो जाती है वहीं दूसरी ओर चंदर अपने अधूरे प्रेम के बोझ के साथ अपना जीवन बिता लेता है।

इस उपन्यास का मुख्य परिवेश लखनऊ विश्वविद्यालय है। साथ ही इसमें लखनऊ शहर का वातावरण भी उभरकर सामने आता है। इस उपन्यास में कई परिवेश जैसे सामाजिक, शैक्षिक, पारिवारिक, शहरी और भावनात्मकता शामिल है।

उपन्यास की भाषा अत्यंत सरल, सहज और भावनात्मक है। कहीं-कहीं कवितामई प्रवाह देखने को मिलती है। कहीं भी क्लिष्ट अथवा कठिन शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। इसमें पत्रों के बीच संवाद बहुत अधिक है जो उनकी मनोभावनाओं को स्पष्ट करते हैं। जैसे चंदर और सुधा के संवाद भावनाओं से भरी है। संवादों और आत्मकथनों में गहरी संवेदनाएँ उभरकर आती हैं। उन संवेदनाओं-भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने कई जगहों पर काव्यात्मक बिंबो, उपमान और रूपकों का भी उपयोग किया है। साथ ही भारती जी ने पात्रों के मनोभावों और आंतरिक द्वंद को भी गहराई से उकेरा है। यह कहा जा सकता है कि इस उपन्यास की भाषा शैली सरल, भावुक, आत्मीय, काव्यात्मक और मनोविश्लेषणात्मक है। साधारण भाषा में लिखी गयी यह पुस्तक समाज का दर्पण दिखाती है। भारती जी ने इतने सरल दृष्टान्त बनाये हैं कि किरदारों से एक जुड़ाव सा महसूस होने लगता है। उपन्यास का कथा कौशल अत्यंत सफल है। उपन्यास की कथा शुरू से लेकर अंत तक पाठकों को अपने आप में समेटे रखती है।

उपन्यास की कहानी का केंद्र चंदर और सुधा का आत्मीय संबंध है। दोनों के बीच गहरा प्रेम होते हुए भी सामाजिक मर्यादाओं और पारिवारिक बंधनों के कारण पूर्ण नहीं हो पाता। यह उपन्यास प्रेम को आत्मा की पवित्र अनुभूति मानता है और आदर्श तथा यथार्थ के संघर्ष को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है। अपूर्ण प्रेमकथा होने पर भी यह कृति आज भी युवाओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। गुनाहो का देवता प्रेम, समर्पण और समाज के बंधनो की कहानी है। बेशक चंदर कहानी का मुख्य पात्र बनकर उभरता है लेकिन निःसंदेह सुधा भी त्याग की देवी ही प्रतीत होती है। इस प्रकार यह उपन्यास एक अपूर्ण प्रेमकथा बनकर समाप्त होता है। यह उपन्यास इस बात का संकेत है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि त्याग और समझ का भी दूसरा रूप है। उपन्यास अत्यंत मार्मिक है अंत तक पढ़ने पर एहसास होता है कि लेखक द्वारा किया गया कार्य असाधारण है। गुनाहों का देवता की पटकथा वैसे तो काफी साधारण है लेकिन यह एक उत्कृष्ट कृति है जिसकी गिनती हिंदी साहित्य के अमर कृतियों में की जाती है।

बिघ्नेश कुमार सास्मल
क्षे. का., ब्रह्मपुर

मेरी उज्जैन की यात्रा

कहा जाता है कि भगवान शिव कि आज्ञा के बिना एक छोटी सी चींटी भी नहीं काट सकती, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यह मेरे अनुभव में सच निकला क्योंकि उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए मेरा 20 साल का लंबा इंतजार समाप्त हो गया जब मुझे उज्जैन के भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए उनका बुलावा आ गया।

यह यात्रा मुझे इसलिए इतनी खास है कि मैं पिछले कई सालों से यात्रा के लिए सब इंतजाम कर रही थी लेकिन आखरी मिनट पर कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण मुझे अपनी यात्रा रद्ध करनी पड़ी और उज्जैन जाने की मेरी इच्छा अधूरी रह गई थीं । अब जबकि समय आ गया, भगवान महादेव की अनुमति एवं आशीर्वाद से मैंने अपने पति के साथ अपनी यात्रा शुरू की। मेरी इस यात्रा में मैंने उज्जैन के साथ-साथ ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, महेश्वर, इंदौर एवं सीहोर का भी दर्शन किया। तो आइए तीन दिनों की मेरी उज्जैन की यात्रा के बारे में विस्तार से बात करते हैं।

पहले दिन हमने अपनी यात्रा की शुरुआत विजयवाडा से की, जहाँ से हमने जयपुर सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ी जिसने उज्जैन तक हमें सीधे पहूँचा दिया। अगले दिन रात को 9.30 बजे हम उज्जैन पहुँच गए तथा होटल चेक इन किया । चूंकि हमने यात्रा की शुरुआत के पहले ही ऑनलाइन से ट्रैवल एजेंट का पैकेज बुक किया था, तीन दिन हमें होटल एवं साइट सीईंग का सभी प्रकार का इंतजाम ट्रैवल एजेंसी वाले ने किया जिससे हमारा बहुत समय बच गया तथा सिर्फ तीन ही दिनों में बहुत सारे यात्रा स्थल को देखने का मौका मिला।

दूसरे दिन सुबह नाश्ता करने के बाद ट्रैवल एजेंसी की गाड़ी में पहले भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने गए । महाकालेश्वर के दर्शन करने से पहले उसी चौपट में बड़े गणपती मंदिर, हर सिद्धि माता मन्दिर के दर्शन किए। उज्जैन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं जहाँ शंकर भगवान महाकालेश्वर के रूप में दर्शन देते हैं। ₹. 250 का टिकट लेकर हम दर्शन की लाइन में खड़े हो गए तथा 30 मिनट के अंदर बहुत निकट से भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जैसे ही दर्शन हो गए मैं मंत्रमुग्ध हो गई क्योंकि यह मेरे लिए एक मनमोहक अनुभव था कि मेरी लंबे समय से अधूरी इच्छा साकार हो गई। उज्जैन की भस्म आरती एक अद्वितीय एवं पवित्र अनुष्ठान है जो महाकाल मंदिर में आयोजित की जाती है। जिसमें शमशान में जलनेवाली चिता की भस्त शिवलिंग पर अर्पित की जाती है और यह माना जाता है कि उस समय भगवान निराकार रूप में होते हैं अथवा इसी कारण महिलाओं को उनके इस रूप के दर्शन वर्जित हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यह पूजन की प्रक्रिया दो घंटे चलती है तथा महाकाल की नाद से उस समय मंदिर का परिसर गूँज उठता है। समय की पाबंदी के कारण हम भस्म आरती में भाग नहीं ले पाए।

महाकालेश्वर के दर्शन के बाद हम काल भैरव के दर्शन के लिए निकले। काल भैरव मंदिर उज्जैन का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो भगवान शिव के अवतार काल भैरव को समर्पित है। इस मंदिर में एक अनोखी परंपरा है कि भक्त भगवान को मदीरा चढ़ाते हैं। भैरव बाबा के दर्शन आम तौर पर दो से तीन घंटे लगते हैं तथा उनके दर्शनानंतर भर्तृहरि गुफाएँ देखने के लिए निकले। भर्तृहरि गुफा के अंदर शिवलिंग के दर्शन कर गड़कालिका माँ के दर्शन करने गए। माना जाता है कि अष्टादश शक्ति पीठों, जहाँ माँ सती के शरीर के भाग गिरे है उनमें से माता के होंट के ऊपर का हिस्सा यहाँ गिरा था। माता के दर्शन पूरा कर मंगलनाथ मन्दिर के लिए निकले। यह मन्दिर भारत देश में मंगल ग्रह के मंदिरों में खास माना जाता है जो शिवलिंग के रूप में श्रद्धालू को दर्शन देते हैं। इस मन्दिर में मंगल ग्रह के दोष की शांति के लिए विशेष पूजा एवं अर्चना की जाती है।

मंगलनाथ बाबा के दर्शन कर खाना खाकर सांदीपनि मुनि का आश्रम देखने चले गए जहाँ कृष्ण भगवान ने समस्त विद्याएँ अपने भाई बलराम एवं मित्र सुदामा के साथ सीखी थी। इस मन्दिर में भगवान कृष्ण ने जो चौसठ् कलाएँ सीखी थी इनका सविस्तार वर्णन रूप चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसी आश्रम के समीप गोमती कुंड को भी देख सकते हैं जहाँ पावन गोमती नदी जलकुंड के रूप में प्रकट

हुई। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि के स्नान के दौरान आनेवाले कष्ट का निवारण करने हेतु गोमती जल का आह्वान किया जो गोमती कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। सांदीपनि आश्रम के दर्शन के बाद अलौकिक सुंदरता से भारी इस्कॉन मंदिर का दर्शन कर थोड़े समय होटल में जाकर आराम करके उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर देखने के लिए सात बजे निकले।

उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर भक्तों को एक भावी एवं गहन आध्यात्मिक अनुभव देने के लिए करोड़ो रूपये लगाकर निर्माण किया गया । सप्त ऋषियों की मूर्तियाँ, 108 शिव स्तंभों का निर्माण किया गया जिस में शिव की अलग-अलग मूर्तियाँ हैं। इस परिसर में घूमने के लिए ई- रिक्शा की भी सुविधा उपलब्ध है। महाकाल कॉरिडोर का मनमोहक अनुभव कर रात को उज्जैन के होटल में ठहरे थे।

तीसरे दिन सुबह छह बजे हम, भगवान ओंकारेश्वर जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, उनका दर्शन करने के लिए सड़क मार्ग से निकले। ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन से ओंकारेश्वर लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है तथा पहुँचने के लिए 3-4 घंटें लग जाते हैं। रास्ते में हरे-भरे खेत, पहाड़ी इलाकों से गुजरते समय रास्ते में, ओंकारेश्वर के पास नर्मदा नदी का सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। ओंकारेश्वर तथा ममलेश्वर दोनों मंदिरों को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है तथा कहा जाता है कि दोनों मंदिर एक दूसरे के पूरक हैं। जो श्रद्धालु ओंकारेश्वर मंदिर की यात्रा करते हैं, उन्हें ममलेश्वर मंदिर की भी यात्रा करनी चाहिए ताकि उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाए। इसी कारण श्रद्धालु इन दोनों मंदिरों के दर्शन कर शंकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। दोनों मंदिरों के बीच नर्मदा नदी बहती है तथा एक मन्दिर से दूसरे मन्दिर पहुँचने के लिए बोट अथवा पुल एवं सीढ़ियों का सहारा ले सकते हैं। ओंकारेश्वर हम दस बजे तक पहूँच गए तथा हम पुल को पार कर भगवान ओंकारेश्वर के मंदिर पहुँच गए। उस दिन एकादशी पर्व होने के कारण भीड़ काफी ज्यादा ही थी लेकिन ऑनलाइन टिकट मिलने के कारण हमें एक घंटे के अंदर दर्शन हो गए। वहाँ दर्शन होने के बाद बोट लेकर ममलेश्वर मन्दिर पहुँच गए। वहाँ भी दर्शन कर नर्मदा नदी की सुंदरता का एहसास करते हुए शॉपिंग करने निकले थे। यहाँ कई दुकानों में शिव लिंग छोटे परिमाण से लेकर बहुत बड़े परिमाण में खरीदने के लिए रखा जाता है। शिव पुराण के कथनों के अनुसार नर्मदा नदी में मिलनेवाले शिवलिंगों को अगर घर में भी रखेंगे तो दोष नहीं माना जाता है।

दोपहर खाना खाने के बाद हम महेश्वर किला देखने के लिए चले। महेश्वर गाँव ओंकारेश्वर से 50 किलोमीटर दूरी पर है। यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थल है। यह किला नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और इसका निर्माण होल्कर वंश के शासकों ने करवाया था। यह किला स्थापत्य और वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। किले में थोड़ा समय घूमकर महेश्वर एवं चँदेरी साड़ी खरीदने गए। महेश्वर साड़ी मध्य प्रदेश की एक पारंपरिक एवं हस्तनिर्मित साड़ी है जो अपनी अद्भुत बुनाई और सुंदर डिजाईनों के लिए जानी जाती है। अपनी मन पसंद साड़ियाँ एवं कपड़े लेकर हम वहाँ से इंदौर के लिए निकल गए। महेश्वर से इंदौर लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर है। इंदौर पहुँचने तक रात 11 बज गए । इंदौर आते-आते ही हम वहाँ के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड सराफा में स्वादिष्ट एवं विविध प्रकार के व्यंजन का स्वाद लेने गए। इंदौर के सराफा में नमकीन, मिठाई और चाट आईटेम्स जैसे कचौरी, समोसा, जलेबी, रबड़ी, गुलाब जामुन, आइस क्रीम, हलवे, फ्रूट ड्रिंक एवं शेक इत्यादि मिलेगा। भोजन प्रियों को इंदौर के स्ट्रीट फूड का स्वाद अवश्य ही चखने का अनुभव करना चाहिए। तदनंतर होटल चेक- इन कर रात को इंदौर में ठहर गए।

चौथे दिन नाश्ता खाकर होटल चेक आउट कर इंदौर के माता अन्नपूर्णेश्वरी मन्दिर, खजूराणा गणेश मन्दिर, राजवाड़ा किला, लाल भाग किला, म्यूज़ियम, काँच मन्दिर, रानी अहिल्याबाई छत्री, बड़े गणपति मन्दिर के दर्शन कर राजवाड़ा के निकट की गलियों में शॉपिंग कर भोपाल के लिए निकल पड़े जहाँ से हमें रात को 12 बजे विजयवाडा के लिए ट्रेन पकड़नी थी ।

भोपाल जाते समय लगभग 40 किलोमीटर पहले हाईवे पर सीहोर में महादेव मन्दिर के दर्शन किए। सीहोर शिव भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है तथा यहाँ के महादेव की महिमा यह है कि शिव लिंग यहाँ एक बड़े खुले पत्थर के रूप में प्रकटित है । इस मंदिर के परिसर में रात भर श्रद्धालु शिव स्तोत्र का पाठ करते रहते है।

सीहोर के महादेव के दर्शन कर रात 11 बजे भोपाल पहुँच गए, वहाँ से दुरंटो एक्सप्रेस पकड़कर विजयवाडा पहुँच गए। हमारी यात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के लिए मैं भगवान महादेव को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने अपनी कृपा से इस यात्रा को सफल बनाया। साथ ही मैं अपने टैक्सी ड्राईवर राज को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बहुत धैर्य एवं सावधानी से हमें सभी यात्रा स्थल एवं मंदिरों तक पहुँचाया एवं हमारी यात्रा को सुगम बनाया।

इस तरह मेरी उज्जैन की यात्रा ने मेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा सँजोयी है तथा बहुत सारी दिली यादें एवं मीठी स्मृतियों का भंडार भर दिया ।

एन वी एन आर अन्नपूर्णा
आस्ति वसूली शाखा,
क्षे. का., एलूरु

नराकास, विशाखापट्टणम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अं. का., विशाखपट्टणम को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 17.07.2025 को श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक (का.), क्षे. का. का. (दक्षिण) से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्रीमती शालिनी मेनन, अंचल प्रमुख तथा सुश्री ए वी लक्ष्मी, वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.)।

नराकास, मंगलूरु द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अं. का., मंगलूरु को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 28.07.2025 को श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक(का.), क्षे. का. का.(दक्षिण) से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री राजेंद्र कुमार, अंचल प्रमुख तथा श्री कृष्ण कुमार यादव, मुख्य प्रबंधक(रा.भा.)।

नराकास, श्रीकाकुलम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का., श्रीकाकुलम को विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 16.07.2025 को श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक(का.), क्षे. का. का.(दक्षिण) से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री पैडि राजा, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री बिजय कुमार चौधरी, प्रबंधक(रा.भा.)।

नराकास, कोट्टयम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का., कोट्टयम को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 29.08.2025 को श्री निर्मल कुमार दुबे, उप निदेशक(का.), क्षे. का. का.(कोच्चि) से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री ए.सेंथिल राजा, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री सुकेश कुमार, सहायक प्रबंधक(रा.भा.)।

नराकास, जालंधर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का., जालंधर को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 20.08.2025 को श्री जे.के मंडल, उप निदेशक(का.), क्षे. का. का.(दिल्ली-1) से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री गुरदीप सिंह, क्षेत्र प्रमुख तथा सुश्री रूमा, वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.)।

नराकास, तिरुवनंतपुरम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का., तिरुवनंतपुरम को 'श्रेष्ठ' पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 24.07.2025 को श्री निर्मल कुमार दुबे, उप निदेशक(का.), क्षे. का. का.(कोच्चि), से पुरस्कार प्राप्त करते हुए से श्री दीपक चार्ली, उप क्षेत्र प्रमुख तथा श्री राजेश के, वरिष्ठ प्रबंधक(रा.भा.) ।

नराकास, भागलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का., भागलपुर को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 26.09.2025 को श्री अमरजीत सिंह,अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री राकेश कुमार सिंह, क्षेत्र प्रमुख तथा सुश्री प्रीति प्रिया, प्रबंधक(रा.भा.)।

नराकास, मैसूर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का., मैसूरु को उत्कृष्ट श्रेणी पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 25.08.2025 को श्री प्रमोद कुमार, महाप्रबंधक (पीपी), भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.). लि. से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री दिलीप कुमार, उप क्षेत्र प्रमुख तथा सुश्री पूर्णिमा एस, वरिष्ठ प्रबंधक(रा.भा.)।

राजभाषा पुरस्कार / समाचार

नराकास, गुरुग्राम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का., गुरुग्राम की मुख्य शाखा, गुरुग्राम को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 21.07.2025 को श्री कुमार पाल शर्मा, उप निदेशक (का), क्षे.का.का. (दिल्ली-उत्तर-1), से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री नवनीत दत्ता, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री मुकेश कुमार, प्रबंधक(रा.भा.)।

नराकास, पलवल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का., गुरुग्राम की पलवल मुख्य शाखा को 'प्रथम' पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 22.09.2025 को श्री दर्शन लाल भल्ला, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री मनीष गर्ग, शाखा प्रमुख तथा श्री मुकेश कुमार, प्रबंधक(रा.भा.) ।

नराकास, राँची द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अं. का., राँची को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 21.07.2025 को डॉ. विचित्र सेन गुप्त, उप निदेशक (का.), क्षे.का.का. (पूर्व) से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री आलोक कुमार, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री राजेश कुमार, प्रबंधक (रा.भा.)।

नराकास, भोपाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अं. का., भोपाल को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 23.07.2025 को श्री नरेंद्र सिंह मेहरा, उप निदेशक (का.), क्षे.का.का.(मध्य) से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री राजीव कुमार झा, अंचल प्रमुख तथा श्री अनुराग कुमार सिंह,वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.)।

नराकास, पटना द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का., पटना को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 21.08.2025 को श्री सुजीत कुमार अरविंद, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री अभय रमण, उप क्षेत्र प्रमुख तथा डॉ. विजय कुमार पाण्डेय, प्रबंधक (रा.भा.)।

नराकास, बालेश्वर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का., बालेश्वर को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 01.08.2025 को श्री सुदीप डाकुआ, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री आशुतोष पट्नायक, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री राजीव रंजन कुमार, प्रबंधक (रा.भा.)।

नराकास, सूरत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का.,सूरत को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 21.08.2025 को श्री राजेश कुमार, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्रीमती श्वेता सावे, क्षेत्र प्रमुख तथा रिंकी मुवानिया, सहायक प्रबंधक(राभा)।

नराकास, फिरोजपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का., लुधियाना की मुख्य शाखा, फिरोजपुर को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 31.07.2025 को श्री कुमार पाल शर्मा, संयुक्त निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री प्रदीप कुमार, शाखा प्रमुख।

राजभाषा पुरस्कार / समाचार

नराकास, सीवान द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का., समस्तीपुर की मुख्य शाखा,सीवान को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 02.07.2025 को डॉ. विचित्र सेन गुप्त, उप निदेशक(का.), क्षे.का.का.(कोलकाता), से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री अमित कुमार, शाखा प्रमुख ।

नराकास,मुजफ्फरपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का., समस्तीपुर की मुख्य शाखा, मुजफ्फरपुर को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 20.08.2025 को डॉ. विचित्र सेन गुप्त, उप निदेशक(का.), क्षे.का.का.(कोलकाता) से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री राजीव रंजन, शाखा प्रमुख, मुजफ्फरपुर मुख्य शाखा।

नराकास, रायपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का., रायपुर को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 26.08.2025 को श्री नरेंद्र सिंह मेहरा, उप निदेशक(का.), क्षे.का.का.,(मध्य) से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री अनुज कुमार सिंह, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री नितिन वासनिक, सहायक प्रबंधक (रा.भा.)।

नराकास, भिलाई-दुर्ग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का., रायपुर की भिलाई सुपेला शाखा को "राजभाषा आरोहण" पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 28.08.2025 को श्री चित्त रंजन महापात्र, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री प्रदीप कुमार बारिक, शाखा प्रमुख।

राजभाषा पुरस्कार / समाचार

दिनांक 29.07.2025 को आयोजित नराकास बेंगलूरु की बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए यूनियन बैंक ज्ञान केंद्र, बेंगलूरु को 'प्रथम पुरस्कार', क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु(उत्तर) को 'प्रथम पुरस्कार', अंचल कार्यालय, बेंगलूरु को 'द्वितीय पुरस्कार', क्षे. का., बेंगलूरु (दक्षिण) को 'तृतीय पुस्कार', प्रदान किया गया। श्री अक्षत तैलंग, प्राचार्य, यूबीकेसी, श्री जी रामप्रसाद, क्षेत्र प्रमुख, बेंगलूरु (उत्तर), श्री. एच जी अरविंद, उप अंचल प्रमुख, बेंगलूरु, श्री असीम कुमार पाल, क्षेत्र प्रमुख, बेंगलूरु-दक्षिण ने श्री के. सत्यनारायण राजू, एमडी एवं सीईओ, केनरा बैंक एवं अध्यक्ष, नराकास तथा श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक (का), क्षे.का.का. (दक्षिण), से अपने कार्यालय का पुरस्कार प्राप्त किया। साथ हैं श्री जॉन ए अब्राहम, मु. प्र., (रा.भा.), श्री मनोरंजन कुमार सिंह, व. प्र., (रा.भा.), सुश्री कौस्तुभा वी एस, प्रबंधक(रा.भा.), सुश्री रेणुका एस. एस., सहा. प्र., (रा.भा.)।

दिनांक 02.07.2025 को श्री हरीश सिंह चौहान, उप निदेशक (का.), क्षे. का. का., (पश्चिम), द्वारा अंचल कार्यालय, मुंबई का राजभाषाई निरीक्षण किया गया।

दिनांक 03.07.2025 को डॉ. विचित्र सेन गुप्त, उप निदेशक(का.), क्षे.का.का. (कोलकाता) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, समस्तीपुर की मुख्य शाखा, सीवान का राजभाषाई निरीक्षण किया गया।

दिनांक 06.08.2025 को श्री हरीश सिंह चौहान, उप निदेशक (का.), क्षे.का.का. (पश्चिम) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा का राजभाषाई निरीक्षण किया गया।

दिनांक 04.07.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुप्पूर द्वारा एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

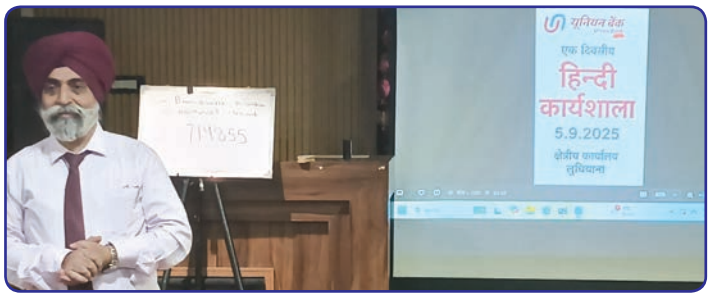

दिनांक 05.09.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, लुधियाना द्वारा आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री जसपाल सिंह, उप क्षेत्र प्रमुख, लुधियाना।

दिनांक 02.08.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर द्वारा एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

दिनांक 03.09.2025 को अंचल ज्ञानार्जन केंद्र, गुरुग्राम में दिल्ली अंचल के चार क्षेत्रीय कार्यालय – गुरुग्राम, गाजियाबाद, नई दिल्ली एवं दिल्ली(दक्षिण) द्वारा आयोजित संयुक्त एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला के प्रतिभागी।

दिनांक 06.08.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, ब्रह्मपुर द्वारा एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला में श्री रजत कुमार पंडा, क्षेत्र प्रमुख प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

दिनांक 19.08.2025 को आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला के प्रतिभागियों के साथ श्री जी रामप्रसाद, क्षेत्र प्रमुख ।

दिनांक 02.09.2025 को आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला के प्रतिभागियों के साथ श्री अनुज कुमार सिंह, क्षेत्र प्रमुख।

दिनांक 13.08.2025 को आयोजित हिंदी कार्यशाला के प्रतिभागियों के साथ श्री नरेश कुमार वाई, क्षेत्र प्रमुख।

दिनांक 02.08.2025 को क्षे. का., कोल्लम में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला में प्रतिभागियों के साथ श्री दीप्ति आनंदन, क्षेत्र प्रमुख।

दिनांक 24.09.2025 को क्षे. का., विजयवाडा द्वारा आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री एम.वी.तिलक, क्षेत्र प्रमुख ।

दिनांक 22.08.2025 को क्षे. का., खम्मम में हिंदी कार्यशाला के प्रतिभागियों के साथ श्री ए हन्मंत रेड्डी, क्षेत्र प्रमुख।

दिनांक 14.07.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, मचिलीपट्टनम द्वारा एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

दिनांक 21.08.2025 को क्षे. का., मैसूरु में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री एस. जी. राज कुमार, क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया।

दिनांक 10.09.2025 को क्षे. का., एर्णाकुलम में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

केंद्रीय कार्यालय के तत्वावधान में
विभिन्न केंद्रों में आयोजित तीन दिवसीय
कंप्यूटर आधारित हिंदी कार्यशाला

दिनांक 28.07.2025 से 30.07.2025 स्थान – यूबीकेसी

दिनांक 28.07.2025 से 30.07.2025 स्थान – भुवनेश्वर

दिनांक 28.07.2025 से 30.07.2025 स्थान – गुरुग्राम

दिनांक 28.07.2025 से 30.07.2025 स्थान – हैदराबाद

दिनांक 28.07.2025 से 30.07.2025 स्थान – भोपाल

दिनांक 28.08.2025 से 30.08.2025 स्थान – मंगलूरु

दिनांक 28.07.2025 से 30.07.2025 स्थान – लखनऊ

दिनांक 28.07.2025 से 30.07.2025 स्थान – विशाखपट्टणम

दिनांक 28.07.2025 से 30.07.2025 स्थान- मुंबई

आपकी नज़र में

यूनियन सूजन के अप्रैल-जून 2025 अंक ने अपनी विविध समसामयिक और सुविचारित सामग्री से गहरा प्रभाव छोड़ा। राजभाषा से जुड़े लेख हों, भारतीय भाषाओं और वैश्वीकरण पर विमर्श हो या फिर बैंकिंग क्षेत्र में एआई एवं डिजिटल परिवर्तन जैसे स्पष्ट रूप में खा गया है। यह अंक वर्तमान कार्यपरिवेश को समझने का उपयोगी दृष्टिकोण प्रदान करने के जैसे आधुनिक विषय-सभी को सरल भाषा और संतुलित प्रस्तुति के साथ अत्यंत साथ पाठक को नए विचारों और प्रवृत्तियों से भी सहजता से परिचित कराता है।

साहित्यिक खंड भी इस अंक की विशेष पहचान बनकर उभरता है। मुडू वेलु, कहानियाँ, कविताएँ और स्वास्थ्य संबंधी लेख हर रचना जीवन, समाज और संवेदना से जुड़ने का एक सजीव माध्यम बनती है। इन लेखन-प्रयासों में समाई भावनात्मक गहराई, रचनात्मकता और विचारशीलता पूरे बैंक परिवार की सृजनात्मक ऊर्जा को उजागर करती है। सरल भाषा, संतुलित प्रस्तुति और ज्ञानसम्पन्न सामग्री के साथ यह अंक पाठून अनुभव को न केवल आनंददायक बल्कि संग्रहणीय भी बनाता है। संपादकीय टीम निस्संदेह इस उत्कृष्ट और सारगर्भित अंक के लिए बधाई की पात्र है।

प्रभा मल्होत्रा
क्षेत्रीय प्रबन्धक,
दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कँ. लि.

कोट्टयम नराकास एवं रबर बोर्ड की ओर से, मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित यूनियन सृजन (अप्रैल–जून 2025) के इस अंक की सराहना करती हूँ। यह अंक न केवल बैंक की राजभाषा गतिविधियों, नवाचारों और ग्राहक-केंद्रित पहलों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है, बल्कि हिंदी के प्रगतिशील उपयोग तथा बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी, सामाजिक एवं साहित्यिक पक्षों के सुंदर समन्वय का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। विविध विषयों पर आधारित लेख, कविताएँ, विश्लेषण एवं राजभाषा-संबंधी रिपोर्टें इसे अत्यंत समृद्ध बनाती हैं। नराकास सदस्य कार्यालयों के बीच हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए ऐसे प्रयास प्रेरणादायी हैं। मैं संपादकीय टीम एवं सभी योगदानकर्ताओं को उनके सार्थक एवं प्रशंसनीय प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ।

विद्या एम
सहायक निदेशक (राजभाषा),
रबर बोर्ड सह सदस्य सचिव नराकास, कोट्टयम

आपकी हिंदी गृह पत्रिका 'यूनियन सृजन' का मार्च-2025 अंक मिला। पत्रिका अपनी विषयसामग्री के चयन और सुरुचिपूर्ण प्रस्तुति के कारण प्रशंसनीय है।

किसी भी संस्थान की गृह-पत्रिका उसकी कार्यसंस्कृति और विज़न-मिशन का आईना होती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की इस त्रैमासिक पत्रिका में प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशकों के प्रेरक संदेशों से हमें बैंक और उसके स्टाफ-सदस्यों की सृजनात्मक ऊर्जा, संगठनात्मक संस्कृति और राजभाषा हिंदी के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। पतिका अपने नाम को चरितार्थ करती है। "मेरा बैंक मेरा गौरव" और "राइज़" जैसी थीमों के माध्यम से बैंक के प्रगतिशील सोच की स्पष्ट झलक पाठक को मिलती है।

बैंकिंग, राजभाषा, तकनीक, संस्कृति और साहित्य से जुड़े विविध विषयों का संतुलित और आकर्षक संयोजन इस अंक को संग्रहणीय बना देता है। "हिंदी का महत्व", "भारतीय अर्थव्यवस्था पर टैरिफ का प्रभाव", "कृषि में ड्रोन तकनीक" और "साइबर सुरक्षा जागरूकता" जैसे लेख पाठकों का ज्ञानवर्धन करने के साथ-साथ उन्हें इस प्रकार के सामयोक विषयों पर अधिक चिंतन-मनन हेतु प्रेरित भी करते हैं। इस अंक में संकलित कविताएँ और अन्य रचनात्मक साहित्य इसे रोचक बनाते हैं।

'यूनियन सृजन' की संपादकीय टीम प्रशंसा की पात्र है, जिनके रचनात्मक और नवोन्मेषी विचारों ने इसे मूर्त रूप दिया है। आशा है, आने वाले अंक भी इसी प्रकार रुचिकर, ज्ञानवर्धक, विचारोत्तेजक रहेंगे। पुन: बधाई और पत्रिका भेजने के लिए आभार!

डॉ. करुणेश तिवारी
सहायक महाप्रबंधक(राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक

5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की राजभाषा प्रदर्शनी

5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की राजभाषा प्रदर्शनी का निरीक्षण करने हेतु पधारे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का स्वागत करते हुए श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की राजभाषा प्रदर्शनी का निरीक्षण करने हेतु पधारी सुश्री अंशुली आर्या, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के साथ श्री गिरीश चंद्र जोशी, महाप्रबंधक (मा.सं एवं रा.भा), श्री शक्तिवेल, महाप्रबंधक, श्री विवेकानंद, सहायक महाप्रबंधक (रा.भा.) एवं अन्य अधिकारीगण।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की राजभाषा प्रदर्शनी पर पधारे श्री चंद्रदीप कुमार झा, उप महानिदेशक, डीएफएस तथा श्री धर्मवीर, उप निदेशक (रा.भा.), डीएफएस के साथ श्री गिरीश चंद्र जोशी, महाप्रबंधक (मा.सं एवं रा.भा), श्री विवेकानंद, सहायक महाप्रबंधक (रा.भा.) एवं अन्य अधिकारीगण।

RNI No. MAH HIN/2016/68433

निःशुल्क वितरण हेतु

लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश
पी. विवेक सुधा
अं.का., विजयवाडा